REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230124 CG-DL-E-01102021-230124

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 1, 2021/आश्विन 9, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 1, 2021/ASVINA 9, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2021

आयकर

सा.का.नि. 713(अ).—खंड (i), (ii), (iii) और (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 के पांचवें और छठे परंतुक के स्पष्टीकरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 9 की उप-धारा (1) की धारा 295 के साथ पठित, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों को आयकर (31 वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 भाग 2 में, (जिसे इसमें इसके बाद मुख्य नियम कहा गया है)नियम 11पघ के पश्चात्, निम्नलिखित उपभाग और नियम अंतर्वेषित किया जाएगा, अर्थात्:

" ञ -भारत में स्थित आस्तियों का 28 मई 2012 से पूर्व अप्रत्यक्ष अंतरण धारा 9 की उप-धारा (1) खंड (i) के स्पष्टीकरण के पांचवें और छठे परंतुक के स्पष्टीकरण 5 अधीन विनिर्दिष्ट शर्तें

11**पङ (1) स्पष्टीकरण 5 के पांचवें और छठे परंतुक के प्रयोजनार्थ धारा 9 की उपधारा (1) खंड (i)के स्पष्टीकरण 5 के खंड (i),** (ii), **और** (iii) **में** घोषणाकर्ता प्ररूप I में वचनबंध प्रस्तुत करेगा और सभी इच्छुक पक्षों से वचनबंध लेकर प्ररूप 1 के उपाबंध भाग ड में संलग्न करेगा और उसके सभी संलग्न क को किसी खंड या उसके भाग के अधीन प्रस्तुत करेगा।

सं. 571] No. 571] (2) धारा 9 उपधारा(1) खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 के पांचवें और छठे परंतुक के स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए खंड (iv) की निम्नलिखित शर्तें होंगी अर्थात्:-

(क) घोषणाकर्ता और सभी हितबद्ध पक्षकार सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लेंगे, समाप्त कर देंगे या बंद कर देंगे और प्ररूप 1 में किसी भी परिस्थिति में, सुसंगत या इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह भविष्य में आवेदन, याचिका या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्धकार्यवाही, अपील नहीं करेंगे। .

घोषणाकर्ता और सभी हितबद्ध पक्षकार अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लेंगे, समाप्त कर देंगे या बंद कर देंगें समस्त कार्यवाहीयां मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए, या संबंधित आदेश या आदेशों के विरूद्ध नोटिस और प्ररूप 1 में वचनबंध में उसके साक्ष्य इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करें कि किसी भी परिस्थिति में वह ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से शुरू नहीं करेगा या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध भविष्य में ऐसी कोई मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता शुरू नहीं करेगा।;

(ख) घोषणाकर्ता और सभी हितबद्ध पक्षकार अप्रतिसंहरणीय रूप से सभी कार्यवाही को वापस ले लेंगे, समाप्त कर देंगे या बंद कर देंगे सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में उसके साक्ष्य गणतंत्र या भारतीय सहयोगियों के विरूद्ध किसी भी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य **अनुतोष** के संबंध में प्ररूप 1 में इस आशय के वचनबंध में एक घोषणा प्रस्तुत करें किसी भी परिस्थिति में कि ये फिर से नहीं खुलेंगे या सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में भविष्य में गणतंत्र या भारतीय सहयोगियों के विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही दर्ज करें;

(ग) घोषणाकर्ता और सभी हितबद्ध पक्षकार अप्रतिसंहरणीय रूप से समाप्त, जारी, निर्वहन, और हमेशा के लिए और अप्रतिसंहरणीय रूप से सभी अधिकारों को माफ कर देंगे, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, और कोई भी दावा, मांग, ग्रहणाधिकार, कार्रवाई, सूट, कार्रवाई के कारण, दायित्व, विवाद, ऋण, खर्च, वकीलों की फीस, न्यायालय की फीस खर्च, हर्जाना, निर्णय, आदेश, घोषणात्मक **अनुतोष**, और विधि में किसी भी प्रकार या प्रकृति की देनदारियां, इक्विटी में, या अन्यथा, चाहे वह पहले से ज्ञात हो या अज्ञात (या भविष्य में खोजा गया), संदिग्ध या अनसुना, और छिपा या छुपा हुआ है या नहीं, जो अस्तित्व में है या अस्तित्व में हो सकता है, या अस्तित्व में है या जो इसके पश्चात् हो सकता है, या अस्तित्व में हो सकता हैसुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में गणतंत्र या भारतीय सहयोगियों के विरूद्ध किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य **अनुतोष** के संबंध में;

(घ) घोषणाकर्ता और सभी हितबद्ध पक्षकार अप्रतिसंहरणीय रूप से घोषणाकर्ता के पक्षकार में जारी किए गए खंड (घ) में विनिर्दिष्ट पंचाट, आदेश या निर्णय, या किसी अन्य **अनुतोष** को रद्द करने के लिए गणराज्य द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही खंड (क), (ख), (ग) या (घ) में विनिर्दिष्ट, जिसमें किसी भी कार्यवाही तक सीमित नहीं है के संबंध में खर्च के लिए किसी भी दावे की तलाश या पीछा करने का कोई अधिकार माफ करना या इच्छुक पक्षों में से कोई भी करेंगे;

(ड) घोषणाकर्ता और सभी इच्छुक पार्टियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी अधिकार को समाप्त, जारी, निर्वहन, और हमेशा के लिए अप्रतिसंहरणीय रूप से माफ कर देंगी, और कोई भी उपाय, दावे, मांग, ग्रहणाधिकार, कार्रवाई, मुकदमे, कार्रवाई के कारण, दायित्व, विवाद, ऋण, खर्च, वकीलों की फीस, कोर्ट की फीस,खर्च, क्षति, निर्णय, आदेश, मुआवजा, और विधि में किसी भी प्रकार या प्रकृति की देनदारियां, इक्विटी में, या अन्यथा, अब ज्ञात या अज्ञात, संदिग्ध या असुरक्षित, और छुपा या छिपा हुआ है या नहीं, जो अस्तित्व में है या हो सकता है किसी भी उपाय या किसी भी और सभी दावों, मांगों, नुकसानों, निर्णयों, पुरस्कारों, लागतों, खर्चों, मुआवजे या किसी भी प्रकार की देनदारियों की तलाश या मौजूद है या जो इसके पश्चात् मौजूद हो सकता है या हो सकता है (चाहे दावा किया गया हो) या अप्रमाणित) किसी भी समय तथ्य, दशाओं, या लोप के संबंध में उसके पश्चात् भविष्य में खंड के स्पष्टीकरण 5 के पांचवें और छठे परंतुक में विनिर्दिष्ट आय के कराधान के संबंध में (i) धारा 9 की उप-धारा (1) या सुसंगत आदेश या आदेश, या कोई संबंधित पंचाट,निर्णय या अदालती आदेश, जो अन्यथा घोषणाकर्ता या उसके किसी भी हितबद्ध पक्षकार के लिए उपलब्ध हो सकता है:

(च) घोषणाकर्ता और सभी हितबद्ध पक्षकार किसी भी और सभी लागतों, खर्चों (न्यायवादी फीस और अदालती फीस सहित), ब्याज, क्षति, और किसी भी प्रकृति की देनदारियों से और इसके विरूद्ध गणराज्य और भारतीय सहयोगियों को क्षतिपूर्ति, प्रतिरक्षा और हानिरहित रखेंगे। घोषणाकर्ता या उसके किसी भी संबंधित पक्षकार या किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्ररूप 1 में वचनबंध प्रस्तुत करने की तारीख के पश्चात् किसी भी समय दावा करने या किसी भी दावे को लाने, करने या बनाए रखने से संबंधित किसी भी तरह से या कोई अन्य व्यक्ति और घोषणाकर्ता इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करेगा, जैसे कि घोषणाकर्ता पूरी तरह से किसी भी संबंधित पक्षों या इच्छुक पक्षों से प्राधिकारों और उपक्रमों की पहचान और खरीद के संबंध में किसी भी लोप या गलती का जोखिम मानता है, और किसी भी सुसंगत आदेश या आदेश से संबंधित किसी भी दावे से गणराज्य और भारत गणराज्य कंपनियों को सुरक्षित करता है,

(छ) घोषणाकर्ता और सभी हितबद्ध पक्षकार किसी भी सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित किसी भी कार्यवाही या किसी भी प्रकार के दावों को लाने से किसी भी व्यक्ति (किसी भी संबंधित पक्षकार या हितबद्ध पक्षकार सहित लेकिन सीमित नहीं) को सुविधाजनक बनाने, खरीदने, प्रोत्साहित करने या अन्यथा सहायता करने से बचना चाहिए; या किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी भी सुसंगत आदेश या आदेश के संबंध में गणराज्य या भारत गणराज्य कंपनियों के विरुद्ध किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य **अनुतोष** के संबंध में गणराज्य या भारतीय संबद्ध कंपनियों के विरुद्ध किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य **अनुतोष** के विरुद्ध किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य **अनुतोष** के संबंध में; किसी भी सुसंगत आदेश या आदेश के संबंध में

(ज) घोषणाकर्ता और सभी इच्छुक पार्टियां एक सार्वजनिक नोटिस द्वारा सूचित करें कि प्ररूप 1 में वचनबंध के प्ररूप 1 या भाग ड में वचनबंध पर हस्ताक्षर करके, जैसा भी मामला हो, सुसंगत आदेशों या किसी भी संबंधित पंचाट, निर्णय या से संबंधित किसी भी दावे से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे या न्यायालय का आदेश, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, व्यक्ति या संस्था ने वचनबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, और इस तरह के वचनबंध में इस वचनबंध के विपरीत गणराज्य या किसी भी भारत संबद्ध के विरुद्ध लाए गए किसी भी दावे के विरुद्ध क्षतिपूर्ति शामिल है, और इस तरह के सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति गणराज्य को प्रस्तुत करेगी;

(3) घोषणाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए प्ररूप 1 में वचनबंध का निष्पादन, वितरण और प्रदर्शन और सभी इच्छुक पक्षों के उपक्रमों को प्ररूप 1 और प्ररूप में वचनबंध करने के लिए उपाबंध के भाग ढ में घोषणात्मक और इच्छुक पक्षों द्वारा क्षतिपूर्ति बंधपत्र में वचनबंध के उपाबंध के भाग ड में सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया जाएगा, लागू विधि के अधीन किसी भी बोर्ड संकल्प या समान प्राधिकरण सहित लेकिन सीमित नहीं है और ऐसे बोर्ड संकल्प और विधिक प्राधिकरण की एक प्रति घोषणाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाएगी;

नियम 11पङ के अधीन वचनबंध देने की रीति

11पच (1)नियम 11यूई के उप-नियम (1) के तहत फॉर्म नंबर 1 में उपक्रम आयकर (31वां संशोधन) नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।, 2021 नियम 11पङ उपनियम (2) के खंड (क) के अधीन प्ररूप 1 में वचनबंध, आधिकारिक राजपत्र में संशोधन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिनों के भीतर क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) घोषणाकर्ता द्वारा नियम 11 पड के उप-नियम (1) उपनियम (2) के अधीन प्ररूप 1 में वचनबंध प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्, क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उक्त वचनबंध की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर,-

(क) ऐसे वचनबंध को स्वीकार करते हुए प्ररूप 2 में प्रमाण पत्र प्रदान करेगा; या

(ख) ऐसे वचनबंध को अस्वीकार करने का आदेश पारित करें, जहां प्ररूप 1 में वचनबंध या उसका कोई भाग दोषपूर्ण या गलत है या अधूरा या उसमें प्रदान किए गए अनुलग्नकों में से कोई भी प्रस्तुत नहीं किया गया है या दोषपूर्ण या प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक साक्ष्य में से कोई भी अधूरा, दोषपूर्ण, या अन्यथा असंतोषजनक है या नियम 11पङ के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट कोई भी प्राधिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है, घोषणाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ।

(3) प्ररूप 2 में प्रमाण पत्र प्रदान करने के पश्चात्, नियम 11पङ के उप-नियम (1) के अधीन शर्तों को घोषणाकर्ता और इच्छुक पक्षों द्वारा पूरा किया जाएगा और इस आशय की एक सूचना प्ररूप 3 में साठ के भीतर की जाएगी। उप-नियम (2) के अधीन प्ररूप 2 में प्रमाण पत्र प्राप्त होने की तारीख के दिन क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त के साथ।

(4)क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त, घोषणाकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, उप-नियम (3) के अधीन साठ दिनों की क्षेत्राधिकार सीमा अवधि को साठ दिनों की अवधि से अधिक न हो; (5) जहां प्ररूप 3 में सूचना उप-नियम (3) के अधीन साठ दिनों की अवधि के पश्चात् या उप-नियम (4) के अधीन आगे बढ़ाई गई अवधि के पश्चात् की जाती है, फिर, किसी भी अन्य प्रावधान में निहित होने के बावजूद नियमों के अनुसार, प्ररूप 3 में ऐसी सूचना को अमान्य माना जाएगा नियम 11 पड़ तथा इस नियम के प्रावधान ऐसे लागू होंगे जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने कभी भी प्ररूप 3 में सूचना प्रस्तुत नहीं की थी।

(6) उप-नियम (3) के अधीन प्ररूप 3 में कोई सूचना घोषणाकर्ता द्वारा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्: -

> (क) घोषणाकर्ता या किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने सभी सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में नहीं किया है, -

- (i) कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही;
- (ii) कोई मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता और कोई नोटिस नहीं दिया गया है; या
- (iii) गणतंत्र या भारतीय सहयोगियों के विरूद्ध किसी भी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही; तथा

(ख) जहां, के संबंध में सुसंगत आदेश या आदेश, कोई भी, -

- (i) अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही;
- (ii) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता; या
- (iii) गणतंत्र या भारतीय सहयोगियों के विरूद्ध किसी भी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में अनुलग्नकों को लागू करने या उनका पीछा करने के लिए कार्यवाही करना;

किया गया है या इसकी सूचना घोषणाकर्ता या किसी भी इच्छुक पक्षों , घोषणाकर्ता द्वारा दी गई है,ऐसे सभी इच्छुक पक्षों ने ऐसी सभी अपीलों, आवेदनों, याचिकाओं, कार्यवाही, **मध्यक्ता**, सुलह और **मध्यक्ता** को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिया है और उनके साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं; तथा और कोई और अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही या **मध्यक्ता** या सुलह या **मध्यक्ता** घोषणाकर्ता या ऐसी किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया है और उसके साक्ष्य प्ररूप 1 नियम 11 पड. के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट में वचनबंध प्रस्तुत करने के समय प्रस्तुत किया गया है;

(ग़) जहां सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में, कोई, -

- (i) अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही;
- (ii) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता;
- (iii) गणतंत्र या भारतीय सहयोगियों के विरूद्ध किसी भी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य **अनुतोष** के संबंध में अनुलग्नकों को लागू करने या उनका पीछा करने की कार्यवाही;

रहा है घोषणाकर्ता द्वारा या इच्छुक पक्षों में से कोई भी है का **निपटान** कर दिया गया है, घोषणाकर्ता या ऐसे किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई और अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही**, मध्यक्ता,** सुलह नहीं की गई है और उसका साक्ष्य प्ररूप 1 नियम 11 पड. के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट में वचनबंध प्रस्तुत करते समय प्रस्तुत किया गया है।

(7) उप-नियम (3) के अधीन प्ररूप 3 में सूचना प्राप्त होने या उप-नियम (6) के अधीन आने वाले मामलों में उप-नियम (2) के अधीन प्ररूप 2 में प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, क्षेत्राधिकार वाले प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्ररूप 4 में या उप-नियम (8) के अधीन प्रक्रिया के अनुसार **अनुतोष** प्रदान करने वाला आदेश पारित करेंगे।

(**8**) अधिकार क्षेत्र के प्रधान आयुक्त या आयुक्त, घोषणाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उप-नियम (7) के अधीन **अनुतोष** के लिए मना कर सकते हैं, जहां-

> (क) घोषणाकर्ता ने नियम 11पङ के उप-नियम (2) के अधीन निर्धारित किसी भी शर्त को पूरा नहीं किया है;

(ख) प्ररूप 3 या उसके किसी भाग में सूचना गलत या अपूर्ण है।

(ग़) प्ररूप **3** में सूचना उप-नियम **(6)** के अंतर्गत आने वाले मामलों के अतिरिक्त किसी अन्य मामले में दर्ज नहीं की गई है;

(घ) प्ररूप 3 में प्रदान किया गया कोई भी संलग्नक गलत, अपूर्ण, या प्रस्तुत ही नहीं किया गया है।

(ड) प्ररूप 3 के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले किसी भी साक्ष्य को गलत या अपूर्ण या प्रस्तुत नहीं किए गए हैं;

(च) घोषणाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्ररूप 3 में सूचना सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा विधिवत प्राधिकृत नहीं है, जिसमें किसी भी बोर्ड संकल्प या लागू विधि के अधीन इसी तरह के प्राधिकार तक सीमित नहीं है या ऐसे बोर्ड संकल्प या विधिक प्राधिकार की एक प्रति घोषणाकर्ता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है।

(9) उपनियम (7) के अधीन <mark>अनुतोष</mark> प्रदान करने या उप-नियम (8) के अधीन <mark>अनुतोष</mark> प्रदान न करने का आदेश पारित किया जाएगा,

> (क) प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्ररूप 3 की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, उन मामलों में जहां उप-नियम (3) के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्ररूप 3 में सूचना प्रस्तुत की गई है,

(ख) उप-नियम (6) के अंतर्गत आने वाले मामलों में प्ररूप 2 जारी होने के तीस दिनों के भीतर।

(10) उप-नियम (2) के खंड (ख) के अधीन प्ररूप 1 में वचनबंध को अस्वीकार करने या खंड उप-नियम (8) के अधीन अनुतोष नहीं देने का कोई सूचना, प्रधान आयुक्त या मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदन के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

(11) उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन वचनबंध को अस्वीकार करने के प्रयोजनार्थ अथवा उपनियम (8) के अधीन **अनुतोष** नहीं देने का आदेश प्रधान आयुक्त अथवा आयुक्त घोषणाकर्ता को उसके कारण सूचित करेगा तथा उसे प्ररूप 1 में नया वचनबंध प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेंगे या प्ररूप 3 में नयी सूचना जैसा भी मामला हो तीस दिन से अधिक न हो

(12) जहां उप-नियम (11) के अधीन इस तरह की आगे की अवधि के भीतर वचनबंध नहीं किया जाता है अथवा नयी सूचना फिर नियमों के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी , ऐसे वचनबंध या सूचना को अमान्य माना जाएगा और इस नियम के प्रावधान लागू होगा जैसे कि ऐसे व्यक्ति ने कभी भी प्ररूप 1 में वचनबंध या प्ररूप 3 में सूचना, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत नहीं किया था।

(13)जमा करने के लिए अनुमेय या विस्तारित समय प्ररूप 1 में एक नया वचनबंध या उपनियम (11) के अधीन प्ररूप 3 में एक नई सूचना को उप-नियम (11) के अधीन पन्द्रह दिनों की अवधि या उप-नियम (8) के खंड (क) और (ख) के अधीन तीस दिनों की अवधि से बाहर रखा जाएगा।), के रूप में मामला हो सकता है।

- (क) उपनियम (2) के अधीन क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा प्ररूप 2 में पंद्रह दिनों की अवधि में प्रमाण पत्र मंजूर करना या ऐसे वचनबंध को अस्वीकार करने का आदेश पारित करना, जैसा भी मामला हो।
- (ख) क्षेत्राधिकार प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा उपनियम (9) को खंड (क) तथा (ख) के अधीन उपनियम (7) के अधीन **अनुतोष** प्रदान करने का आदेश या उपनियम (8) के अधीन **अनुतोष** प्रदान नहीं करने का आदेश पारित करने के लिए 30 दिन ।

(14) उप-नियम (2) या (9) के अधीन सीमा की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए, जहां घोषणाकर्ता को अवधि या विस्तारित अवधि के बहिष्कार के तुरंत पश्चात्, प्रधान आयुक्त को उपलब्ध सीमा की अवधि या आयुक्त, उपनियम (2) या (9) के अधीन प्रमाण पत्र देने या पारित करने या आदेश जारी करने के लिए, पन्द्रह दिनों से कम है, ऐसी शेष अवधि को पन्द्रह दिनों तक बढ़ाया जाएगा और उक्त उप-नियमों के अधीन सीमा की अवधि को तदनुसार विस्तारित माना जाता है। (15) यदि प्रधान आयुक्त या आयुक्त ने उप-नियम (8) क़े अधीन घोषक को **अनुतोष** प्रदान करने से इंकार कर दिया है उपनियम (2) के खंड (ख) के अधीन प्ररूप 1 वचनबंध को अस्वीकार करने का आदेश पारित किया है के अधीन घोषणाकर्ता को **अनुतोष** नहीं दी है, तो प्ररूप 1 में वचनबंध को कभी भी नहीं किया गया माना जाएगा।

(16) क्षेत्राधिकारी प्रधान आयुक्त या आयुक्त के निर्देश, प्ररूप 4 में, निर्धारण अधिकारी पर बाध्यकारी होंगे और जो,-

(क) ऐसे निर्देशों को प्रभावी करना और एक आदेश पारित करना और धनवापसी, यदि कोई हो, जारी करना और संलग्नक, यदि कोई हो, को ऐसे निर्देशों की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के भीतर रद्द करना; तथा

(ख) किसी भी आयकर प्राधिकरण द्वारा किसी अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही को वापस लेना या संबंधित व्यक्ति को सूचित करना, जहां अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही गणतंत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, प्ररूप के अधीन शामिल किए गए विनिर्दिष्ट आदेशों के संबंध में ऐसे दिशा निर्देश प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर

(17) इन नियमों के अधीन निर्धारित किसी भी प्ररूप के संबंध में या इन नियमों के अधीन जारी किए गए किसी भी निर्देश या आदेश विनिर्दिष्ट वचनबंध या क्षतिपूर्ति बंधपत्र के संबंध में कोई भी विवाद भारतीय कानूनों द्वारा शासित होगा और विशेष के अधीन अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। भारत में सुसंगत आयकर अधिकारियों, न्यायाधिकरणों या अदालतों का अधिकार क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, जो अधिनियम के अधीन विवादों का फैसला करने के लिए सशक्त हैं।

(18) परिशिष्ट IV के प्रपत्र संख्या 1, 2, 3 और 4 इस नियम और नियम 11UE के प्रयोजनों के लिए प्रपत्र होंगे। इस नियम और नियम 11पड़ के प्रयोजनार्थ आयकर नियम 1962 के परिशिष्ट IV के अधीन प्ररूप 1 या 2 या 3 या प्ररूप 4 उक्त प्रपत्रों को विनिर्दिष्ट करेगा,

स्पष्टीकरण:- इस नियम और नियम 11पड़ के प्रयोजनार्थ, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "घोषणाकर्ता " का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसके मामले में एक विनिर्दिष्ट आदेश पारित या किया गया है, जैसा भी मामला हो;

(ख) "भारत गणराज्य" का अर्थ है भारत गणराज्य के किसी भी विभाग, एजेंसियों, उपकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और अन्य संस्थाओं के स्वामित्व या नियंत्रित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कथित तौर पर या वास्तव में, साथ ही साथ किसी भी अधिकारी, अधिकारी, निदेशक, कर्मचारी, परामर्शी, प्रतिनिधि, जो वित्तपोषण प्रदान करते हैं, और उसके किसी भी एजेंट, चाहे भारत में या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र में;

(ग़) "हितबद्ध पक्षकार" का अर्थ निम्नलिखित है, अर्थात्: -

- (i) अंतिम होल्डिंग कंपनीयों या संस्थाओं तक घोषणाकर्ता की पूरी श्रृंखला में सभी कंपनियां या संस्थाएं,
- (ii) जिन व्यक्तियों को घोषणाकर्ता ने सुसंगत आदेशों से संबंधित किसी भी पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश के अधीन अपने किसी भी दावे को अंतरित कर दिया है या सुसंगत आदेशों के अधीन या कोई अधिकार प्रदान किया गया; तथा
- (iii) उपखंड (I) में उल्लिखित व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति जिसके पक्षकार में किसी भी संबंधित आदेश के संबंध में घोषणाकर्ता द्वारा या उसके अधीन बनाए गए किसी विधि या नियमों के अधीन बनाया या सौंपा गया है;
- (iv) जिन व्यक्तियों ने सुसंगत आदेशों के संबंध में किसी कार्यवाही की शुरूआत की

(घ) "संबंधित पक्षकार" का अर्थ है सहबद्ध, पूर्ववर्ती, उत्तराधिकारी, सभी कंपनियां या संस्थाएं जो अंतिम होल्डिंग कंपनी या इकाई, सहायक (चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष), असाइनी, एजेंट, शेयरधारक (वर्तमान और भविष्य), मालिक तक पूरी श्रृंखला में हैं। , निदेशक, अधिकारी, वित्तपोषण प्रदान करने वाले, और घोषणाकर्ता के कर्मचारी; (ड) "सुसंगत आदेश" का अर्थ है कोई विनिर्दिष्ट आदेश भारत के बाहर पंजीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में शेयर या ब्याज के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप भारत में स्थित किसी संपत्ति या पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से अर्जित या उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में पारित या किया गया 28 मई, 2012 का ब्यौरे, जिसका ब्यौरे प्ररूप 1 में वचनबंध के उपाबंध के भाग क में दिया गया है।

(च)"विनिर्दिष्ट आदेश" का अर्थ है,

- (i) धारा 143, धारा 144, धारा 147 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन एक मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन आदेश; या
- (ii) धारा 154 के अधीन निर्धारण को बढ़ाने या पहले से किए गए रिफंड को कम करने या अन्यथा निर्धारिती की देयता को बढ़ाने के लिए पारित एक आदेश; या
- (iii) धारा 201 की उप-धारा (1) के अधीन एक व्यक्ति को दोषी रूप से एक निर्धारिती मानते हुए एक आदेश पारित किया गया; या
- (iv) अध्याय XXI या धारा 221 के अधीन जुर्माना लगाते हुए एक आदेश पारित किया;

(छ) "अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी या इकाई" का अर्थ है एक कंपनी या एक इकाई जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से घोषणाकर्ता का अंतिम नियंत्रण है और ऐसी कंपनी या इकाई स्वयं किसी अन्य कंपनी या इकाई द्वारा नियंत्रित नहीं है, या उसकी सहायक कंपनी है।

3. . मुख्य नियम में , परिशिष्ट III के पश्चात्, निम्नलिखित परिशिष्ट को सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात्: -

परिशिष्ट IV

प्ररूप संख्या 1

[नियम 11पङ (1) को देखें]

<u>आयकर नियम, 1962 के नियम 11पङ के खंड (क) के अधीन वचनबंध</u>

प्रति,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

महोदय/महोदया,

(क) 28 मई, 2012 से पहले भारत के बाहर पंजीकृत या निगमित किसी कंपनी या इकाई में शेयर या ब्याज के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप भारत में स्थित किसी संपत्ति या पूंजीगत संपत्ति के हस्तांतरण के माध्यम से या उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में विविनिर्दिष्ट आदेश पारित हुआ है या पारित किया गया है और ऐसे विनिर्दिष्ट आदेशों के ब्यौरे उपाबंध के भाग में दिया गया है।

(ख) हितबद्ध पक्षकार ने (उन विकल्पों को काट दें जो लागू नहीं हैं)

(i). अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-णख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही फाइल नहीं की है और यह वचन देता है कि वह सुसंगत आदेशों के विरुद्ध भविष्य में कोई अपील, आवेदन, याचिका फाइल नहीं करेगा या कार्यवाही करेगा। ऐसे सुसंगत आदेश या आदेशों के विवरण उपाबंध के भाग एमबी में उपबंध किए गए हैं ;

(ii). अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-णख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष के समक्ष एक या अधिक अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों को फाइल किया गया और ऐसी सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस लिया गया है या ऐसा प्ररूप 1 में फाइल करने की तारीख से पहले किसी भी समय अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों का निपटारा किया गया है और यह वचन देता है कि वह सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध भविष्य में कोई अपील,आवेदन,याचिका या कार्यवाही फाइल नहीं करेगा । ऐसी फाइल की गई अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों के विवरण और हितबद्ध पक्षकार द्वारा पूर्वाग्रह के साथ अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिया गया है, उपाबंध के भाग एमसी में उपबंध किए गए हैं;

(iii). अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-णख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष एक या अधिक अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों को फाइल किया गया और हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही का निपटारा कर दिया गया है और आगे कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही हितबद्ध पक्षकार द्वारा नहीं की गई है और इसके साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत किए गए हैं और यह वचन देते हैं कि सुसंगत आदेशों या आवेदनों या वाचिकाओं या कार्यवाहियों और उसके निपटान के विवरण उपाबंध के भाग एमसी में उपबंध उपबंध किए गए हैं;

(iv). अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-णख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी अधिकरण या न्यायालय के समक्ष अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों को फाइल की और एक या अधिक अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों इस वचनबंध की तारीख के अनुसार लंबित हैं और ऐसी किसी भी और सभी अपीलों को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेने, समाप्त करने और बंद करने का वचन देता है या पूर्वाग्रह के आधार पर ऐसे अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों जो नीचे दिए गए खंड (ङ) के अनुसार इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक लंबित हैं। हितबद्ध पक्षकार आगे वचन देता है कि सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध भविष्य में वह ऐसी कोई अपील, आवेदनों या याचिका कार्यवाही फाइल नहीं करेगा । हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल की गई ऐसी लंबित अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों का विवरण और उनकी प्रास्थिति, वचनबंध की तारीख पर, उपाबंध के भाग डी में उपबंध किया गया है । इस खंड (ख) में वर्णित किसी भी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों के विवरण जो उप-खंड (i) और (ii) द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, भी उपाबंध के भाग एमडी में उपबंध उपबंध किए गए हैं;

(ग) हितबद्ध पक्षकार ने (उन विकल्पों को काट दें जो लागू नहीं हैं)

(i) . तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी करार के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की है, और उसकी कोई नोटिस नहीं दी गई है,और वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी कोई मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ नहीं करेगा। ऐसे सुसंगत आदेश या आदेशों के विवरण उपाबंध के भाग एमबी में उपबंध उपबंध किए गए हैं;

(ii). तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी करार के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है या उसकी कोई नोटिस दी गई है,और किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता और उसके दिए गए नोटिसों के लिए पूर्वाग्रह के आधार पर ऐसी किसी भी कार्यवाहियों को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिया है। हितबद्ध पक्षकार वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से आरंभ नहीं करेगा या सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में या उसके संबंध में भविष्य में ऐसी कोई मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ नहीं करेगा या फाइल नहीं करेगा। मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए ऐसी कार्यवाहियों और उसके दिए गए नोटिसों के विवरण को आरंभ करेगा और हितबद्ध पक्षकार द्वारा पूर्वाग्रह के आधार पर अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिए गए विवरण को उपाबंध के भाग एमई में उपबंध उपबंध किए गए हैं;

(iii). तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी करार के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की गई है या कोई नोटिस दी गई है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल सभी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता का निपटारा कर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और इसके साक्ष्य यहां प्रस्तुत किए गए हैं। हितबद्ध पक्षकार वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से नहीं शुरू करेगा या सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में या उसके संबंध में भविष्य में ऐसी कोई मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ नहीं करेगा या फाइल नहीं करेगा। मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए ऐसी कार्यवाहियों और उसके दिए गए नोटिसों के विवरण को आरंभ करेगा । मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए ऐसी कार्यवाही के विवरण और उसके दिए गए नोटिस, आरंभ किए गए और उसके निपटाए उपाबंध के भाग एमई में उपबंध किए गए हैं।

(iv). तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी करार के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध किसी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की गई है या उसकी नोटिस दी गई है और ऐसी एक या अधिक कार्यवाही या नोटिस वचनपत्र की तारीख पर लंबित हैं और मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की गई है या उसकी नोटिस दी गई है और ऐसी एक या अधिक कार्यवाही या नोटिस वचनपत्र की तारीख पर लंबित हैं और मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए किसी और ऐसी सभी कार्यवाहियों या नोटिसों को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेने, समाप्त करने और बंद करने का वचन देता है जो नीचे दिए गए खंड (ङ) के अनुसार इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पूर्वाग्रह के आधार पर लंबित है। हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल की गई लंबित ऐसी कार्यवाहियों या नोटिसों के विवरण उपाबंध के भाग एफ में दिए गए हैं। हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल की गई लंबित ऐसी कार्यवाहियों या नोटिसों के विवरण उपाबंध के भाग एफ में दिए गए हैं। हितबद्ध पक्षकार आगे वचन देता है कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में या उसके संबंध में ऐसी कोई मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता कारंभ नहीं करेगा। मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता के लिए किसी भी कार्यवाही का विवरण, या उसके नोटिस, जो उप-खंड (i) और (ii) द्वारा कवर नहीं किए जाते हैं, भी उपाबंध के भाग एमएफ में उपबंधित किए गए हैं;

(v) . भारत द्वारा भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ किए गए किसी भी करार के अधीन सुसंगत आदेशों के आधार पर, अधिरोपित कर, ब्याज और जुर्माना लगाने से संबंधित या किसी अन्य माध्यम से हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में जारी किए गए किसी भी पंचाटों, आदेशों, निर्णयों या किसी भी अन्य राहतों को प्राप्त किया या पाया गया,चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा और ऐसे पंचाट,आदेशों या निर्णयों या किसी अन्य राहत के संबंध में या उससे उत्पन्न होने के संबंध में, जो भारत और किसी भारतीय संबद्धता के विरुद्ध आदेशित, जारी या पारित किया जा सकता है, चाहे वह कार्यवाही शुरू की गई हो हितबद्ध पक्षकार या भारत और किसी भारतीय संबद्धता द्वारा किसी भी दावे या लागत या घोषणात्मक राहत की मांग या दबाव डालने के किसी भी अधिकार को छोड़ने का वचन देता है । हितबद्ध पक्षकार भी हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में जारी किए गए ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय को एक पक्षीय करने के लिए गणराज्य द्वारा आरंभ की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में लागत के लिए किसी भी दावे की मांग करने या दबाव डालने के किसी भी अधिकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से समाप्त करने का वचन देती है। हितबद्ध पक्षकार वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी कोई भी मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता आरंभ या फाइल नहीं करेगा। ऐसे अधिनिर्णयों, आदेशों, निर्णयों या किसी अन्य राहत के विवरण उपाबंध के भाग एमजी में उपबंधित किए गए हैं;

(घ) हितबद्ध पक्षकार ने (उन विकल्पों को काट दें जो लागू नहीं है/हैं)

(i) . किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, किसी भी अन्य राहत के संबंध में संलग्नक को प्रवृत्त करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की है, जो हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता कार्यवाही के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेश,जारी या पारित किया गया हो सकता है जैसा कि इस वचनबंध के खंड (ग) में निर्दिष्ट है, गणतंत्र और किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध है, और यह वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। ऐसे पंचाट,आदेश या निर्णय के विवरण उपाबंध के भाग एमबी में उपबंधित किए गए हैं;

(ii) . किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, किसी भी अन्य राहत के संबंध में संलग्नक को प्रवृत्त करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ की है, जो हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त मध्यस्थता, सुलह या मध्यकता कार्यवाही के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेश,जारी या पारित किया गया हो सकता है जैसा कि इस वचनबंध के खंड (ग) में निर्दिष्ट है, गणतंत्र और किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध है। हितबद्ध पक्षकार ने पूर्वाग्रह के साथ ऐसी किसी भी कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस ले लिया है या बंद कर दिया है और यह वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से नहीं शुरू करेगा या संलग्नक को प्रवृत्त करने या आगे बढ़ाने के लिए नई कार्यवाही फाइल नहीं करेगा। हितबद्ध पक्षकार द्वारा आरंभ की गई और वापस ली गई या बंद की गई ऐसी कार्यवाहियों के विवरण उपाबंध के भाग एमएच में उपबंधित किए गए हैं;

(iii) किसी भारत गणराज्य और गणतंत्र के विरुद्ध इस वचनबंध के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी पंचाटों, आदेशों, निर्णयों के संबंध में कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने के लिए कार्यवाहियां आरम्भ कर दी हैं। हितबद्ध पक्षकार द्वारा फाइल की गई सभी कार्यवाहियों का निपटान कर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा और कोई कार्यवाही फाइल नही की गई है और साक्ष्य दिया जाता है तथा वचनबंध किया जाता है कि कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने के लिए वह ऐसी किसी कार्यवाही को भविष्य में पुन: नहीं खोलेगा या फाइल नही करेगा या नई कार्यवाहियों को आरम्भ नहीं करेगा। ऐसी कार्यवाहियां, जो आरम्भ कर दी गई हैं या निपटान कर दी गई हैं, का विवरण उपाबद्ध के भाग डज पर दिया गया है।

(iv) किसी भारत गणराज्य और गणतंत्र के विरुद्ध इस वचनबंध के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, अर्ध-न्यायिक अथवा प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी पंचाटों, आदेशों, निर्णयों के संबंध में कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने के लिए कार्यवाहियां आरम्भ कर दी हैं तथा ऐसी एक या अधिक कार्यवाहियां वचनबंध की तारीख को लम्बित हैं या हितबद्ध पक्षकार ने किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी से एक या अधिक आदेश प्राप्त कर लिए हैं जो भारत और किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध बकाया रहते हैं । हितबद्ध पक्षकार वचनबंध करता है कि वह किन्हीं पंचाटों, आदेशों, निर्णयों के संबंध में कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने के लिए ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों को अथवा या कोई अन्य अनुतोष जो इस वचनबंध के खंड (ग) में यथानिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में उक्त माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता कार्यवाहियों के संबंध में किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक. अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा आदेशित, जारी या पारित किया गया हो या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी से आदेशों के प्रवर्तन हेतु जो भारत और/या किसी अन्य भारत गणराज्य के विरुद्ध बकाया रहता है, भविष्य में फाइल नहीं करेगा । इस वचनबंध के अन्तर्गत आने वाली ऐसी कार्यवाहियों की विशिष्टियां उपाबंध के भाग डझ में उपबंधित हैं। किन्हीं पंचाटों, आदेशों, निर्णयों या किसी अन्य अनुतोष से संबंधित कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने हेतु ऐसी किसी कार्यवाही की विशिष्टियां, जो उपखंड (i) या (ii) के अन्तर्गत नहीं आते, भी उपाबंध के भाग डझ में उपबंधित हैं । हितबद्ध पक्षकार, नीचे खंड (ङ) के अनुसार, कुर्कियों के प्रवर्तन या उन्हें करने की किन्हीं या सभी कार्यवाहियों पर प्रतिकुल प्रभाव डालते हए अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेने. बर्खास्त करने और समाप्त करने का भी वचनबंध करता है;

(ड.) हितबद्ध पक्षकार निम्नानुसार वचनबंध करता है -

(i) इस वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड (iv), खंड (ग) के उपखंड (iv), खंड (ग) के उपखंड (iv), खंड (iv), खंड (ग) के उपखंड (v) और खंड (घ) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट लम्बित कार्यवाहियों के साथ-साथ ऊपर पैरा (ख), (ग) और (घ) में निर्दिष्ट नहीं किए गए सुसंगत आदेशों से संबंधित भारत या भारतीय सहबद्धों के विरुद्ध किन्हीं अन्य लम्बित कार्यवाहियों को अप्रतिसंहरणीय रूप से और प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए बन्द करने हेतु अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेना, समाप्त करना, बर्खास्त करना और/या सभी आवश्यक कदम उठाना, और किसी भी प्रकार तथा भविष्य में किन्हीं माध्यमों से ऊपर पैरा (ख), (ग) और (घ) में यथानिर्दिष्ट निलम्बित कार्यवाहियों तथा सुसंगत आदेशों से संबंधित किन्हीं अन्य नई कार्यवाहियों और ऊपर खंडों में निर्दिष्ट नहीं किए गए सुसंगत आदेशों से संबंधित किन्हीं अन्य लम्बित कार्यवाहियों को न करना । इस प्रकार कार्य करते हुए, हितबद्ध पक्षकार इस वचनबंध के अनुसार तथा भारत सरकार को पूर्ण सहयोग करते हुए कार्य करेगा ; (ii) किसी अधिकार, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष और किन्हीं दावों, मांगों, धारणाधिकारों, कार्रवाइयों, वादों, वाद-हेतुकों, बाध्यताओं, विवादों, ऋणों, लागतों, अटॉर्नी फीस, न्यायालय फीस, व्ययों, क्षतियों, निर्णयों, आदेशों और साम्या या अन्यथा में विधि के किसी भी प्रकार या प्रकृति के दायित्वों, चाहे पूर्व में (या भविष्य में खोजे गए) ज्ञात या अज्ञात हों और चाहे गुप्त या छिपे हए ना हों, को अप्रतिसंहरणीय रूप से बर्खास्त, निर्मुक्त, निर्वहन और सदैव तथा अप्रतिसंहरणीय रूप से त्यजन करना, जो विद्यमान हों या विद्यमान रहे हों अथवा अवश्य विद्यमान हों या जो किसी पंचाट, आदेश, निर्णय या इस वचनबंध के खंड (ख), (ग) और (घ) में यथानिर्दिष्ट किसी अन्य अनुतोष के संबंध में विद्यमान रह सकते हों या रहेंगे या विद्यमान रह सकेंगे, गणतंत्र या किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध सुसंगत आदेशों के संबंध में आदेशित, जारी या पारित किए गए हों, चाहे वह हितबद्ध पक्षकार या भारत या किसी भारत गणराज्य द्वारा आरम्भ की गई कार्यवाहियों में हों । संदेह से बचने के लिए, हितबद्ध पक्षकार के अप्रतिसंहरणीय त्यजन के अन्तर्गत ऊपर खंड (ख), (ग) और (घ) में यथानिर्दिष्ट किसी माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा आदेशित या जारी या पारित किए गए किसी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य अनुतोष के अग्रसरण में गणतंत्र या किसी भारत गणराज्य के विरुद्ध प्रवर्तन या कुर्की अनुज्ञात करने वाले किसी विद्यमान एकपक्षीय, अनंतिम या अन्य प्रकार के न्यायालय आदेश द्वारा उपबंधित किसी अधिकार का अप्रतिसंहरणीय त्यजन भी है । संदेह से और बचने के लिए हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में आदेशित, जारी किए गए या पारित किए गए ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय को अपास्त करने के लिए भारत और किसी भारत गणराज्य द्वारा प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही के संबंध में लागतों के लिए हितबद्ध पक्षकार किसी दावे की ईप्सा करने या उसे प्राप्त करने के किसी अधिकार के त्यजन का भी वचनबंध करता है । ऐसे अप्रतिसंहरणीय त्यजन के अन्तर्गत, किन्तु उस तक सीमित नहीं, किसी सुसंगत एकपक्षीय आदेश के अधीन कोई अधिकार भी है :

(iii) हितबद्ध पक्षकार के पक्ष में जारी किए गए ऐसे पंचाट, आदेश या निर्णय या अन्य किसी अनुतोष को अपास्त करने के लिए गणतंत्र द्वारा प्रारम्भ की गई किसी कार्यवाही के संबंध में लागतों के लिए किसी दावे की ईप्सा करने या उसे प्राप्त करने के किसी अधिकार का त्यजन करना ।

(च) हितबद्ध पक्षकार विनिर्दिष्ट रूप से प्रस्तुत करता है कि इस वचनबंध में यथावर्णित उपाबंध के सभी भाग उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार परिपूर्ण और सम्पूर्ण हैं।

(छ) हितबद्ध पक्षकार किसी अधिकार को, चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, सदैव के लिए और अप्रतिसंहरणीय रूप से बर्खास्त, निर्मुक्त, निर्वहन करने का वचनबंध करता है और किन्हीं उपचारों, दावों, मांगों, धारणाधिकारों, कार्रवाइयों, वादों, वाद-हेतुकों, बाध्यताओं, विवादों, ऋणों, लागतों, अटॉर्नी फीस, न्यायालय फीस, व्ययों, क्षतियों, निर्णयों, आदेशों, प्रतिकर और साम्या या अन्यथा में विधि के किसी भी प्रकार या प्रकृति के दायित्वों, चाहे पूर्व में (या भविष्य में खोजे गए) ज्ञात या अज्ञात हों और चाहे गुप्त या छिपे हुए ना हों, को अप्रतिसंहरणीय रूप से बर्खास्त, निर्मुक्त, निर्वहन और सदैव तथा अप्रतिसंहरणीय रूप से त्यजन करना, जो विद्यमान हों या विद्यमान रहे हों अथवा अवश्य विद्यमान हों या जो तत्पश्चात् समय के आरम्भ से इस वचनबंध की तारीख तक होने वाले किन्हीं तथ्यों, घटनाओं या लोपों के संबंध में (चाहे प्राख्यान हों या अप्राख्यान) किसी भी प्रकार के उपचार या किन्हीं और सभी दावों, मांगों, क्षतियों, निर्णयों, पंचाटों, लागतों, व्ययों, क्षतिपूर्तियों या दायित्वों की ईप्सा या उन्हें प्राप्त करने के आधार पर विद्यमान रह सकते हैं, रहेंगे या रह सकेंगे या तत्पश्चातु उक्त आय के संबंध में भविष्य में या किसी संबंधित पंचाट, निर्णय या न्यायालय आदेश, जो साम्या में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन, किसी संविधि के अधीन या भारत द्वारा किसी अन्य देश या भारत से बाहर के राज्यक्षेत्र के साथ किए गए किसी करार के अधीन हितबद्ध पक्षकार को अन्यथा उपलब्ध हो सकेगा, चाहे विनिधान के संरक्षण के लिए या अन्यथा हो, चाहे यह हितबद्ध पक्षकार द्वारा अथवा भारत या किसी भारत गणराज्य द्वारा आरम्भ की गई कार्यवाहियों में हो । संदेह से बचने के लिए, हितबद्ध पक्षकार के उपरोक्त त्यजन के अन्तर्गत सुसंगत आदेशों के संबंध में या किसी संबंधित चल रहे या पूर्ण हो चुके मुकदमें, माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता के संबंध में उपगत लागतों या उद्भूत ब्याज हेतु भारत और/या भारत गणराज्य के विरुद्ध किसी दावे का अप्रतिसंहरणीय त्यजन भी है । इसके अतिरिक्त, किसी शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार यह वचनबंध करता है कि सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन या सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित किसी पंचाट, निर्णय या न्यायालय आदेश के अधीन किसी अधिकार के त्यजन का भी वचनबंध देता है ।

(ज) घोषणाकर्ता यह व्यक्त करेगा कि इस वचनबंध की तारीख को उसने सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित या सुसंगत आदेशों के अधीन किसी पंचाट, निर्णय या न्यायालय आदेश के अधीन तीसरे पक्षकार को कोई अधिकार प्रदान नहीं किया है या उसके दावे का कोई अंतरण नहीं किया है । और इस वचनबंध को करने के पश्चात् उसके दावे को तीसरे पक्षकार को अंतरित नहीं करने का वचनबंध करेगा । जहां ऐसा कोई दावा या अधिकार अंतरित किया जाता है, घोषणाकर्ता पुष्टि करता है कि उसने भाग ठ में सभी हितबद्ध पक्षकारों की विशिष्टियों प्रदान की हैं और इस वचनबंध से संलग्न ऐसे हितबद्ध प्रत्येक तीसरे पक्षकार का वचनबंध, उपाबंध के भाग (ड) के अनुसार होगा ।

(झ) उस दशा में कि पूर्वगामी किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति इस वचनबंध किए जाने की तारीख को किसी भी समय या उसके पश्चात् गणराज्य या भारत गणराज्य (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् एकत्रित रूप से "र्निमोक्ति" कहा गया है) के विरुद्ध कोई दावा कर सकेगा, ला सकेगा, दाखिल कर सकेगा या अनुरक्षित कर सकेगा, घोषणाकर्ता ऐसा दावा करने या लाने, फाइल करने या अनुरक्षित करने के संबंध में या उद्भूत सभी खर्चों, व्ययों (जिसके अंतर्गत अटर्नी की फीस और न्यायालय फीस भी है), ब्याज, नुकसानी और किसी प्रकार के अन्य दायित्व से और उसके विरुद्ध ऐसी निर्मुक्ति की क्षतिपूर्ति, प्रतिरक्षा और हानिरहित धारण करेगा । घोषणाकर्ता विशेष रूप से व्यक्त करेगा कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान से,

(i) इस वचनबंध के निष्पादन;

(ii) सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में किसी अन्य पक्षकार द्वारा किसी पृथक संबंधित वचनबंध का निष्पादन; और

(iii) इस वचनबंध की रूपरेखा के रूप में सभी लंबित कार्यवाहियों का अप्रतिसंहरणीय प्रत्याहरण,

के पश्चात् उपरोक्त संदर्भित सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में कोई अन्य दावा या संबंधित पंचाट, निर्णय या न्यायालय आदेश गणराज्य या भारत गणराज्य के विरुद्ध अधिशेष नहीं है। शंका को दूर करने के लिए घोषणाकर्ता की इस खंड के अधीन निर्मुक्ति क्षतिपूर्ति में किसी ऐसे तृतीय पक्षकार द्वारा लाया गया दावा जिसमें अधिकथित है कि उसने घोषणाकर्ता का दावा किसी पंचाट, निर्णय या न्यायालयों के आदेश अथवा सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन प्राप्त किया है, सम्मिलित होगा। इस प्रभाव का क्षतिपूर्ति बंधपत्र वचनबद्ध के भाग ढ़ से संलग्न है।

(ञ) शंका को दूर करने के लिए, घोषणाकर्ता पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी संबंधित दावे के विरूद्ध र्निमुक्ति सुनिश्चित करने के संबंध में किसी भी लोप या गलती की खंड (झ) में क्षतिपूर्ति के माध्यम से जोखिम लेता है। यदि घोषणाकर्ता ऐसे व्यक्ति से कोई र्निमुक्ति प्राप्त करने में विफल रहता है, तो घोषणाकर्ता वारंटी देता है कि वह भारत गणराज्य या किसी भी भारत गणराज्य की किसी प्रतिरक्षा व्यय, न्यायालय व्यय और नुकसानी से क्षतिपूर्ति करेगा। खंड (झ) और (ञ) के प्रभावी होने के लिए एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र इस वचनबद्ध के साथ संलग्न है।

(ट) घोषणाकर्ता इसके अतिरिक्त उपरोक्त खंडों में निर्दिष्ट किसी प्रकार की कार्यवाहियां या दावे अथवा उपरोक्त निर्दिष्ट किन्हीं सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाहियों या दावे (चाहे कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में हो) लाने से किसी पक्षकार (जिसके अंतर्गत कोई संबंधित पक्षकार या हितबद्ध पक्षकार सम्मिलित है, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं, भी है) सुकर बनाने, प्राप्त करने, बढ़ावा देने या अन्यथा सहायता करने से प्रविरत रहने का वचनबंध करेगा। घोषणाकर्ता प्ररूप 3 में सूचना प्रस्तुत करने से पहले किसी भी समय जहां नियम 11पच के अधीन प्ररूप 3 प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और अन्य मामालों में इस वचनबंद्ध के प्रस्तुत किए जाने से पहले, एक लोक सूचना या प्रेस रिलीज द्वारा अधिसूचित करेगा कि इस वचनबंध पर हस्ताक्षर द्वारा सुसंगत आदेश या आदेशों या किसी संबद्ध पंचाट, निर्णय, न्यायालय आदेश से उद्भूत या संबंधित कोई दावा अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस तरह की लोक सूचना या प्रेस रिलीज में अन्य बातों के अतिरिक्त, इस बात की पुष्टि शामिल होगी कि,

(i) घोषणाकर्ता (और उसके संबंधित पक्षकार) सदा के लिए अपरिसंहरणीय रूप से सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन, किसी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय आदेश के अधीन किसी अधिकार और उपबंधों पर किसी निर्भरता को त्याग देते हैं;

(ii) घोषणाकर्ता ने यह वचनबद्ध प्रदान किया है, जिसमें सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन, किसी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय आदेश के संबंध में या सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित किसी भी दावे के संबंध में गणतंत्र तथा किसी भारत गणराज्य की पूर्ण र्निमुक्ति सम्मिलित है।;

(iii) इस वचनबद्ध में र्निमुक्ति के विपरीत संबंद्ध पक्षकारों या हितबद्ध पक्षकारों सहित गणतंत्र या किसी भी भारत सहबद्ध के विरूद्ध लाए गए किसी भी दावे के लिए क्षतिपूर्ति भी सम्मिलित है; और

(iv) घोषणाकर्ता पुष्टि करता है कि वह इस तरह के किसी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय आदेश को अकृत और शून्य और बिना विधिक प्रभाव के उसी विस्तार तक मानता है जैसे कि इसे सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था और उस आधार पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या कार्यवाही अथवा दावा पेश नहीं करेगा। (ठ) घोषणाकर्ता यह पुष्ट करेगा कि यहां दिए गए वचनबंध भारत सरकार द्वारा प्रवर्तनीय होने के लिए आशयित है जिसके अंतर्गत इस वचनबंध के किन्हीं खंडों में निर्दिष्ट सभी कार्यवाहियों और दावों का अप्रतिसंहरणीय अभित्यजन, प्रत्याहरण या रोकना (जो समुचित हो) सुनिश्चित करना भी है।

(ड) घोषणाकर्ता व्यक्त करेगा और गारंटी देगा कि:-

(i) उसे लागू विधियों के अधीन इस वचनबंध का निष्पादन और परिदान करने की पूर्ण विधिक शक्ति और प्राधिकार है (इसमें लागू विधि के अधीन खंड (झ) व (ञ) में वर्णित क्षतिपूर्ति जारी करना सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है);

(ii) इस वचनबंध (इसमें लागू विधि के अधीन खंड (झ) व (ञ) में वर्णित क्षतिपूर्ति जारी करना सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है) का निष्पादन, परिदान और पालन सभी आवश्यक निगमित कार्यवाहियों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है इसमें लागू विधि के अधीन कोई बोर्ड संकल्प या समान प्रधिकार सम्मिलित है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है (टिप्पण 3 देखे);

(iii) यह वचनबंध उसकी निबंधनों के अनुसार घोषणाकर्ता के विरुद्ध प्रवर्तनीय, विधिक, विधिमान्य और घोषणाकर्ता पर बाध्यकारी बाध्यता का गठन करता है ;

(iv) उपरोक्त उप-खंडों (i) व (ii) तथा (iii) में वर्णित ऐसे प्राधिकार लागू विधियों के अधीन प्रभावी हैं, और इसके लिए, सुसंगत अधिकारिता के स्थानीय कौंसिल के पत्र इस वचनबद्ध से संलग्न हैं जो लागू विधियों के अधीन ऐसे प्राधिकरों की विधिमान्यता की पुष्टि करते हैं ; तथा

(ढ) घोषणाकर्ता यह पुष्ट करेगा कि वर्तमान वचनबंध को प्रस्तुत करके, वह धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 के छठे परंतुक के नीचे स्पष्टीकरण में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है।

(ण) उस बैंक खाते जिसमें प्रतिदाय जमा हो सकेगा के ब्यौरे उपाबंध के भाग ञ में दिए गए।

(त) हितबद्ध पक्षकारों के ब्यौरे उपाबंध के भाग ट और भाग ठ में दिए गए हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उपाबंध के भाग ड में वचनबंध, इस वचनबंध के साथ संलग्न है। घोषणाकर्ता यह व्यक्त करेगा और वारंटी देगा कि-

(i) उसे लागू विधियों के अधीन इस वचनबंध का निष्पादन और परिदान करने की पूर्ण विधिक शक्ति और प्राधिकार है ;

(ii) इस वचनबंध का निष्पादन, परिदान और पालन सभी आवश्यक निगमित कार्यवाहियों द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया है ;

(iii) यह वचनबंध उसकी निबंधनों के अनुसार घोषणाकर्ता के विरुद्ध प्रवर्तनीय, विधिक, विधिमान्य और घोषणाकर्ता पर बाध्यकारी बाध्यता का गठन करता है । इस वचनबंध के समान ऐसे पृथक्, संबंधित वचनबंध लिए जा सकते हैं ।

(थ) घोषणाकर्ता, नियम 11पच के उपनियम (6) के अधीन समाविष्ट नहीं है या उनको समाविष्ट नहीं किया गया हैं और यदि घोषणाकर्ता उक्त उपनियम के अधीन समाविष्ट नही किया जाता है तो नियम 11पङ के उपनियम (2) के अधीन उपबंधित शर्तों को पूरा किया जाएगा।

(द) यह वचनबंध भारतीय विधि द्वारा शासित है और इस वचनबंध के संबंध में कोई विवाद भारतीय विधियों के अध्यधीन होगा और यथास्थिति भारत में सुसंगत आय-कर प्राधिकारियों, अभिकरणों या न्यायालयों, जो अधिनियम के अधीन विवादों का विनिश्चिय करने के लिए सशक्त है, की अनन्य अधिकारिता के अधीन अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा।

में यह भी पुष्ट करता हूं कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों और विवक्षाओं से अवगत हूं ।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर

.....

संलग्नक

1. यथास्थिति, बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकार, जैसा कि वचनबद्ध के खंड (ड) में निर्दिष्ट है ;

2. वचनबद्ध के भाग ढ से संलग्न, वचनबद्ध के खंड (झ) और (ञ) के प्रभाव का एक क्षतिपूर्ति बद्धपत्र ;

3.वचनबद्ध के खंड (ट) में निर्दिष्ट लोक सूचना की प्रति, जहां नियम 11 पच के उपनियम (6) के अधीन प्ररूप3 प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

4.इस वचनबद्ध के उपाबंध के विभिन्न भागों के आवश्यकता अनुसार संलग्नक।

टिप्पण

1. यह सूचना प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है जहां हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध है।

2. कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या प्रदान की जानी चाहिए जहां स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या या घोषणाकर्ता का टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर उपलब्ध नहीं है।

3. बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकार, वचनबद्ध के खंड (ड) में यथा निर्दिष्ट अन्य बातों के अतिरिक्त :

(क) घोषणाकर्ता की ओर से वचनबद्ध देने के लिए हस्ताक्षरकर्ता शक्ति और प्राधिकार को अभिलिखित करें; और

(ख) वचनबद्ध के खंड (झ) के अनुसार भारत गणराज्य और भारतीय सहबद्धों की प्रतिरक्षा करने और उन्हें हानिरहित रखने के लिए घोषणाकर्ता की शक्ति और अधिकार को अभिलिखित करें।

सत्यापन

यह सत्यापन किया जाता है कि इस वचनबंध की विषयवस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है । इस वचनबंध का कोई भाग मिथ्या नहीं है और इसमें कुछ छिपाया या मिथ्या कथन नहीं किया गया है ।

स्थान.....मस.....पर तारीखदिन....मास......वर्ष को सत्यापित ।

स्थान.....

तारीख.....

हस्ताक्षर

.....

उपाबंध

भाग क – सुसंगत आदेशों की विशिष्टियां :

क्र.स.	निर्धारण	आदेश	विचार करने	ं योग्य	निर्धारित	ब्याज	कुल	किसी	घोषणाकर्ता	आज की	किसी
	वर्ष/	पारित	आदेश का विव	रण	कर/शास्ति		मांग	अपील	से वसूली की	तारीख पर	आय-कर
	वित्तीय	करने वाले						कार्यवाही	मांग	लंबित	अधिकारी
	वर्ष	आय-कर		<u> </u>				में		मांग/देय	द्वारा की
		प्राधिकारा	आय-कर	आदेश				उपबंधित		प्रतिदाय	गई कुर्की
			अधिनियम,	की				अनुतोष,			का विवरण
				तारीख				यदि कोई			
			धारा और					हों			
			उपधारा								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

भाग ख –वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड (i), खंड (ग) और खंड (घ) द्वारा आच्छादित सुसंगत आदेश या आदेशों का विवरण :

क्रम सं.	भाग	क	में	क्र.सं.,	किसी	आय-कर	प्राधिकारी	माध्यर	स्थम् य	ा सुलह	र या	किसी	पंचाट	, आदे	श या	निर्णय के
	जहां	सुसंग	गत	आदेश	या	किसी	अपीलीय	मध्यक	ता के	लिए	कोई	संबंध	में र	तंलग्नक	को	प्रवर्तित
	वर्णित	ा हैं			अधिक	रण या	अधिनियम	कार्यव	ाही शु	रू नहीं	ं की	करने ः	या आ	गे बढ़ा	ने के	लिए कोई
					की धा	रा 245 प	ग के अधीन	गई है	है और	किसी	भी	कार्यव	ाही अ	ारंभ न	ाहीं व	की गई है,
							वेनिर्णय के							-		
							ो या धारा		-							ा या अन्य
							के अधीन									शासनिक
							य के लिए									
							245 ख के							-		
							आयकर									
							ग या धारा			•	`			•		
							धीन गठित	~		~				~		
							ाए अंतरिम		•							
							अधिकरण									
							के समक्ष		ग)(i) मे	निदिष्ट	करे)			ध के	खड	(घ)(i) मे
							आवेदन या					निर्दिष्ट	! करे)			
							जर्यवाही में र्रे									
						~	की गई है – (−) (*) ⊃ें									
					-		ड (ख)(i) में									
					ानादष्ट	करें) ।										
(1)	(2)				(3)			(4)				(5)				
					लागू	होता है,	/लागू नहीं	लागू	होता	है/लागू	नहीं	लागू ह	होता है	१/लागू	नहीं	होता है
					होता है	5		होता है	है							

भाग ग :वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड (ii) और (iii) के अधीन अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही की विशिष्टियां:

क्रम	भाग का	में क्र.	सं.	जहां	अपीलों	या आ	वेदनों	याः	आयकर			अपीलों	या	ऐसी	अपीलों	ं या	आवेदन	ť
सं.	सुसंगत आं	देश व	र्णित	है	याचिका	ओं या	कार्यव	ाही !	प्राधिका	री	या	आवेदनों	या	या	याचि	का अं	ों य	Г
					की प्रकृति	ते		ŝ	अधिनिय	रम	की	याचिकाओं	या	कार्यव	गहियों	के प	प्रत्याहरण	Г
								ę	धारा 24	י 45	ण के	कार्यवाही	को	के वि	नेपटान	की	तारीख	T
								ŝ	अधीन	ग	ाठित	फाइल करने	की	(कृपर	ग आयव	कर प्र	गाधिकार्र	Ì
								ŝ	अग्रिम	विन्	नेर्णय	तारीख		या ः	अधिनिय	गम र	की धार	Г
									के		लिए			245	ण के	अधी	न गठित	ſ
								3	प्राधिका	री	या			अग्रिग	न विनि	र्णय	के लिए	ì
								ę	धारा 2	45	णख			प्राधि	कारी य	ा ध	ारा 24	5
									के अधीन	न अ	ग्रिम			णख	के अध	ग्रीन	अग्रिम	ſ
								1	वेनिर्णय	ा के	लिए			विनि	र्णय के	लिए	बोर्ड य	Г
									बोर्ड य	त ध	धारा			धारा	245	ख वे	के अधीन	ſ
									245	ख	के			गठित	ा आय	कर	बंदोबस्त	ſ
								ŝ	अधीन	শ	ाठित			आयो	ग या ध	ारा	245 कव	n
								ŝ	आयकर	बंदो	बस्त			के अ	धीन ग	ठित	बंदोबस्त	ſ
								ŝ	आयोग	या ध	धारा			के रि	रेए अंत	रिम	बोर्ड य	Г

			245 कक के		किसी अधिकरण या
			अधीन गठित		न्यायालय जो प्रत्याहरण/
			बंदोबस्त के लिए		निपटान को स्वीकार करते
			अंतरिम बोर्ड या		हैं, के आदेश की प्रतिलिपि
			किसी अधिकरण		संलग्न करें)
			या न्यायालय		
			जिसके समक्ष		
			ऐसी अपीलों या		
			आवेदनों या		
			याचिकाओं या		
			कार्यवाहियां		
			फाइल की गई है		
			1		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(0)	(ד)	(0)	(0)

विवरण :

क्र.सं.	भाग	क में	क्र.	सं.	जहां	सुसंगत	अपीलों	या	आवे	दनों	या	आयव	कर	प्रा	धेका	री	अपील	ों य	ा आवे	र्वेदनों
	आदेश	। वर्णित	है				याचिकाओ	ं या	7	कार्यव	ाहियों	या	अधि	निय	म	की	या र	पाचि	काओं	या
							कार्यवाही	की प्र	कृति								कार्यव	~		<u> </u>
																	करने व	की ता	रीख	
													र्णय			'				
													कारी							
													णख							
													म्							
													बोर्ड							
													ख							
													Ŧ							
													बस्त							
													24							
													न गति							
													नेए अ							
													किसी							
													-याया							
													ग ऐसी	ो अर्प	ोलों	या				
												आवेव				या				
													ाकाओं			या				
													वाही	फाइ	्ल	की				
												गई है	है।							
(1)	(2)						(3)					(4)					(5)			

	·	¥ — →			<u>.</u>			_					-		-
क्र.स.	भाग क में			<u>،</u>	जहां							माध्यस्थम्			
	जहां	-			माध्यस्थम्		या मध्य			-		सुलह		सुलह	या
	आदेश वर्षि	र्णेत है	सूचना	के	सुलह	या									
			साथ		मध्यकता		कार्यवार्ह	ो व	को शुरू	नाम,	जिसके	लिए		सूचनाओं	के
			माध्यस्थम्	[,	लंबित है	या	करने की	तार	ीख	अंतर्गत	Г	कार्यवाही	की	लिए ं	ऐसी
			सुलह	या	उसकी					माध्यर	थम्,	स्थिति		कार्यवाही	के
			मध्यकता	या	सूचनाएं					सुलह	या			निपटान	
			सूचनाओं	की	जारी की	गई				मध्यक	ता की			प्रत्याहरण	की
			प्रकृति		हैं, ऐ	ुसी				कार्यव	हियां			तारीख	
					कार्यवाही	के				लंबित	हैं			(कृपया स	ाक्ष्य
					विवरण									सहित,	
					(जिसके									अधिकरण	या
					अंतर्गत [:]	देश								न्यायालय	या
					का नाम	भी								अन्य न्या	येक
					होगा)									या अ	अर्ध-
														न्यायिक	या
														प्रशासनिव	ন
														प्राधिकारी	ो के
														आदेश के	ऐसे
														निपटान	
														प्रत्याहरण	को
														संलग्न करें	
(1)	(2)		(3)		(4)		(5)			(6)		(7)		(8)	

भाग ङ – वचनबंध के खंड (ग) के उपखंड (ii) और (iii) के अधीन माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता या सूचनाओं का विवरण:

भाग च – वचनबंध के खंड (ग)के उपखंड (iv) के अधीन माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता या सूचनाओं का विवरण:

क्र.सं.	भाग क में क्र. सं. जहां	वाद संख्या/दी	जहां	माध्यस्थम्, सुलह या	भारत द्वारा	माध्यस्थम्,
	सुसंगत आदेश वर्णित हैं	गई सूचना के	माध्यस्थम्,	मध्यकता/जारी सूचना	किए गए करार	सुलह या
		साथ	सुलह या	के लिए कार्यवाही को	का नाम, जिसके	मध्यकता के
		माध्यस्थम्,	मध्यकता लंबित	शुरू करने की तारीख	अंतर्गत	लिए कार्यवाही
		सुलह या	है या उसकी		माध्यस्थम्,	की स्थिति
			सूचनाएं जारी		सुलह या	
		· ·	की गई हैं, ऐसी		मध्यकता की	
			कार्यवाही के		कार्यवाही	
		• `	विवरण (जिसके		लंबित हैं	
			अंतर्गत देश- का			
			नाम भी होगा)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

	भाग क में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित हैं	या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की प्रकृति	अंतर्गत देश का नाम भी होगा),	निर्णय या कोई अन्य संदर्भ संख्या के साथ अनुतोष की तारीख	निर्णय या किसी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग छ – वचनबंध के खंड ग के उपखंड (v) के अधीन पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य अनुतोष की विशिष्टियां :

भाग ज – वचनबंध के खंड (घ) के उपखंड (ii) और (iii) के अधीन किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य अनुतोष को प्रवर्तित कराने के लिए कार्यवाही की विशिष्टियां:

क्र.सं.	भाग	क	में	क्र. सं.	ऐसे	पंचाट,	विशिष्टि	यां	किसी	पंचाट,	ऐसे	पंचाट,	ऐसे	पंचाट,	ऐसे	पंचाट,	आदेश
	जहां	सुसं	गत	आदेश	आदेश	या	(जिसके		आदेश	या	आदेश	ं या	आदेश	या	या वि	नेर्णय य	ा किसी
	वर्णित	ा हैं			निर्णय	या	अंतर्गत	देश	किसी	अन्य	निर्णय	े या	निर्णय	या	अन्य	अनुत	ोष को
					किसी	अन्य	का नाग	न भी	अनुतो	ष को	निर्णय	े या	किसी	अन्य	लागू	कराने	के लिए
					अनुतोष	ं की	होगा),	जहां	लागू	कराने	किसी	अन्य	अनुतोग	त्र को	कार्यव	वाही	के
					प्रकृति		ऐसे	किसी	के	लिए,	अनुतो	ष की	लागू व	<mark>कराने</mark> के	निपट	ान प्र	त्याहरण
							पंचाट,	आदेश	कार्यव	ाही को	प्रकृति		लिए		की र	तारीख	(कृपया
							या निर्ण	य या	फाइल	करने			कार्यवा	ही	न्याय	ालय र	ग अन्य
							किसी	अन्य	की ता	रीख			(हियों)	की	न्यारि	येक प्रा	धिकारी
							अनुतोष	की					स्थिति		के आ	ादेश स	हेत ऐसे
							कार्यवाह	<u>री</u>					(उसकी	F	निपट	ान/ प्र	त्याहरण
							लागू हो	ती हैं					, प्रतिलि		के	साक्ष्य	ं की
													संलग्न व		प्रतिर्वि	लेपि	संलग्न
														• • •	करें)		
(1)	(2)				(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		

भाग झ – वचनबंध के खंड (घ) के उपखंड (iv) के अधीन किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या कोई अन्य अनुतोष को प्रवर्तित कराने के लिए कार्यवाही की विशिष्टियां :

क्र.सं.	भाग	क	में क्र.	सं.	जहां	ऐसे		पंचाट,	विशिष्टि	र्या	किसी	ं पंच	ाट,	आदेश	ऐसे		पंचाट,	ऐसे	पंचाट,
	सुसंग	तः	आदेश	वर्णि	त हैं	आदेः	श या	निर्णय	(जिसके	ं अंतर्गत	या वि	नेर्णय	या	किसी	आदेश	श या	निर्णय	आदेश	या
						या	कोई	अन्य	देश का	नाम भी	अन्य	अन्	गु तोष	को	या	किसी	अन्य	निर्णय	या कोई
						अनुत	ोष क	ने लागू	होगा),	जहां	लागू	करान्	ने के	लिए,	अनुत	ोष	की	अन्य	अनुतोष
						करान्	Ì	की	ऐसे	किसी	कार्यव	बाही	(हियं	ों) को	प्रकृति	ते		को ल	ागू कराने
						कार्यः	वाही	(हियों)	पंचाट,	आदेश	फाइल	न व	करने	की				की	कार्यवाही
						की प्र	कृति		या नि	र्णय या	तारीग	ब						(हियों)) की
									किसी	अन्य								स्थिति	
									अनुतोष	ा की									

			कार्यवाही (हियां) लागू होती हैं			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग ञ – भारत में बैंक खाता का विवरण, जिसमें प्रतिदाय प्रेषित किया जाना है :

क्रम. सं.	बैंक का नाम और पता	खाता संख्या और प्रेषण के लिए अन्य आवश्यक विवरण
(1)	(2)	(3)

भाग ट –सभी कंपनियां या अंतिम नियंत्री कंपनी तक घोषणाकर्ता के संपूर्ण श्रृंखला धृति में इकाइयां या घोषणाकर्ता की इकाई का ब्यौरा :

क्रम सं.	नियंत्री कंपनी का नाम	वचनबंध की तारीख के अनुसार	यदि घोषणाकर्ता में स्वामित्व सीधे ऐसी
		घोषणाकर्ता में ऐसी नियंत्री	नियंत्री कंपनी के पास नहीं है, तो स्वामित्व
		कंपनी के स्वामित्व का प्रतिशत	की श्रृंखला में सभी कंपनियों के नाम के साथ
			स्वामित्व की श्रृंखला
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग ठ –भाग ट के अधीन आने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अन्यथा सभी हितबद्ध पक्षकारों के ब्योरे:

	इस वचनबंध द्वारा, जिनका हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है, ऐसे सभी व्यक्तियों का नाम	· • •	ऐसे व्यक्ति के व्याज की रकम (सं.), यदि उपलब्ध हो
(1)	(2)	(3)	(4)

भाग ड

<u>वचनबंध के भाग ट और भाग ठ में घोषित व्यक्तियों द्वारा वचनबंध</u>

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

.....

महोदय/महोदया,

- (क) घोषणाकर्ता के मामले में 28 मई, 2012 से पूर्व भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व किसी शेयर या हित के अंतरण के परिणाम स्वरुप भारत में स्थित किसी अस्तित्व या पूंजी आस्ति के अंतरण से प्रोद्भूत होने वाली या उसके माध्यम से या उससे उद्भूत होने वाली अन्य की बाबत पारित किए गये या किए गए हैं, के विनिर्दिष्ट आदेशों की विशिष्टियां -
- (ख) हितबद्ध पक्षकार के पास (लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें),
 - (i) अधिनियम की धारा 245-त के अधीन गठित किसी भी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम निर्णयों के लिए प्राधिकरण या धारा 245-तख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग के समक्ष कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही नहीं की है। 245ख या धारा 245कक के अधीन गठित अंतरिम बोर्ड या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध कोई अधिकरण या न्यायालय, और वचन देता हूं कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही नहीं करेगा।. ऐसे सुसंगत आदेश या आदेशों का ब्यौरे उपाबंध के भाग डख में दिया गया है;
 - (ii) अधिनियम की धारा 245-त के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-तख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग के समक्ष एक या अधिक अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही की या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध धारा 245कक या किसी अधिकरण या न्यायालय के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड और ऐसी सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस ले लिया है या ऐसा प्ररूप 1 करने की तारीख से पहले किसी भी समय अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही का निपटान किया गया है, और वचन देता हूं कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही नहीं करेगा।. ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या हितबद्ध पक्षकार द्वारा और अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस ली गई कार्यवाही का ब्यौरे उपाबंध के भाग डग में दिया गया है;
 - (iii) अधिनियम की धारा 245-त के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-तख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग के समक्ष एक या अधिक अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही की या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध धारा 245कक या किसी **अधिकरण या न्यायालय** के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड और हितबद्ध पक्षकार द्वारा सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही का निपटान कर दिया गया है और आगे कोई अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही नहीं की गई है। हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया है और इसके साक्ष्य इसके साथ प्रस्तुत किए गए हैं और वचन देते हैं कि यह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही नहीं करेगा।ऐसी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं का ब्यौरे उपाबंध के भाग ग में दिया गया है;
 - (iv) अधिनियम की धारा 245-त के अधीन गठित किसी आयकर प्राधिकरण या अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण या धारा 245-तख के अधीन अग्रिम निर्णय बोर्ड या धारा 245ख के अधीन गठित आयकर समझौता आयोग के समक्ष अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही की या सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध धारा 245कक या किसी अधिकरण या न्यायालय के अधीन गठित अंतरिम समझौता बोर्ड और इस तरह की एक या अधिक अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही इस वचनबंध की तारीख को लंबित हैं और अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस लेने, समाप्त करने का वचन देता है

और ऐसी किसी भी और सभी अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही को बंद कर दें जो नीचे दिए गए खंड (ड) के अनुसार इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख तक लंबित हैं। हितबद्ध पक्षकार आगे वचन देता है कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध ऐसी कोई अपील, आवेदन, याचिका या कार्यवाही नहीं करेगा. ऐसी लंबित अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई कार्यवाही और इस वचनबंध की तारीख के अनुसार उनकी स्थिति का ब्यौरे उपाबंध के भाग घ में दिया गया है। का ब्यौरेइस खंड (ख) में वर्णित किसी भी अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही जो उप-खंड (i) और (ii) द्वारा शामिल नहीं की जाती हैं, उपाबंध के भाग डघ में भी प्रदान की जाती हैं;

- (ग़) हितबद्ध पक्षकार के पास (लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें),
 - (i) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है, और किसी भी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन कोई नोटिस नहीं दिया गया है, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरुद्ध, और वचन देता है कि वह ऐसी कोई पहल नहीं करेगा मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता भविष्य में. ऐसे सुसंगत आदेश या आदेशों का ब्यौरे उपाबंध के भाग डख में दिया गया है;
 - (ii) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए शुरू की गई कार्यवाही, या नोटिस, किसी भी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी भी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन, निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा के विरूद्ध दिया गया है सुसंगत आदेश या आदेश और मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए ऐसी किसी भी कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस ले लिया है, और इसके नोटिस दिया गया है। हितबद्ध पक्षकार वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से शुरू नहीं करेगा या ऐसी कोई कार्यवाही शुरू या नहीं करेगा मध्यक्ता, सुलह या भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में उत्पन्न होने वाली मध्यक्ता। मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए ऐसी कार्यवाही का ब्यौरे और उसके दिए गए नोटिस, जो हितबद्ध पक्षकार द्वारा शुरू किए गए और अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस लिए गए हैं, उपाबंध के भाग डङ में दिया गया है;
 - (iii) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए शुरू की गई कार्यवाही, या नोटिस, किसी भी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी भी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन, निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा के विरूद्ध दिया गया है सुसंगत आदेश या आदेश और हितबद्ध पक्षकार द्वारा सभी मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता का निपटान कर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा आगे कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है और इसके साक्ष्य यहां प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसी कार्यवाही का ब्यौरे उपाबंध के भाग डड. में दिया गया है।,
 - (iv) मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, या नोटिस दिया गया है, किसी भी विधि के अधीन या भारत के बाहर किसी अन्य देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी समझौते के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा सुसंगत आदेश या आदेशों के विरूद्ध और इस तरह की एक या अधिक कार्यवाही या नोटिस वचनबंध की तारीख को लंबित हैं और मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए लंबित किसी भी और ऐसी सभी कार्यवाही या नोटिस को अप्रतिसंहरणीय रूप से वापस लेने, समाप्त करने और बंद करने का वचन देता है। नीचे दिए गए खंड (ड) के अनुसार इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख पूर्वाग्रह के आधार पर ऐसी लंबित कार्यवाही का ब्यौरे और हितबद्ध पक्षकार द्वारा नोटिस, उपाबंध के भाग एफ में प्रदान किए गए हैं। हितबद्ध

पक्षकार आगे वचन देता है कि वह भविष्य में सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में या उसके संबंध में ऐसी कोई मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता शुरू नहीं करेगा। मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता के लिए किसी भी कार्यवाही का ब्यौरे, या उसके नोटिस, जो उप-खंड (i) और (ii) द्वारा शामिल नहीं किए जाते हैं, उपाबंध के भाग डच में भी प्रदान किए जाते हैं;

- (v) हितबद्ध पक्षकार हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में जारी किए गए इस तरह के पंचाट, आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए गणराज्य द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में खर्च के लिए किसी भी दावे की मांग करने या उसका पीछा करने के किसी भी अधिकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से समाप्त करने का वचन देती है। हितबद्ध पक्षकार वचन देती है कि वह ऐसी कोई मध्यक्ता शुरू या नहीं करेगी, भविष्य में सुलह या मध्यक्ता। ऐसे पुरस्कारों, आदेशों, निर्णयों या किसी अन्य अनुतोष का ब्यौरे उपाबंध के भाग डछ में दिया गया है;
- (घ) हितबद्ध पक्षकार के पास (लागू न होने वाले विकल्पों को काट दें),
 - (i) किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी भी अन्य अनुतोष के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है, जो किसी भी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किया जा सकता है। इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट के रूप में हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता कार्यवाही या तो गणराज्य और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध, और इसके द्वारा यह वचन देता है कि यह भविष्य में ऐसी कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। ऐसे अधिनिर्णय, आदेश या निर्णय का ब्यौरे उपाबंध के भाग डख में दिया गया है;
 - (ii) उक्त मध्यक्ता के संबंध में किसी भी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू की।, गणराज्य और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्द्धि हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में सुलह या मध्यक्ता की कार्यवाही। हितबद्ध पक्षकार ने ऐसी किसी भी कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार पर वापस ले लिया है या बंद कर दिया है और इसके द्वारा यह वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से नहीं खोलेगा या संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए नई कार्यवाही दर्ज नहीं करेगा। हितबद्ध पक्षकार द्वारा शुरू की गई और वापस ली गई या बंद की गई ऐसी कार्यवाही का ब्यौरे उपाबंध के भाग डज में दिया गया है;
 - (iii) उक्त मध्यक्ता के संबंध में किसी भी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए कार्यवाही शुरू की।, गणराज्य और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में सुलह या मध्यक्ता की कार्यवाही। हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई ऐसी सभी कार्यवाही का निपटान कर दिया गया है और हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई आगे की कार्यवाही नहीं की गई है और इसके साथ साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और वचन देता है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी कार्यवाही को फिर से नहीं खोलेगा या लागू करने के लिए या नई कार्यवाही शुरू नहीं करेगा या अन्लग्नकों की कार्यवाही का ब्यौरे,
 - (iv) उक्त के संबंध में किसी भी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक, न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा आदेशित, जारी या पारित किए गए किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए

कार्यवाही शुरू की। इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता कार्यवाही, या तो गणराज्य और किसी भी भारत गणराज्य के विरुद्ध और ऐसी एक या अधिक कार्यवाही वचनबंध की तारीख पर लंबित हैं और. हितबद्ध पक्षकार ने किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण से एक या अधिक आदेश प्राप्त किए हैं जो भारत और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध शेष हैं। हितबद्ध पक्षकार वचन देती है कि वह भविष्य में किसी भी पंचाट. आदेश. निर्णय. या किसी अन्य अन्तोष के संबंध में संलग्नक को लाग करने या आगे बढ़ाने के लिए ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगी जो किसी अधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक द्वारा आदेशित. जारी या पारित की गई हो। . इस वचनबंध के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में उक्त मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता कार्यवाही के संबंध में न्यायिककल्प या प्रशासनिक प्राधिकरण या किसी भी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण से आदेशों को लागू करने के लिए जो भारत के विरूद्ध शेष हैं और कोई भी भारत गणराज्य हितबद्ध पक्षकार आगे गणतंत्र और/या किसी भी भारत गणराज्य के साथ पुरी तरह से सहयोग करने के लिए चलाती है जो इस तरह के शेष आदेश के अंतर्गत है, ताकि ऐसे किसी भी उत्कृष्ट आदेश को अलग या अन्यथा निष्प्रभावी किया जा सके. और अटल और पूर्वाग्रह के साथ ऐसे शेष आदेश से उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या उपचार को माफ कर दिया गया है । ऐसी कार्यवाही का ब्यौरे उपाबंध के भाग डझ में दिया गया है। किसी भी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य अन्तोष के संबंध में संलग्नक को लागू करने या आगे बढ़ाने के लिए ऐसी किसी भी कार्यवाही का ब्यौरे, जो उपखंड (i) और (ii) में शामिल नहीं हैं, उन्हें भी उपाबंध के भाग डझ में दिया गया है। हितबद्ध पक्षकार किसी भी और ऐसी सभी कार्यवाही अप्रतिसंहरणीय रूप से पुर्वाग्रह के आधार पर नीचे दिए गए खंड (ड.) के अनुसार संलग्न हैं:

(ड) हितबद्ध पक्षकार निम्नानुसार वचन देता है।

- (i) खंड (ख) के उप-खंड (iv), खंड (ग), उप-खंड (iv) के उप-खंड (iv) में विनिर्दिष्ट लंबित कार्यवाही को अप्रतिसंहरणीय रूप से पूर्वाग्रह के आधार वापस लेने, बंद करने, समाप्त करने और सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए। इस वचनबंध के खंड (ग) और उप-खंड (iv) के खंड (घ) के साथ-साथ सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित भारत या भारतीय सहयोगियों के विरूद्ध कोई अन्य लंबित कार्यवाही और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट नहीं है, (ग) और (घ) ऊपर, और भविष्य में किसी भी तरह से और किसी भी तरह से लंबित कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, जैसा कि उपरोक्त खंड (ख), (ग), और (घ) में विनिर्दिष्ट है, और किसी भी अन्य लंबित कार्यवाही से संबंधित है सुसंगत आदेश या आदेश जो उपरोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं और सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित कोई अन्य नई कार्यवाही। इतने अभिनय में,
- (ii) चाहे वह हितबद्ध पक्षकार द्वारा या भारत और किसी भारत गणराज्य द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में हो। शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार की अप्रतिसंहरणीय छूट में पूर्वाग्रह के आधार किसी भी मौजूदा पूर्व-पक्षीय, अनंतिम, या अन्य प्रकार के अदालती आदेश द्वारा प्रदान किए गए किसी भी अधिकार की अप्रतिसंहरणीय छूट शामिल है, जो किसी भी पंचाट को आगे बढ़ाने में गणतंत्र और किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध प्रवर्तन या कुर्की की अनुमति देता है।, आदेश निर्णय, या कोई अन्य अनुतोष जो उपरोक्त खंड (ख), (ग) और (घ) में विनिर्दिष्ट किसी भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा आदेशित या जारी या पारित की गई हो सकती है। हितबद्ध पक्षकार आगे गणतंत्र और/या किसी भी भारत गणराज्य के साथ पूरी तरह से सहयोग करने के लिए चलाती है जो खंड (घ) में विनिर्दिष्ट किसी भी उत्कृष्ट आदेश के अंतर्गत है, ताकि ऐसे किसी भी उत्कृष्ट आदेश को अलग या अन्यथा निष्प्रभावी किया जा सके, और आगे शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार भारत और किसी भी भारत गणराज्य द्वारा इस तरह के पंचाट, आदेश या निर्णय को रद्द करने के लिए शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में खर्च के लिए किसी भी दावे को मांगने या आगे बढ़ाने के किसी भी अधिकार को छोड़ने का वचन देती है। हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में।

(iii) इस तरह के पंचाट, आदेश या निर्णय, या हितबद्ध पक्षकार के पक्षकार में जारी किसी भी अन्य **अनुतोष** को रद्द करने के लिए गणराज्य द्वारा शुरू की गई किसी भी कार्यवाही के संबंध में खर्च के लिए किसी भी दावे को मांगने या आगे बढ़ाने के किसी भी अधिकार को अप्रतिसंहरणीय रूप से छोड़ने के लिए।

(च) हितबद्ध पक्षकार विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करता है कि इस वचनबंध में वर्णित उपाबंध के सभी भाग उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार पूर्ण एवं सही हैं।

(छ) या समय की शुरुआत से इस वचनबंध की तारीख तक और उसके पश्चात् भविष्य में उक्त आय या सुसंगत आदेश या आदेश, या किसी भी संबंधित पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश के कराधान के संबंध में होने वाली लोप, जो अन्यथा इच्छुक के लिए उपलब्ध हो सकती है किसी भी विधि के अधीन पक्षकार, इक्विटी में, किसी भी क़ानून के अधीन या भारत के बाहर किसी भी देश या क्षेत्र के साथ भारत द्वारा किए गए किसी भी समझौते के अधीन, चाहे निवेश की सुरक्षा के लिए या अन्यथा, चाहे वह इच्छुक द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में हो पक्षकार या भारत और किसी भी भारत गणराज्य द्वारा। शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार की उपरोक्त छूट में सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में किए गए खर्च या अर्जित ब्याज के लिए भारत और किसी भी भारत गणराज्य के विरुद्ध किसी भी दावे की अप्रतिसंहरणीय छूट शामिल है, या कोई संबंधित चल रही या पूरी की गई मुकदमेबाजी, मध्यस्तम, सुलह या मध्यक्ता। इसके अतिरिक्त, किसी भी शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार सुसंगत आदेश या आदेशों या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन किसी भी पंचाट, निर्णय, या अदालती आदेश के अधीन किसी भी अधिकार पर निर्भरता को त्यागने का वचन देती है।

(ज) हितबद्ध पक्षकार आगे यह और अभ्यावेदन करता है कि इस वचनबंध की तारीख तक इसने अपने किसी भी दावे को किसी भी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय के आदेश सुसंगत आदेश या आदेशों या सुसंगत आदेश से संबंधित या आदेशों के अधीन तीसरे पक्षकार को स्थानांतरित नहीं किया है, या कोई अधिकार प्रदान नहीं किया है और आगे इस वचनबंध के किए जाने के पश्चात् अपने किसी भी दावे को तीसरे पक्षकार को अंतरित नहीं करने का वचन देता है।

(झ) इस दशा में, पूर्वगामी के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति इस वचनबंध को प्रस्तुत करने की तारीख को या उसके पश्चात् किसी भी समय गणतंत्र या भारतीय सहयोगियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् सामूहिक रूप से "निर्गम" कहा गया है) के विरूद्ध कोई दावा करता है, लाता है, करता है या चलाता है, हितबद्ध पक्षकार किसी भी और सभी लागतों, खर्चों (न्यायवादी फीस और न्यायालय फीस सहित), ब्याज, नुकसान, और किसी भी प्रकृति की देनदारियों जो ऐसे दावे करने या लाने फाइल करने या चलाने के कारण या उससे संबंधित किसी भी रूप में उत्पन्न होते हैं से और उनके प्रति क्षतिपूर्ति, प्रतिरक्षा करेगा और हानिरहित रखेगा।, ऐसे दावे को लाना या बनाए रखना। हितबद्ध पक्षकार विविनिर्दिष्ट रूप से यह अभ्यावदेन करता है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार,

- (i) इस वचनबंध के निष्पादन;
- (ii) सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में किसी अन्य पक्षकार द्वारा किसी अलग संबंधित वचनबंध का निष्पादन; और
- (iii) इस वचनबंध में यथा उल्लिखित सभी लंबित कार्यवाही के अप्रति संवरहणीय प्रत्याहरण के पश्चात् ,

उक्त सुसंगत आदेश या ऊपर विनिर्दिष्ट आदेश, या किसी भी संबंधित पंचाट, निर्णय, या न्यायालय के आदेश के संबंध में कोई अन्य दावा, गणतंत्र या किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध अशोधित नहीं रहेगा। किसी भी शंका को दूर करने के लिए, निर्गमों की हितबद्ध पक्षकार की क्षतिपूर्ति में किसी तीसरे पक्षकार द्वारा लाए गए किसी भी दावे को यह अभिवादन करते हुए शामिल किया जाएगा कि उसने एक पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश या सुसंगत आदेश या आदेश के अधीन हितबद्ध पक्षकार के दावों को प्राप्त कर लिया है। वचनबंध के भाग ढ से इस प्रभाव का क्षतिपूर्ति बंधपत्र संलग्न है।

> (ञ)किसी भी शंका को दूर करने के लिए, हितबद्ध पक्षकार पूरी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी संबंधित दावे के विरूद्ध निर्मम सुनिश्चित करने के संबंध में किसी भी लोप या गलती की इस क्षतिपूर्ति के

माध्यम से खंड (i) में जोखिम लेती है। यदि हितबद्ध पक्षकार ऐसे व्यक्ति से कोई निर्गम प्राप्त करने में विफल रहता है, तो हितबद्ध पक्षकार वारंट करती है कि वह भारत गणराज्य या किसी भी भारत गणराज्य को किसी भी रक्षा खर्च, अदालती खर्च और नुकसान से क्षतिपूर्ति करेगी। खंड (i) और (j) के प्रभाव के लिए एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र वचनबंध के साथ संलग्न है।

(ट) हितबद्ध पक्षकार आगे किसी भी पक्षकार (जिसके अंतर्गत कोई संबंधित पक्षकार भी है लेकिन यह उस तक सीमित नहीं है) को किसी भी कार्यवाही या उपरोक्त खंडों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार के दावों, या किसी भी कार्यवाही या दावे को लाने में सहायता करने, खरीदने, प्रोत्साहित करने या अन्यथा सहायता करने से विरत रहने करने का वचन देती है। उपरोक्त विनिर्दिष्ट किसी भी सुसंगत आदेश या आदेश से संबंधित कोई भी प्रकार को (चाहे कर, ब्याज या शास्ति के संबंध में)। हितबद्ध पक्षकार एक सार्वजनिक नोटिस या प्रेस निर्गम द्वारा सूचित करेगी कि इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करने से संबंधित आदेश या आदेश या किसी संबंधित पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित कोई भी दावा अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। इस तरह के सार्वजनिक नोटिस में अन्य बातों के अतिरिक्त, इस बात की पृष्टि शामिल होगी कि,

- (i) हितबद्ध पक्षकार सदैव तथा अप्रतिसंहरणीय रूप से सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन किसी भी पंचाट, निर्णय, या अदालती आदेश के अधीन किसी भी अधिकार और प्रावधानों पर निर्भरता को त्याग देता है;
- (ii) हितबद्ध पक्षकार ने यह वचनबंध प्रदान किया है, जिसमें सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित गणतंत्र या किसी भी भारत गणराज्य ,किसी भी पंचाट, निर्णय, या न्यायालय के आदेश के संबंध में या सुसंगत आदेश या आदेशों के अधीन, और संबंधित किसी भी दावे के संबंध में है।
- (iii) इस वचनबंध में गणतंत्र या किसी भी भारत गणराज्य के विरूद्ध निर्गम के किसी भी दावे के विरूद्ध क्षतिपूर्ति भी शामिल है; तथा
- (iv) हितबद्ध पक्षकार पुष्टि करता है कि वह ऐसे किसी भी पंचाट, निर्णय, या अदालती आदेश को अकृत और अकृत और बिना विधिक प्रभाव के उसी सीमा तक मानेगा ,मानो कि इसे सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।

(ठ)हितबद्ध पक्षकार पुष्टि करती है कि इसमें दिए गए वचनबंधों का आश्य भारत सरकार द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है, जिसमें इस वचनबंध के किसी भी खंड में विनिर्दिष्ट सभी कार्यवाही और दावों की अप्रतिसंहरणीय छूट, वापसी या समाप्ति (जैसा उपयुक्त हो) को सुनिश्चित करना शामिल है।

(ड)हितबद्ध पक्षकार प्रतिनिधित्व करती है और वारंट करती है कि:

- (i) इसके पास इस वचनबंध को निष्पादित करने और वितरित करने का पूर्ण विधिक अधिकार और प्राधिकार है (लागू विधि के अधीन खंड (i) में वर्णित क्षतिपूर्ति जारी करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है);
- (ii) इस वचनबंध के निष्पादन ,परिदान और निश्पादन(खंड (i) और खंड(अ) में वर्णित क्षतिपूर्ति जारी करने तक सीमित नहीं है) को सभी आवश्यक कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है, जिसमें किसी भी बोर्ड संकल्प या लागू के अधीन समान प्राधिकरण शामिल है किन्तु सीमित नहीं है विधि (टिप्पण 3 देखें);
- (iii) यह वचनबंध हितबद्ध पक्षकार के विधिक, वैध और बाध्यकारी दायित्व का गठन करता है, जिसे हितबद्ध पक्षकार के विरूद्ध उसकी शर्तों के अनुसार लागू किया जा सकता है;
- (iv) उपरोक्त उप-खंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iii) में वर्णित ऐसे प्राधिकार लागू विधि के अधीन प्रभावी हैं, और इसके लिए, संबंधित अधिकार क्षेत्र में स्थानीय परामर्शी के पत्र इस वचनबंध से संलग्न हैं जो लागू विधि के अधीन ऐसे प्राधिकरणों की वैधता की पुष्टि करते हैं; तथा

(ढ)यह वचनबंध भारतीय विधि द्वारा शासित है और इस वचनबंध के संबंध में कोई भी विवाद भारतीय कानूनों के अधीन होगा और भारत में यथास्थिति सुसंगत आयकर प्राधिकारियों, या अधिकरणों या न्यायालयों के अनन्य अधिकारिता के अधीन अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार विनिश्चय जाएगा। जो अधिनियम के अधीन विवादों को तय करने के लिए सशक्त हैं।

मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि मैं इस वचनबंध के सभी परिणामों और प्रभावों से अवगत हूं।

स्थान:

तारीख:.....

हस्ताक्षर

.....

संलग्नक

- 1. बोर्ड संकल्प और विधिक प्राधिकरण, जैसा कि भाग ड के खंड (ड) में निर्दिष्ट है।
- 2. ,भाग ड के खंड (झ) और (ञ) के आशय के लिए एक क्षतिपूर्ति बंधपत्र;
- 3. प्ररूप ठ में वचनबंध के भाग ढ़ के भाग (ट) में विनिर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना की प्रति, जहां नियम 11 पच के उपनियम (6) के अधीन प्ररूप 3 प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- 4. इस वचनबंध के खंड (ड) के उपाबंध के विभिन्न भागों के यथाअपेक्षित उपाबंध है।

टिप्पणियाँ

- 1. यह जानकारी वहां प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जहां हस्ताक्षरकर्ता का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध है।
- 2. कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या वहां प्रदान की जानी है जहां हितबद्ध पक्षकार का स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर उपलब्ध नहीं हैं।
- 3. अन्य बातों के साथ बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण, जैसा कि वचनबंध के खंड (ड) में निर्दिष्ट है:
 - (क) हितबद्ध पक्षकार की ओर से वचन बंध देने के लिए हस्ताक्षरकर्ता की शक्ति और प्राधिकार को अभिलिखित करेगा; और
 - (ख) वचनबंध के खंड (झ) के अनुसार भारत गणराज्य और भारतीय सहयोगियों की प्रतिरक्षा करने और उन्हें हानिरहित रखने के लिए हितबद्ध पक्षकार की शक्ति और प्राधिकार को अभिलिखित करेगा ।

सत्यापन

यह सत्यापित किया गया है कि इस वचनबंध की अंतर्वस्तु जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। वचनबंध का कोई भी भाग मिथ्या नहीं है और उसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है या गलत नहीं बताया गया है।

आज____तारीख____मास____वर्ष_____को...... (स्थान) में सत्यापित किया गया । स्थान: तारीख:

हस्ताक्षर

.....

उपाबंध

भाग एम ए – सुसंगत आदेश या आदेशों की विशिष्टियां :

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष/ वित्त वर्ष	आयकर प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश	विचाराधीन आदेश के ब्यौरे		हितबद्ध पक्षकार के हित की प्रकृति
			आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा	आदेश की तारीख	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग एम बी-वचनबंध के खंड (ख), खंड (ग)और खंड (घ) के उपखंड (i) द्वारा आच्छादित सुसंगत आदेश या आदेशों की विशिष्टियां:

क्रम	भाग एम ए में क्र.	किसी आयकर प्राधिकरण या	माध्यस्थम् या सुलह	किसी पंचाट, आदेश या
क्रम सं.	भाग एम ए में क्र. सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित है		या मध्यकता के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है और उस समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन या तो निवेश की सुरक्षा या अन्यथा के लिए भारत द्वारा किसी अन्य देश या	अनुतोष जो किसी आधिकरण या न्यायालय या अन्य न्यायिक या प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा उक्त माध्यस्थम , सुलह या मध्यकता की कार्यवाही के संबंध में
		निर्दिष्ट करें)।	(वचनबंध के खंड (ग) (i) में निर्दिष्ट करें)।	बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की गई है (वचनबंध के खंड (घ) (i) में निर्दिष्ट करें)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		लागू होता/लागू नहीं होता	लागू होता/लागू नहीं होता	लागू होता/लागू नहीं होता

भाग एम सी- वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड(ii) के अधीन अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही की विशिष्टियां:

A .TT	भाग एम ए में क्र. सं.	अपीलों :		आयकर प्राधिकरण या	अपीलों या	ऐसी अपीलों या
क्रम न ं			या			
सं.	जहां सुसंगत आदेश		या	किसी आयकर		आवेदनों या
	वर्णित है		या	प्राधिकरण या		याचिकाओं या
			की	अधिनियम की धारा		कार्यवाही के
		प्रकृति		245ण के अधीन गठित	फाईल किए जाने	निपटान/प्रत्याहरण
				अग्रिम विनिर्णय के	की तारीख	की तारीख (कृपया
				लिए प्राधिकरण या		आयकर
				धारा 245ण ख के		प्राधिकरण, या
				अधीन अग्रिम विनिर्णय		अधिनियम की
				के लिए बोर्ड या धारा		धारा 245ण के
				245ख के अधीन गठित		अधीन गठित
				आयकर समझौता		अग्रिम विनिर्णय के
				आयोग या धारा 245क		लिए प्राधिकरण
				क के अधीन गठित		या धारा 245णख
				समझौता के लिए		के अधीन अग्रिम
				अंतरिम बोर्ड या किसी		विनिर्णय के लिए
				अधिकरण या		प्राधिकरण या
				आधकरण या न्यायालय के समक्ष		
						धारा 245ख के
				जिसको ऐसी अपीलें या		अधीन गठित
				आवेदन या याचिकाएं		आयकर समझौता
				या कार्यवाहियां फाइल		आयोग या धारा
				की गई हैं ।		245क क के
						अधीन गठित
						समझौता के लिए
						अंतरिम बोर्ड या
						किसी अधिकरण
						या न्यायालय जहां
						निपटान/
						प्रत्याहरण स्वीकार
						किया गया है,
						द्वारा दिए गए
						आदेश, की प्रति
						संलग्न करें।
		(-)			()	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)

भाग एम डी- वचनबंध के खंड (ख) के उपखंड(iv) के अधीन अपीलों या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाही की विशिष्टियां :

क्रम सं.	भाग एम ए में क्रम सं. जहां सुसंगत	अपीलों या आवेदनों	आयकर प्राधिकरण	अपीलों या आवेदनों
	आदेश वर्णित हैं	या याचिकाओं या	या किसी आयकर	या याचिकाओं या
		कार्यवाही की प्रकृति	प्राधिकरण या	कार्यवाही के फाईल
			अधिनियम की धारा	किए जाने की तारीख
			245ण के अधीन	
			गठित अग्रिम	
			विनिर्णय के लिए	
			प्राधिकरण या धारा	
			245णख के अधीन	
			अग्रिम विनिर्णय के	
			लिए बोर्ड या धारा	
			245ख के अधीन	
			गठित आयकर	
			समझौता आयोग या	
			धारा 245कक के	
			अधीन गठित	
			समझौता के लिए	
			अंतरिम बोर्ड या	
			किसी अधिकरण या	
			न्यायालय के समक्ष	
			जिसको ऐसी अपीलें	
			या आवेदन या	
			याचिकाएं या	
			कार्यवाहियां फाइल	
			की गई हैं ।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

भाग एम ई- वचनबंध के खंड (ग) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता, या सूचनाओं के लिए कार्यवाही की विशिष्टियां:

क्र.	भाग एम	दिए गए	विशिष्टियां	माध्यस्थम्,	भारत द्वारा किए	माध्यस्थम्,	माध्यस्थम्, सुलह और
सं.	ए में क्र.	मामला	(जिसके	सुलह या	गए समझौते का	सुलह,	मध्यकता, या सूचनाओं के
	सं. जहां	संख्यांक/सूच	अन्तर्गत देश	मध्यकता/सू	नाम जिसके	मध्यकता के	लिए ऐसी कार्यवाही के
	सुसंगत	ना सहित	का नाम भी	चना जारी	अधीन	लिए	निपटान/प्रत्याहरण की
	आदेश	माध्यस्थम्,	है) जहां ऐसी	करने के	माध्यस्थम्,	कार्यवाही की	तारीख (कृपया ऐसे
	वर्णित है।	सुलह या	कार्यवाही	लिए	सुलह, मध्यकता	प्रास्थिति	निपटान/प्रत्याहरण का
		मध्यकता के	माध्यस्थम्,	कार्यवाही	के लिए		साक्ष्य जिसके अंतर्गत,
		लिए	सुलह,	आरंभ करने	कार्यवाही		अधिकरण या न्यायालय
		कार्यवाही की	मध्यकता के	की तारीख	लंबित है।		या अन्य न्यायिक या
		प्रकृति	लिए लंबित है				न्यायिककल्प या
			या उसकी				प्रशासनिक प्रधिकारी के
			सूचना जारी				आदेश भी है, संलग्न करें)
			की गई है ।				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

भाग एम एफ- वचनबंध के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन माध्यस्थम्, सुलह या मध्यकता, या सूचनाओं के लिए कार्यवाही की विशिष्टियां:

का नाम अधीन	सुलह,
अधीन	
1 = 1 1 1	मध्यकता
, सुलह,	के लिए
के लिए	कार्यवाही
लंबित है।	की
	प्रास्थिति
	(7)
	म्, सुलह, के लिए ⊺लंबित है।

भाग एम जी - वचनबंद्ध के खंड (ग) के उपखंड (iv) के अधीन पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष की विशिष्टयाँ :

क्र.सं.	भाग एम ए में क्र.	ऐसे पंचाट, आदेश	विशिष्टियां (जिसके	ऐसे पंचाट, आदेश,	पंचाट, आदेश, निर्णय या
	सं. जहां सुसंगत	या निर्णय या किसी	अन्तर्गत देश का नाम	निर्णय या किसी अन्य	किसी अन्य अनुतोष
	आदेश वर्णित है।	अन्य अनुतोष की	भी है) जहां ऐसे	अनुतोष के साथ संदर्भित	प्रास्थिति
		प्रकृति	पंचाट, आदेश या	संख्या की तारीख	
			निर्णय या किसी अन्य		
			अनुतोष से संबंधित		
			कार्यवाही की गई थी ।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

भाग एम एचः- वचनबद्ध के खंड (घ) के उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन किसी पंचाट, आदेश या निर्णय या किसी अन्य अनुतोष को प्रवर्तित करने की कार्यवाही की विशिष्टियां –

क्र.	भाग एम ए	ऐसे पंचाट,	विशिष्टियां	किसी	ऐसे पंचाट,	ऐसे पंचाट,	ऐसे पंचाट, आदेश या
सं.	में क्र. सं.	आदेश या निर्णय	(जिसके	पंचाट,	आदेश या	आदेश या	निर्णय या किसी अन्य
	जहां	या किसी अन्य	अन्तर्गत देश	आदेश या	निर्णय या	निर्णय या	अनुतोष को प्रवर्तित
	सुसंगत	अनुतोष को	का नाम भी	निर्णय या	किसी अन्य	किसी अन्य	करने की कार्यवाही के
	आदेश	प्रवर्तित करने	है) जहां	किसी अन्य	अनुतोष की	अनुतोष को	निपटान/प्रत्याहरण की
	वर्णित है।	की कार्यवाही	किसी पंचाट,	अनुतोष को	प्रकृति (उसकी	प्रवर्तित	तारीख (कृपया ऐसे
		की प्रकृति	आदेश या	प्रवर्तित	प्रति संलग्न करें)	करने की	निपटान/प्रत्याहरण का
			निर्णय या	करने की		कार्यवाही	साक्ष्य जिसके अंतर्गत
			किसी अन्य	कार्यवाही		की प्रास्थिति	न्यायालय या अन्य
			अनुतोष को	फाईल			न्यायिक प्राधिकरण का
			प्रवर्तित करने	करने की			आदेश भी है, की प्रति
			की ऐसी	तारीख			संलग्न करें)
			कार्यवाही हो				
			रही है ।				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

	\cdot
ाईः- वचनबद्ध के खंड (घ) के उपखंड (iv) के अधीन व	कार्यवाही की विशिष्टिया -
। २ - ५ ५ ७ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५	યગવવાઠા પગ ાવાસાટ

क्र.	भाग एम ए	ऐसे पंचाट,	विशिष्टियां (जिसके	किसी पंचाट, आदेश	ऐसे पंचाट, आदेश	ऐसे किसी पंचाट,
सं.	में क्र. सं.	आदेश या निर्णय	अन्तर्गत देश का नाम	या निर्णय या किसी	या निर्णय या	आदेश या निर्णय
	जहां	या किसी अन्य	भी है) जहां किसी	अन्य अनुतोष को	किसी अन्य	या किसी अन्य
	सुसंगत	अनुतोष को	पंचाट, आदेश या	प्रवर्तित करने की	अनुतोष की प्रकृति	अनुतोष को
	आदेश	प्रवर्तित करने की	निर्णय या किसी अन्य	कार्यवाही के फाईल	(उसकी प्रति	प्रवर्तित करने की
	वर्णित है।	कार्यवाही की	अनुतोष को प्रवर्तित	करने की तारीख	संलग्न करें)	कार्यवाही की
		प्रकृति	करने की ऐसी			प्रास्थिति
			कार्यवाही हो रही है ।			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

भाग ढ़

<u>क्षतिपूर्ति बंधपत्र</u>

यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र ("बंधपत्र") _____, 2021 के इस ____ दिन पर बनाया गया है

(बड़े अक्षरों में नाम) पुत्र/पुत्री _____ पदनाम और राष्ट्रीयता और संबंधित पासपोर्ट संख्या _____ (जिसे इसमें इसके पश्चात् "हस्ताक्षरी" कहा गया है) जिनका स्थायी खाता संख्या / आधार संख्या / कर कटौती खाता संख्या (टिप्पण 1 देखें) _____ की ओर से (घोषणाकर्ता और हितबद्ध पक्षकार का नाम, यथास्थिति) जिसका स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या/कर कटौती खाता संख्या _____ (टिप्पण 2 देखें) और घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत और सक्षम होते हुए, यथास्थिति, इसमें पहले भाग के बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण (टिप्पण 3 देखें) के अनुसार संबंधित है।

<u>और</u>

भारत गणराज्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् "गणतंत्र" कहा गया है) और अन्य भाग के किसी भारतीय सहबद्धियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् "विमोचन" कहा गया है) के रूप में जाना जाता है।

यत:

क. आयकर नियम, 1962 में संशोधित की गई है और आयकर (31 वां संशोधन) नियम, 2021 राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

ख. घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11प ड के उपनियम (2) के अधीन एक वचनबंध फाइल किया है, जिसमें यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र उपाबद्ध है। यहां परिभाषित नहीं किए गए किसी भी परिभाषित शब्द का वही अर्थ होगा जो नियम 11प ड और वचनबंध के अधीन दी गई परिभाषाओं के अनुसार होगा।

ग. उपरोक्त के अनुसार, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, गणतंत्र और भारतीय सहबद्धियों को किसी भी और सभी लागतों, व्ययों (अटर्नी फीस और न्यायालय फीस सहित) से क्षतिपूर्ति, रक्षा और हानिरहित रखने के लिए सहमत हो गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा प्ररुप 1 में वचनबंध प्रस्तुत करने की तारीख के पश्चात् किसी भी समय किसी भी दावे को लाने, फाइल करने या बनाए रखने से संबंधित या किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति की ब्याज, क्षति, और दायित्व, से संबंधित कोई भी सुसंगत आदेश या आदेशों, या किसी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में, या पंचाट के अधीन किसी भी विवाद के लिए, और घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति बंधपत्र प्रस्तुत करने के लिए सहमत हो गया है इस आशय के लिए, जैसे कि घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, किसी भी संबंधित पक्षकारों या हितबद्ध पत्रों से प्राधिकरणों और वचनबंधों की पहचान और खरीद के संबंध में किसी भी चूक या गलती के जोखिम को पूरी तरह से मानता है। किसी भी सुसंगत आदेश या आदेशों, या किसी पंचाट, आदेश, निर्णय, या किसी अन्य अनुतोष के संबंध में या गणतंत्र या भारतीय के विरूद्ध पंचाट अंतर्निहित विवाद के संबंध में किसी भी दावे से गणतंत्र और भारतीय सहबद्धियों को वचनबंध, और सुरक्षित करना सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में सहयोगी। घ. तदनुसार घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, इस क्षतिपूर्ति बंधपत्र को गणतंत्र के पक्ष में तद्धीन <u>शर्तों पर</u> <u>निष्पादित कर रहा है।अब यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र निम्नानुसार साक्षी है:</u>

1. इस घटना में कि कोई भी व्यक्ति या इकाई किसी भी सुसंगत आदेश या आदेशों से संबंधित, या किसी पंचाट के संबंध में, इस वचनबंध को प्रस्तुत करने की तारीख पर या उसके पश्चात् किसी भी समय किसी भी विमोचन के विरूद्ध दावा पेश करती है, लाती है, फाइल करती है या बनाए रखती है, आदेश, निर्णय, या कोई अन्य राहत, या संबंधित आदेश या आदेशों के संबंध में गणराज्य या भारतीय सहबद्धियों के विरूद्ध पंचाट के अधीन किसी भी विवाद के लिए, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, क्षतिपूर्ति, बचाव और धारण करेगा किसी भी और सभी लागतों, व्ययों (अटर्नी फीस और न्यायालय फीस सहित), ब्याज, क्षति, और किसी भी प्रकृति की दायित्वों से या किसी भी तरह से दावे से संबंधित या, लाने, फाइल करने या बनाए रखने के विरूद्ध ऐसी विमोचन हानिरहित दावा।

2. घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, विशेष रूप से यह दर्शाता है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान के पश्चात्,

(i) इस वचनबंध का निष्पादन;

(ii) सुसंगत आदेश या आदेशों के संबंध में किसी अन्य पक्ष द्वारा किसी अलग संबंधित वचनबंध का निष्पादन; तथा

(iii) इस वचनबंध में उल्लिखित सभी लंबित कार्यवाही का प्रत्याहरण,

कि उक्त सुसंगत आदेश या ऊपर संदर्भित आदेश, या किसी भी संबंधित पंचाट, निर्णय, या न्यायालय के आदेश, या पंचाट के अधीन विवाद के किसी भी पहलू के बारे में कोई अन्य दावा गणतंत्र या अन्य विमोचन के विरूद्ध शेष नहीं रहेगा। किसी भी संदेह से बचने के लिए, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, इस खंड के अधीन विमोचन की क्षतिपूर्ति में किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा लाया गया कोई भी दावा सम्मिलित होगा जिसमें यह आरोप लगाया गया हो कि उसने घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, प्राप्त किया है। एक पंचाट, निर्णय या न्यायालय के आदेश या सुसंगत आदेश या आदेश के अधीन दावा किया जा सकता है।

3 किसी भी संदेह से बचने के लिए, घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी संबंधित दावे के विरूद्ध रिहाई हासिल करने के संबंध में किसी भी चूक या गलती की क्षतिपूर्ति के माध्यम से पूरी तरह से जोखिम लेता है। यदि घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति से कोई भी रिहाई प्राप्त करने में विफल रहता है, तो घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, इस दस्तावेज़ के माध्यम से किसी भी रक्षा, लागत, न्यायालयी लागत और नुकसान से मुक्ति की क्षतिपूर्ति करता है।

4. यह क्षतिपूर्ति बंधपत्र भारत की विधियों द्वारा शासित होगा और दिल्ली उच्च न्यायालय के पास इस बंधपत्र की शर्तों के संबंध में या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद और / या अंतर पर विचार करने और विचार करने की एकमात्र अधिकारिता होगी।

इस बात के प्रमाण में कि यहाँ अधोहस्ताक्षरी ने ____, 2021 के दिन इस पर हस्ताक्षर किए हैं और अपना हाथ निर्धारित किया है।

घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति,

साक्षी का नाम और पता

साक्षी के हस्ताक्षर

1.

2.

स्थानः

दिनांकः

टिप्पण

- 1. यह जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जहां हस्ताक्षरी का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध है।
- कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या प्रदत्त की जानी चाहिए जहां घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार का स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या या टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, यथास्थिति, उपलब्ध नहीं हैं।
- 3. बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण, जैसा कि वचनपत्र के खंड (ड) में निर्दिष्ट है अन्य बातों के अतिरिक्तः
 - (क) घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, की ओर से हस्ताक्षर करने की शक्ति और प्राधिकार को रिकॉर्ड करें; तथा
 - (ख) घोषणाकर्ता या हितबद्ध पक्षकार, यथास्थिति, की शक्ति और अधिकार को रिकार्ड करें, यथास्थिति, वचनबंध के खंड (i) के अनुसार भारत गणराज्य और भारतीय सहबद्धियों की रक्षा करने और हानिरहित रखने के लिए)

प्ररुप सं. 2

[नियम 11 प च देखें]

<u>नियम 11 प च उपनियम (2) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए प्ररुप</u>

< घोषणाकर्ता का नाम >

घोषणाकर्ता का पता

महोदय/महोदया,

- -------को प्रियम विषया कर्ता का नाम) (जिसे इसमें इसके पश्चात घोषणाकर्ता कहा गया है) स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या/कर कटौती खाता संख्या/कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या ------के साथ नियमों के नियम 11 प ड़ के खंड (क) के अधीन प्ररुप सं. 1 में तारीख ------को वचनबद्ध फाईल किया है।
- घोषणाकर्ता द्वारा नियम 11 प ड़ उपनियम (1) के अधीन प्ररुप 1 में फाईल किए गए वचनबद्ध के अनुसरण में, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड़ (i) के स्पष्टीकरण 5 के पांचवे परंतुक के उपबंध, प्ररुप 1 में घोषणाकर्ता द्वारा वचनबद्धों के सुसंगत नियमों और पूर्ति के साथ पठित उक्त परंतुक में विनिर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन, नीचे वर्णित आदेशों पर लागू होंगे :

क्र.सं.	की सारणी के भाग ए में क्र.सं. जहां सुसंगत आदेश वर्णित	वर्ष	आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित किया आदेश	अधिनियम,	आदेश के आदेश की तारीख	अवधारित कर/शास्ति	ब्याज		अपील	घोषणाकर्ता से वसूल की गई मांग	तारीख तक लंबित	आयकर प्राधिकरण द्वारा की गई कुर्कियों के ब्यौरे
(1)	है (2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

सारणी

3. उपरोक्त सारणी के स्तंभ 11 के अनुसार, वसूल की गई मांग, नियम 11 प ङ के उपनियम (1) और अधिनियम के उपबंधों के घोषणाकर्ता को बिना ब्याज के वापस की जाएगी । अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के उपबंध (i) के स्पष्टीकरण 5 का छठा परंतुक, कुर्की, यदि कोई हो, जिसके ब्यौरे सारणी के स्तंभ 13 में दिए गए हैं, प्रतिसंहरित कर दी जाएगी और अपील या आवेदन या सारणी के स्तंभ 2 के अनुसार निर्दिष्ट आदेशों के संबंध में किसी भी आयकर प्राधिकरण या गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल याचिकाएं या कार्यवाही, यदि कोई हो, प्रत्सं के स्तंभ 2 के अनुसार जिर्देष्ट आदेशों के संबंध में किसी भी आयकर प्राधिकरण या गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल याचिकाएं या कार्यवाही, यदि कोई हो, प्रत्याहरित कर ली जाएगी या संबंधित व्यक्ति को सूचना भेजी जाएगी । नियम 11 प च के उपनियम 16 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार प्ररुप 4 जारी करता है । इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड

33

(i) के स्पष्टीकरण 5 के छठे परंतुक के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता को अधिनियम की धारा 244क के अधीन कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

प्रमाण पत्र संख्या------

स्थान-----

तारीख -----

(प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त)

प्ररुप सं. 3

[नियम 11 प च देखें]

आयकर नियम 1962 के नियम 11 प च के उपनियम (3) के अधीन प्रत्याहरण की सूचना

सेवा में,

मुख्य आयुक्त/आयुक्त

महोदय/महोदया

मैं ------पदनाम-----(नाम बड़े अक्षरों में) पुत्र/पुत्री------पदनाम-----पदनाम-----का------का------ और राष्ट्रीयता -------- और संबंधित पासपोर्ट संख्या------ ।(जिसे इसमें इसके पश्चात "हस्ताक्षरी" कहा गया है) स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या ------- (टिप्पण1 देखें) की ओर से ------- (घोषणाकर्ता का नाम) जिसका स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या/कर कटौती खाता संख्या (टिप्पण 2 देखें) ------- और बोर्ड के संकल्प और विधिक प्राधिकरण के अनुसार इस संबंध में टिप्पण का प्रतिनिधित्व करने के लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत और सक्षम होते हुए (टिप्पण 3 देखें), यथास्थिति एतद्वारा पुष्टि करता हूँ कि घोषणाकर्ता ने आदेश प्ररुप 2 तारीख ----- को प्राप्त हुआ है। उसके अनुसरण में, मैं पुष्टि करता हूँ कि लंबित अपीलें या आवेदन या याचिकाएं, माध्यस्थम्, सुलह, मध्यकता, दावे और अन्य कार्यवाहियां, यदि कोई हो, जैसी प्ररुप 1 तारीख ------- के वचनबंध के भाग डी, भाग एफ, भाग जी, भाग आई और भाग एम निर्दिष्ट है, पूर्वनिर्णय के आधार पर अवसूलनीय हैं, प्रत्याहरित या बंद की गई है और आगे नहीं बढाई गई है।

स्थान -----

तारीख -----

हस्ताक्षर/सत्यापन

संलग्नकः

1. बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण, यथास्थिति, वचनबंध के खंड (ड) में यथानिर्दिष्ट, संलग्न करें ।

सत्यापन

2. ऊपर बताए अनुसार की गई कार्रवाई के साक्ष्य संलग्न करें।

सत्यापन किया जाता है कि इस जानकारी की विषयवस्तु मेरे सर्वोत्त ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। जानकारी को कोई भी भाग असत्य नहीं है और इसमें कुछ भी छुपाया या अविवर्णित नहीं है ।

सत्यापित

स्थान-----माह------इस -----तारीख------माह------वर्ष

स्थान-----

तारीख-----

हस्ताक्षर

टिप्पण

- 1. यह जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जहां हस्ताक्षरी का स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या उपलब्ध है।
- कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या प्रदत्त की जानी चाहिए जहां स्थायी खाता संख्या/आधार संख्या या हितबद्ध पक्षकार के टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर उपलब्ध नहीं हैं।
- 3. बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण, जैसा कि वचनपत्र के खंड (ड) में निर्दिष्ट है और ऐसे बोर्ड के संकल्प या विधिक प्राधिकरण, अन्य बातों के अतिरिक्त:

(क) हितबद्ध पक्षकार की ओर से वचनबंध देने के लिए हस्ताक्षरी की शक्ति और प्राधिकार रिकॉर्ड करें; तथा

(ख) वचनबंध के खंड (i) के अनुसार भारत गणराज्य और भारतीय सहबद्धियों की रक्षा करने और उन्हें हानिरहित रखने के लिए हितबद्ध पक्षकार की शक्ति और प्राधिकार को रिकॉर्ड करें।

प्ररुप सं. 4

[नियम 11 प च देखें]

आयकर नियम 1962 के नियम 11 **प च** के उपनियम (7) के अधीन प्रधान आयुक्त/आयुक्त द्वारा आदेश

यत: ------ (घोषणाकर्ता का नाम और स्थायी खाता संख्या /आधार संख्या/कर कटौती संख्या /कंपनी पहचान संख्या और करदाता पहचान संख्या) के साथ नियम 11 प ड़ के अधीन वचनबंध किया गया था, जो -------(तारीख) को प्राप्त किया गया था; और नियमों के नियम 11 **प च** के उपनियम (2) के अनुसार प्ररुप 2 तारीख ------------- को घोषणाकर्ता को जारी किया गया था;

घोषणाकर्ता ने नियमों के नियम 11 प च के उपनियम (3) के अनुसार घोषणाकर्ता को नियमों के नियम 11 प च के उपनियम (6) के अधीन मामले में सम्मलित नहीं किया है प्ररुप 3 तारीख ------में जानकारी फाईल की है । अतः अब नियम 11 प च के उपनियम (7) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आदेश कभी पारित नहीं हुए समझे जाएंगे और सारणी के स्तंभ संख्या 12 के अनुसार अवधारित प्रतिदाय घोषणाकर्ता को जारी किया जायेगा, और कुर्की, यदि कोई हो सारणी के स्तंभ 13 के अनुसार प्रतिसंहरित की जाएगी, जहां तक वे नीचे दी गई सारणी में वर्णित विनिर्दिष्ट आदेशों से संबंधित है ।

क्र.सं.	प्ररुप 2 में सारणी की क्र.सं.	निर्धारण वर्ष /वित्त वर्ष	आयकर प्राधिकरण द्वारा पारित किया आदेश	विचाराधीन के ब्यौरे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा और उपधारा	आदेश आदेश की तारीख	अवधारित कर/शास्ति	ब्याज	कुल मांग	किसी अपील कार्यवाही में प्रदत्त किया गया, अनुतोष, यदि कोई हो	घोषणाकर्ता से वसूल की गई मांग	इस आदेश के अनुसरण में अवधारित प्रतिदाय	इस आदेश के अनुसरण में प्रतिसंहरित की जाने वाली किसी आयकर प्राधिकरण द्वारा की गई कुर्कियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

सारणी

अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) के स्पष्टीकरण 5 के छठवें परंतुक के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता को अधिनियम की धारा 244 ए के अधीन कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

निर्धारण प्राधिकारी उपरोक्त को प्रभाव देने और आदेश पारित करने और प्रतिदाय जारी करने, यदि कोई हो, और कुर्की का प्रतिसंरहण करने, यदि कोई हो, और सारणी स्तंभ 2 में उल्लिखित विनिर्दिष्ट आदेशों के संबंध में किसी आयकर प्राधिकरण या संबद्ध व्यक्ति, जहां अपील या आवेदन या याचिका या कार्यवाही गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फाइल की गयी है कोई अपील या आवेदनों या याचिकाओं या कार्यवाहियों को ऐसे आदेशों की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रत्याहरण करने के लिए निदेशित किया जाता है।

स्थान-----

तारीख -----

(प्रधान आयुक्त/आयकर आयुक्त

सेवा में,

- (1) घोषणाकर्ता
- (2) निर्धारण अधिकारी
- (3) संबद्ध अपीलीय अधिकरण

[अधिसूचना सं. 118/2021/फ.सं.370142/47/2021-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति विधायी विभाग)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग Ⅱ, खंड़ 3, उपखंड़ (ii) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा का नी 661(अ) तारीख 24 सितम्बर 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।
MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2021

INCOME-TAX

G.S.R. 713(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i), (ii), (iii) and (iv) of the *Explanation* to fifth and sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Income-tax $(31^{st} \text{ Amendment})$ Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as principal rules), in Part II, after the rule 11UD, the following sub-part and rules shall be inserted, namely: –

'J – Indirect transfer prior to 28th May, 2012 of assets situate in India

11UE. Specified conditions under *Explanation* to fifth and sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9.– (1) For the purposes of clauses (i), (ii) and (iii) of the *Explanation* to fifth and sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9, the declarant shall furnish an undertaking in Form No. 1 and shall append the undertakings from all the interested parties in Part M of the Annexure to the undertaking in Form No. 1 and furnish all the attachments required to be furnished under any clause or Part thereof.

(2) The conditions for the purposes of clause (iv) of the *Explanation* to fifth and sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 shall be the following, namely: -

(a) the declarant and all the interested parties shall irrevocably withdraw, terminate or discontinue all the appeals or applications or petitions or proceedings, against the relevant order or orders and furnish evidence thereof and a declaration in the undertaking in Form No. 1 to the effect that it shall not, under any circumstances, reopen or file any such appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders;

(b) the declarant and all the interested parties shall irrevocably withdraw, terminate or discontinue all the proceedings for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof against the relevant order or orders and furnish evidence thereof and a declaration in the undertaking in Form No. 1 to the effect that it shall not, under any circumstances, reopen or file any such proceeding or initiate any such arbitration, conciliation or mediation in future against the relevant order or orders;

(c) the declarant and all the interested parties shall irrevocably withdraw, terminate or discontinue all the proceedings to enforce or pursue attachments in respect of any award, order or judgement or any other relief against the Republic of India or Indian affiliates with respect to the relevant order or orders and furnish evidence thereof and a declaration in the undertaking in Form No. 1 to the effect that it shall not, under any circumstances, reopen or file any such proceeding in future against the Republic of India or Indian affiliates with respect to the relevant order or orders.

(d) the declarant and all the interested parties shall irrevocably terminate, release, discharge, and forever irrevocably waive all rights, whether direct or indirect, and any claims, demands, liens, actions, suits, causes of action, obligations, controversies, debts, costs, attorneys' fees, court's fees expenses, damages, judgments, orders, declaratory relief, and liabilities of whatever kind or nature at law, in equity, or otherwise, whether now known or unknown previously (or in future discovered), suspected or unsuspected, and whether or not concealed or hidden, which have existed or may have existed, or do exist or which hereafter can, shall or may exist in relation to any award, order, judgment, or any other relief against the Republic of India or Indian affiliates in connection with the relevant order or orders and furnish evidence thereof and a declaration in the undertaking in Form No.1 to the effect that it shall

not, under any circumstances, reopen or file any such proceeding or initiate any such arbitration, conciliation or mediation in future against the relevant order or orders;

(e) the declarant and all the interested parties shall irrevocably waive any right to seek or pursue any claim for costs in respect of any proceeding referred to in clauses (a), (b), (c) or (d), including but not limited to any proceeding initiated by the Republic of India to set aside the award, order or judgement, or any other relief, referred to in clauses(a), (b), (c) or (d), issued in favour of the declarant or any of the interested parties;

(f)the declarant and all the interested parties shall terminate, release, discharge, and forever irrevocably waive any right, whether direct or indirect, any remedies, claims, demands, liens, actions, suits, causes of action, obligations, controversies, debts, costs, attorneys' fees, court's fees, expenses, damages, judgments, orders, compensation, and liabilities of whatever kind or nature at law, in equity, or otherwise, whether now known or unknown, suspected or unsuspected, and whether or not concealed or hidden, which have existed or may have existed, or do exist or which hereafter can, shall or may exist, based on pursuit of any remedy or any and all claims, demands, damages, judgments, awards, costs, expenses, compensation or liabilities of any kind (whether asserted or unasserted), in relation to any facts, events, or omissions occurring at any time in relation to taxation of income referred to in the fifth and sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 or relevant order or orders, or any related award, judgment or court order, which may otherwise be available to the declarant or any of its interested parties;

(g) the declarant and all the interested parties shall indemnify, defend and hold harmless the Republic of India and Indian affiliates from and against any and all costs, expenses (including attorneys' fees and court's fees), interest, damages, and liabilities of any nature arising out of or in any way relating to the assertion or, bringing, filing or maintaining of any claim, at any time after the date of furnishing the undertaking in Form No. 1 by the declarant, by any person and the declarant and all the interested parties shall furnish an indemnity bond to this effect, such that the declarant and the interested parties fully assume the risk of any omission or mistake with respect to identification and procurement of authorisations and undertakings from any related parties or interested parties as provided in the undertaking, and secures the Republic of India and Indian affiliates from any claim related to any relevant order or orders, or in relation to any award, order, judgment, or any other relief against the Republic of India and Indian affiliates in connection with any relevant order or orders;

(h) the declarant and all the interested parties shall refrain from facilitating, procuring, encouraging or otherwise assisting any person (including but not limited to any related party or interested party) from bringing any proceeding or claims of any kind related to any relevant order or orders, or in relation to any award, order, judgment, or any other relief against the Republic of India or Indian affiliates in connection with any relevant order or orders; and

(i) the declarant and all the interested parties shall notify by a public notice or press release that, by signing the undertaking in Form No. 1 or Part M of the Annexure to the undertaking in Form No. 1, as the case may be, any claims arising out of or relating to the relevant orders or any related award, judgment or court order, no longer subsist, and that such person or entity issuing the public notice has signed the undertaking, and that such undertaking includes an indemnity against any claims brought against the Republic of India or any India affiliate contrary to the undertaking, and that the declarant and all the interested parties shall furnish a copy of such public notice to the Republic of India .

(3) The execution, delivery and performance of the undertaking in Form No. 1 submitted by the declarant, undertakings from all the interested parties in Part M of the Annexure to the undertaking in Form No. 1 and indemnity bond by the declarant and interested parties in Part N of the Annexure to the undertaking in Form No. 1 shall be duly authorised by all necessary corporate action, including but not limited to any board resolution or similar authorisation under applicable law and a copy of such board resolution and legal authorisation shall be furnished by the declarant.

11UF. Manner of furnishing undertaking under rule 11UE. – (1) The undertaking in Form No. 1 under sub-rule (1) of rule 11UE shall be submitted by the declarant to the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner within forty- five days from the date of commencement of the Income-tax $(31^{st} \text{ Amendment})$ Rules, 2021.

(2) After the undertaking in Form No. 1 under sub- rule (1) of rule 11UE is furnished by the declarant, the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner shall, within a period of fifteen days from the date of receipt of the said undertaking, -

- (a) grant a certificate in Form No. 2 accepting such undertaking; or
- (b) pass an order rejecting such undertaking, where the undertaking in Form No. 1 is incorrect or incomplete or any part thereof or any of the attachments or evidences or the indemnity bonds provided therein or any of the authorisations, as referred to in sub-rule (3) of rule 11UE is incorrect or incomplete or not furnished, after giving an opportunity of being heard to the declarant.

(3) After the grant of certificate in Form No. 2, the conditions under sub-rule (2) of rule 11UE shall be fulfilled by the declarant and interested parties and an intimation to this effect shall be filed by the declarant in Form No. 3 within sixty days of the date of receipt of certificate in Form No. 2 under sub-rule (2) with the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner.

(4) The jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner may, on an application made by the declarant, extend the period of sixty days under sub-rule (3) by a further period not exceeding sixty days.

(5) Where the intimation in Form No. 3 is filed after the period of sixty days under sub-rule (3) or further period extended under sub-rule (4), as the case may be, then, notwithstanding anything contained in any other provision of rule 11UE and this rule, such intimation in Form No. 3 shall be treated as invalid and the provisions of this rule shall apply as if such person had never furnished the intimation in Form No. 3.

(6) No intimation in Form No.3 under sub-rule (3) shall be required to be furnished by the declarant if the following conditions are satisfied, namely:-

- (a) the declarant or any of the interested parties has not filed, with respect to all the relevant order or orders, any -
 - (i) appeal or application or petition or proceeding;
 - (ii) arbitration, conciliation or mediation and no notices have been given thereof; or
 - (iii) proceeding to enforce or pursue attachments in respect of any award, order or judgement or any other relief against the Republic of India or Indian affiliates; and
- (b) where, with respect to the relevant order or orders, any-
 - (i) appeals or applications or petitions or proceeding;
 - (ii) arbitration, conciliation or mediation; or
 - (iii) proceeding to enforce or pursue attachments in respect of any award, order or judgement or any other relief against the Republic of India or Indian affiliates,

has been filed or notice thereof has been given by the declarant or any interested parties, the declarant and all such interested parties have irrevocably withdrawn all such appeals, applications, petitions, proceeding, arbitration, conciliation and mediation and no further appeal or application or petition or proceeding or arbitration or conciliation or mediation has been filed by the declarant or any such interested party against the Republic of India or any of the Indian Affiliates before the withdrawal of such arbitration, conciliation or mediation and evidence thereof has been furnished at the time of furnishing the undertaking in Form No. 1 referred to in sub-rule (1) of rule 11UE; and

- (c) where with respect to the relevant order or orders, any,-
 - (i) appeals or applications or petitions or proceeding;
 - (ii) the arbitration, conciliation or mediation;

(iii) the proceeding to enforce or pursue attachments in respect of any award, order or judgement or any other relief against the Republic of India or Indian affiliates;

had been filed by the declarant or any of the interested parties and have been disposed of, no further appeal or application or petition or proceeding or arbitration or conciliation or mediation has been filed by the declarant or any such interested party against the Republic of India or any of the Indian Affiliates on or before the disposal of such arbitration, conciliation or mediation and evidence thereof has been furnished at the time of furnishing the undertaking in Form No. 1 referred to in sub-rule (1) of rule 11UE.

(7) After the receipt of intimation in Form No. 3 under sub-rule (3) or grant of certificate in Form No. 2 under sub-rule (2) in cases covered under sub-rule (6), the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner shall pass an order granting relief in Form No. 4 or decline to grant relief in accordance with the procedure specified in sub-rule (8).

(8) The jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner may, after giving an opportunity of being heard to the declarant, decline to grant relief under sub-rule (7) where,-

- (a) the declarant has not fulfilled any of the conditions stipulated under sub-rule (2) of rule 11UE;
- (b) the intimation in Form No. 3 or any part thereof is incorrect or incomplete;
- (c) the intimation in Form No. 3 has not been filed in a case other than that covered under sub-rule (6);
- (d) any of the attachments provided in Form No. 3 is incorrect or incomplete or has not been furnished;
- (e) any of the evidences required to be furnished along with Form No. 3 is incorrect or incomplete or has not been furnished; or
- (f) the intimation in Form No. 3 submitted by the declarant is not duly authorised by all necessary corporate action, including but not limited to any board resolution or similar authorisation under applicable law or a copy of such board resolution or legal authorisation is incorrect or incomplete or not furnished by the declarant.

(9) The order granting the relief under sub-rule (7) or declining to grant relief under sub-rule (8) shall be passed,-

- (a) within a period of thirty days from the date of receipt of Form No. 3 by the Principal Commissioner or Commissioner, in cases where intimation in Form 3 has been furnished to the Principal Commissioner or Commissioner under sub-rule (3),
- (b) within thirty days of the issue of Form No. 2, in cases covered under sub-rule (6).

(10) No order rejecting the undertaking in Form No. 1 under clause (b) of sub-rule (2) or declining relief under clause sub-rule (8), shall be passed by the Principal Commissioner or Commissioner without the approval of the Chief Commissioner.

(11) For the purpose of rejecting the undertaking under clause (b) of sub-rule (2) or declining to grant relief under sub-rule (8), the Principal Commissioner or Commissioner shall intimate the reasons thereof to the declarant and give him an opportunity of submitting a renewed undertaking in Form No. 1 or renewed intimation in Form No. 3, as the case may be, within a further period not exceeding thirty days.

(12) Where the renewed undertaking or renewed intimation is not filed within such further period under sub-rule (11), then, notwithstanding anything contained in any other provision of the rule 11UE and this rule, such undertaking or intimation shall be treated as invalid and the provisions of this rule shall apply as if such person had never furnished the undertaking in Form No. 1 or intimation in Form No. 3, as the case may be.

(13) The extended period allowed under sub-rule (11) for submitting a renewed undertaking in Form No. 1 or a renewed intimation in Form No. 3 shall be excluded from,-

- (a) the period of fifteen days under sub-rule (2) for granting a certificate in Form No. 2 or passing an order rejecting such undertaking, as the case may be, by the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner; or
- (b) thirty days under clause (a) and (b) of sub-rule (9) for passing an order granting relief under sub-rule (7) or declining relief under sub-rule (8), as the case may be, by the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner.

(14) For the purposes of computing the period of limitation under sub-rules (2) or (9), where immediately after the exclusion of the period or extended period allowed to the declarant, the period of limitation available to the Principal Commissioner or Commissioner, for granting certificate or passing or issuing an order under sub-rules (2) or (9), is less than fifteen days, such remaining period shall be extended to fifteen days and the period of limitation under said sub-rules shall be deemed to be extended accordingly.

(15) The undertaking in Form No. 1 shall be deemed to have never been filed if the Principal Commissioner or Commissioner has passed an order rejecting the undertaking in Form No. 1 under clause (b) of sub-rule (2) or declined to grant relief to the declarant under sub-rule (8).

(16) The directions of the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner, in Form No. 4, shall be binding on the assessing officer who shall, -

- (a) give effect to such directions and pass an order and issue the refund, if any, and revoke attachments, if any, within a period of fifteen days from the date of the receipt of such directions; and
- (b)file an application to withdraw any appeal or application or petition or proceeding filed by any Income-tax Authority or intimate the concerned person, where appeals or applications or petitions or proceeding has been filed by any other person representing the Republic of India, with respect to the specified orders covered under Form No. 4, within sixty days from the date of receipt of such directions.

(17) Any dispute with respect to the undertaking or part of the undertaking or indemnity bond specified Forms prescribed under these rules or in respect of any direction or order issued thereunder shall be governed by the relevant Indian laws and be decided in accordance with the procedures specified under the Act, under the exclusive jurisdiction of the relevant income-tax authorities, tribunals or courts in India, as the case may be, which are empowered to decide disputes under the Act.

(18) The Form Nos. 1, 2, 3 and 4 of Appendix IV shall be the Forms for the purposes of this rule and rule 11UE.

Explanation: - For the purposes of this rule and rule 11UE, unless the context otherwise requires,-

- (a) "declarant" means the person in whose case a specified order has been passed or made, as the case may be;
- (b) "Indian affiliate" means any of departments, agencies, instrumentalities, public sector companies, and other entities of the Republic of India, owned or controlled, directly or indirectly, allegedly or in fact, by any thereof, as well as any officials, officers, directors, employees, attorneys, representatives, those providing financing, and agents of any of these persons, whether in India or in any other country or territory outside India;
- (c) "interested party" means the following, namely:-
 - (i) all the companies or entities in the entire chain of holding of the declarant till the ultimate holding company or entity;
 - (ii) any person to whom the declarant has transferred any of its claims under any award, judgment, or court order pertaining to the relevant orders or under the relevant orders or granted any rights;
 - (iii) any person other than the person mentioned in sub-clauses (i) and (ii), in whose favour any interest has been created or assigned by the declarant or under any law or rules made thereunder with respect to any of the relevant order; and

- (iv) any person who has initiated any proceedings with respect to any of the relevant orders;
- (d) "related party" means affiliates, predecessors, successors, all the companies or entities in the entire chain of holding till the ultimate holding company or entity, subsidiaries (whether direct or indirect), assignees, agents, shareholders (present and future), owners, directors, officers, those providing financing, and employees of the declarant;
- (e) "relevant order" means any specified order passed or made in respect of income accruing or arising through or from the transfer of an asset or a capital asset situate in India in consequence of the transfer of a share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India made before the 28th day of May, 2012, particulars whereof are provided in Part A of the Annexure to the undertaking in Form No. 1;
- (f) "specified order" means,
 - (i) an assessment or reassessment order under section 143, section 144, section 147 or section 153A or section 153C; or
 - (ii) an order passed for enhancing the assessment or reducing a refund already made or otherwise increasing the liability of the assessee under section 154; or
 - (iii) an order passed deeming a person to be an assessee in default under sub-section (1) of section 201; or
 - (iv) an order passed imposing a penalty under Chapter XXI or under section 221;
 - (g) "ultimate holding company or entity" means a company or an entity that has ultimate control of the declarant directly or indirectly and such company or entity is not itself controlled by, or is subsidiary of, any other company or entity.'.

3. In the principal rules, after Appendix III, the following shall be inserted, namely: -

'Appendix IV

FORM No. 1 [See rule 11UE (1)]

Undertaking under sub-rule (1) of rule 11UE of the Income-tax Rules, 1962

To,

Principal Commissioner/Commissioner

.....

Sir/Madam,

block letters) son/daughter of I.....(name in designationand nationalityand related passport number...... (hereinafter referred to as "signatory") having Permanent Account Number/Aadhaar Number (see Note 1)..... behalf of on (name of the declarant) having Permanent Account Number / Aadhaar number / Tax Deduction Account Number (see Note 2)and being duly authorised and competent to represent the declarant in this regard pursuant to Board Resolution and legal authorisation (see Note 3), as the case may be hereby declare as follows:

- (a) That specified orders have been passed or made in respect of income accruing or arising through or from the transfer of an asset or a capital asset situate in India in consequence of the transfer of a share or interest in a company or entity registered or incorporated outside India made before the 28th day of May, 2012 and particulars of such specified orders are provided in Part A of the Annexure.
- (b) The declarant has (strike off the options that are not applicable),
 - (i) not filed any appeal or application or petition or proceeding before any Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings constituted under section 245-OB or

Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court against the relevant orders, and hereby undertakes that it shall not file any appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders. Particulars of such relevant order or orders are provided in Part B of the Annexure;

- (ii) filed one or more appeals or applications or petitions or proceeding before any Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court against the relevant orders and has irrevocably withdrawn, on a with prejudice basis, all such appeals or applications or petitions or proceeding and evidence thereof is furnished herewith and hereby undertakes that it shall not file any appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders. Particulars of such appeals or applications or petitions or proceeding filed and irrevocably withdrawn with prejudice by the declarant, are provided in Part C of the Annexure;
- (iii) filed one or more appeals or applications or petitions or proceeding before any Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court against the relevant order or orders and all the appeals or applications or petitions or proceeding filed by the declarant have been disposed of and no further appeal or application or petition or proceeding has been filed by the declarant and evidence thereof is furnished herewith and hereby undertake that it shall not file any appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders. Particulars of such appeals or applications or petitions or proceeding filed and disposed of, are provided in Part C of the Annexure;
- (iv) filed appeals or applications or petitions or proceeding before any Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court against the relevant orders and one or more of such appeals or applications or petitions or proceeding are pending as on the date of this undertaking and hereby undertakes to irrevocably withdraw, terminate and discontinue any and all such appeals or applications or petitions or proceeding that are pending as on the date of signing this undertaking, on a with prejudice basis, in accordance with clause (e) below. The declarant further undertakes that it shall not file any such appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders. Particulars of such pending appeals or applications or petitions or proceeding filed by the declarant and their status as on the date of this undertaking, are provided in Part D of the Annexure;
- (c) The declarant has (strike off the options that are not applicable),
 - (i) not initiated any proceeding for arbitration, conciliation or mediation, and no notice has been given thereof under any law for the time being in force or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise against the relevant orders, and hereby undertakes that it shall not initiate any such arbitration, conciliation or mediation in future. Particulars of such relevant order or orders are provided in Part B of the Annexure;
 - (ii) initiated proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof has been given, under any law for the time being in force or under any agreement

entered into by India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise against the relevant order or orders and has irrevocably, on a with prejudice basis, withdrawn any such proceeding for arbitration, conciliation or mediation, and notices given thereof and evidence thereof is furnished herewith. The declarant hereby undertakes that it shall not reopen in future any such proceeding or initiate or file any such arbitration, conciliation or mediation in future arising out of or in connection with the relevant order or orders. Particulars of such proceeding for arbitration, conciliation or mediation and notices given thereof, initiated and irrevocably withdrawn with prejudice by the declarant, are provided in Part E of the Annexure;

- (iii) initiated proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof has been given, under any law for the time being in force or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise against the relevant order or orders and all the arbitration, conciliation or mediation filed by the declarant have been disposed of and no further proceeding has been initiated by the declarant and evidence thereof is furnished herewith. The declarant hereby undertakes that it shall not reopen in future any such proceeding or initiate or file any such arbitration, conciliation or mediation in future arising out of or in connection with the relevant order or orders. Particulars of such proceeding for arbitration, conciliation or mediation and notices given thereof, initiated and disposed of, are provided in Part E of the Annexure;
- (iv) initiated proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof has been given, under any law for the time being in force or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise against the relevant order or orders and one or more of such proceeding or notices are pending on the date of undertaking and hereby undertakes to irrevocably withdraw, terminate and discontinue any and all such proceeding or notices for arbitration, conciliation or mediation that are pending as on the date of signing this undertaking, on a with prejudice basis, in accordance with clause (e) below. Particulars of such pending proceeding and notices filed by the declarant are provided in Part F of the Annexure. The declarant hereby further undertakes that it shall not initiate any such arbitration, conciliation or mediation in future arising out of or in connection with the relevant order or orders;
- (v) received or got any awards, orders, judgements or any other reliefs issued in favour of the declarant, arising out of or in any way relating to the imposition of tax, interest and penalty based on the relevant order or orders, under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise and hereby undertakes to irrevocably waive any right to seek or pursue any claim or costs or declaratory relief in relation to or arising out of such awards, orders or judgements or any other relief that may have been ordered, issued or passed against India and any Indian affiliate, whether it is in proceeding initiated by the declarant or by India and any Indian affiliate. The declarant also undertakes to irrevocably waive any right to seek or pursue any claim for costs or relief in respect of any proceeding initiated by the Republic of India to set aside such award, order or judgement or any other relief issued in favour of the declarant. The declarant hereby undertakes that it shall not initiate or file any such arbitration, conciliation or mediation in future. Particulars of such awards, orders, judgement or any other relief are provided in Part G of the Annexure;
- (d) The declarant has (strike off the options that are not applicable),
 - (i) not initiated any proceeding to enforce or pursue attachments in connection with any awards, orders, judgements, any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in

favour of the declarant as referred in clause (c) of this undertaking either against the Republic of India and any Indian affiliate, and hereby undertakes that it shall not initiate any such proceeding in future. Particulars of such award, order or judgment are provided in Part B of the Annexure;

- (ii) initiated proceeding to enforce or pursue attachments in connection with any awards, orders, judgements or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the declarant, as referred to in clause (c) of this undertaking against the Republic of India and any Indian affiliate. The declarant has irrevocably and with prejudice withdrawn or discontinued any such proceeding and hereby undertakes that it shall not reopen any such proceeding in future or file or initiate fresh proceeding to enforce or pursue attachments and evidence thereof is furnished herewith. Particulars of such proceeding, initiated and withdrawn or discontinued by the declarant, are provided in Part H of the Annexure;
- (iii) initiated proceeding to enforce or pursue attachments in connection with any awards, orders, judgements or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the declarant, as referred to in clause (c) of this undertaking against the Republic of India and any Indian affiliate. All such proceeding filed by the declarant have been disposed of and no further proceeding has been filed by the declarant and evidence is herewith furnished and hereby undertakes that it shall not reopen any such proceeding in future or file or initiate fresh proceeding to enforce or pursue attachments. Particulars of such proceeding, initiated and disposed of, are provided in Part H of the Annexure;
- (iv) initiated proceeding to enforce or pursue attachments in connection with any awards, orders, judgements, or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the declarant as referred to in clause (c) of this undertaking, either against the Republic of India and any Indian affiliate and one or more of such proceeding are pending on the date of undertaking and, the declarant has obtained one or more orders from any court or other authority which remain outstanding against India and any Indian Affiliate. The declarant hereby undertakes that it shall not file in future any such proceeding to enforce or pursue attachments regarding any awards, orders, judgements, or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the declarant as referenced in clause (c) of this undertaking or to enforce the orders from any court or other authority which remain outstanding against Republic of India and any Indian Affiliate. The declarant further undertakes to fully cooperate with the Republic of India or any Indian affiliate which is subject to such outstanding order, in order to set-aside or otherwise nullify any such outstanding order, and irrevocably and with prejudice waives any rights or remedies arising from such outstanding order. Particulars of such proceeding are provided in Part I of the Annexure. The declarant also undertakes to irrevocably withdraw, terminate and discontinue with prejudice any and all such proceeding to enforce or pursue attachments in accordance with clause (e).
- (e) The declarant hereby undertakes as follows:
 - (i) to irrevocably and with prejudice withdraw, discontinue, terminate and take all necessary steps to irrevocably and with prejudice close the pending proceeding referred in sub-clause (iv) of clause (b), sub-clause (iv) of clause (c), sub-clause (v) of clause (c) and sub-clause (iv) of clause (d) of this undertaking, as well as any

other pending proceeding against India or Indian affiliates relating to the relevant order or orders and not referenced in clauses (b), (c) and (d) above, and not to pursue in any way and by any means in future the pending proceeding as referenced in clauses (b), (c), and (d) above, and any other pending proceeding relating to the relevant order or orders not referred in the above clauses and any other fresh proceeding relating to the relevant order or orders. In so acting, declarant shall act in accordance with this undertaking and in full cooperation with the Republic of India;

- to irrevocably terminate, release, discharge, and forever irrevocably waive any (ii) right, whether direct or indirect, and any claims, demands, liens, actions, suits, causes of action, obligations, controversies, debts, costs, attorneys' fees, court's fees, expenses, damages, judgments, orders, declaratory reliefs and liabilities of whatever kind or nature at law, in equity, or otherwise, whether now known or unknown previously (or in future discovered), suspected or unsuspected, and whether or not concealed or hidden, which have existed or may have existed, or do exist or which hereafter can, shall or may exist, in relation to any award, order, judgment, or any other relief as referred in clause (b), (c) and (d) of this undertaking, against the Republic of India and all Indian affiliates, ordered, issued or passed in connection with the relevant order or orders, whether it is in proceeding initiated by the declarant or by Republic of India and any Indian Affiliate. The declarant further undertakes to fully cooperate with the Republic of India or any Indian affiliate which is subject to any outstanding order referenced in clause (d), in order to set-aside or otherwise nullify any such outstanding order, and irrevocably and with prejudice waives any rights or remedies arising from such outstanding order. For the avoidance of doubt, the declarant's irrevocable waiver includes irrevocable waiver of any right provided by any existing ex-parte, provisional, or other kind of court order permitting enforcement or attachment against the Republic of India and any Indian affiliate, in furtherance of any award, order judgment, or any other relief that may have been ordered or issued or passed by any arbitral tribunal as referred in clauses (b), (c) and (d) above. For further avoidance of doubt, the declarant also undertakes to irrevocably waive any right to seek or pursue any claim for costs in respect of any proceeding initiated by Republic of India and any Indian affiliate to set aside such award, order or judgement ordered, issued or passed in favour of the declarant. Such irrevocable waiver includes, but is not limited to, any right under any relevant ex-parte order;
- (iii) to irrevocably waive any right to seek or pursue any claim for costs in respect of any proceeding initiated by the Republic of India to set aside such award, order or judgement, or any other relief issued in favour of the declarant.
- (f) The declarant specifically represents that all Parts of the Annexure as described in this undertaking are full and complete to the best of its knowledge.
- (g) The declarant hereby undertakes to irrevocably terminate, release, discharge, and forever irrevocably waive any right, whether direct or indirect, and any remedies, claims, demands, liens, actions, suits, causes of action, obligations, controversies, debts, costs, attorneys' fees, court's fees, expenses, damages, judgments, orders, compensation, and liabilities of whatever kind or nature at law, in equity, or otherwise, whether now known or unknown, suspected or unsuspected, and whether or not concealed or hidden, which have existed or may have existed, or do exist or which hereafter can, shall or may exist, based on pursuit of any remedy or any and all claims, demands, damages, judgments, awards, costs, expenses, compensation or liabilities of any kind (whether asserted or unasserted) in relation to any facts, events, or omissions occurring from the beginning of time to the date of this undertaking and thereafter in future in relation to taxation of said income or relevant order or orders, or any related award, judgment or court order, which may otherwise be available to the declarant under any law for the time being in force, in equity, under any statute or under any agreement entered into by Republic of India with any country or territory outside Republic of India, whether for protection of investment or otherwise , whether it is in

proceeding initiated by the declarant or by Republic of India and any Indian affiliate. For the avoidance of doubt, the declarant's above waiver includes an irrevocable waiver of any claim against India and any Indian Affiliate to costs incurred or interest accrued in relation to the relevant order or orders, or any related ongoing or completed litigation, arbitration, conciliation or mediation. Moreover, for the avoidance of any doubt, the declarant hereby undertakes (for itself and on behalf of all related parties) to forgo any reliance on any right under any award, judgment, or court order pertaining to the relevant order or orders or under the relevant order or orders.

- (h) The declarant further represents that as of the date of this undertaking, it has not transferred any of its claims under any award, judgment, or court order pertaining to the relevant order or orders or under the relevant order or orders, or granted any rights, to third parties, and further undertakes to not transfer any of its claims to third parties after entering this undertaking. Where any such claim or right is transferred, the declarant confirms that it has provided the particulars of all the interested parties in Part L, and the undertakings from each of such interested parties is attached with this undertaking in accordance with Part M of the Annexure.
- (i) In the event that, notwithstanding the foregoing, any person asserts, brings, files or maintains any claim against the Republic of India or Indian affiliates (hereinafter collectively referred to as "releasees")at any time on or after the date of furnishing this undertaking, the declarant shall indemnify, defend and hold harmless such releasees from and against any and all costs, expenses (including attorney's fees and court's fees), interest, damages, and liabilities of any nature arising out of or in any way relating to the assertion or, bringing, filing or maintaining of such claim. The declarant specifically represents that, to the best of its knowledge, after -
 - (i) the execution of this undertaking;
 - (ii) the execution of any separate related undertaking by any other party in connection with the relevant order or orders; and
 - (iii) irrevocable withdrawal of all pending proceeding as outlined in this undertaking,

no other claim regarding the said relevant order or orders referenced above, or any related award, judgment, or court order, shall remain outstanding against the Republic of India or any Indian affiliates. To avoid any doubt, the declarant's indemnity of releasees under this clause shall include any claim brought by any third party alleging that it has obtained the declarant's claims under an award, judgement or court order or the relevant order or orders. An indemnity bond to this effect is attached in Part N of the undertaking.

- (j) For the removal of any doubt, the declarant fully assumes the risk through the indemnity in clause (i) of any omission or mistake with respect to securing releasees against any related claim by any person. If the declarant fails to obtain any release from such person, the declarant warrants that it will indemnify the Republic of India or any Indian affiliates from any defense costs, court costs, and damages. An indemnity bond to the effect of clause (i) and (j) is annexed to the undertaking.
- (k) The declarant further undertakes to refrain from facilitating, procuring, encouraging or otherwise assisting any person (including but not limited to any related party or interested party) from bringing any proceeding or claims of any kind referred to in the above clauses, or any proceeding or claim of any kind related to any relevant order or orders referred to above (whether in respect of tax, interest or penalty). The declarant shall notify by a public notice or press release, at any time before furnishing intimation in Form No. 3 where this Form is required to be furnished under rule 11UF and before furnishing this undertaking in other cases, that by signing this undertaking any claims arising out of or relating to the relevant order or orders or any related award, judgment or court order, no longer subsist. Such public notice or press release shall include, among other things, confirmation that,-
 - (i) the declarant (and its related parties) forever irrevocably forgo any reliance on any right and provisions under any award, judgment, or court order pertaining to the relevant order or orders or under the relevant order or orders;

- (ii) the declarant has provided this undertaking, which includes a complete release of the Republic of India and any Indian Affiliates with respect to any award, judgment, or court order pertaining to the relevant order or orders or under the relevant order or orders, and with respect to any claim pertaining to the relevant order or orders;
- (iii) the undertaking also includes an indemnity against any claims brought against the Republic of India or any India affiliate, including by related parties or interested parties, contrary to the release; and
- (iv) the declarant confirms it will treat any such award, judgment, or court order as null and void and without legal effect to the same extent as if it had been set aside by a competent court and will not take any action or initiate any proceeding or bring any claim based on that.
- (1) The declarant confirms that the undertakings given herein are intended to be enforceable by the Republic of India, including so as to secure the irrevocable waiver, withdrawal or discontinuance (as appropriate) of all the proceeding and claims referred to in any of the clauses of this undertaking.
- (m) The declarant represents and warrants that:
 - (i) it has full legal power and authority to execute and deliver this undertaking(including but not limited to the issuance of the indemnity described in clauses (i) and (j)under applicable law;
 - (ii) the execution, delivery and performance of this undertaking(including but not limited to the issuance of the indemnity described in clause(i) and (j)has been duly authorised by all necessary corporate action, including but not limited to any board resolution or similar authorisation under applicable law (see Note 3);
 - (iii) this undertaking constitutes the legal, valid and binding obligation of the declarant, enforceable against the declarant in accordance with its terms;
 - (iv) such authorisations described in the above sub-clauses (i), (ii) and(iii) are effective under applicable law, and to this end, letters from local counsel in the relevant jurisdictions are attached to this undertaking which confirm the legality of such authorisations under applicable law.
- (n) The declarant confirms that by submitting the present undertaking, it fulfills the conditions specified in the *Explanation* below the sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9.
- (o) The details of the bank account in which the refund may be credited are provided in Part J of the Annexure.
- (p) The details of all the interested parties are provided in Part K and Part L of the Annexure. The undertaking in Part M of the Annexure by each of such persons is attached with this undertaking. The declarant represents and warrants that:
 - (i) all such undertakings have been executed and delivered by the person who has full legal power and authority to execute and deliver such undertakings;
 - (ii) the execution, delivery and performance of this undertaking has been duly authorised by all necessary corporate action; and
 - (iii) this undertaking constitutes the legal, valid and binding obligation of the declarant, enforceable against such person in accordance with its terms. Such separate, related undertakings may take the same form as this undertaking.
- (q) The declarant is or is not covered under sub-rule (6) of rule 11UF and in case if the declarant is not covered under said sub-rule all the conditions provided under sub-rule (2) of rule 11UE have been fulfilled.

(r) This undertaking is governed by relevant Indian law and any dispute with respect to this undertaking shall be subject to Indian laws and be decided in accordance with the procedures specified in the Act under the exclusive jurisdiction of the relevant income-tax authorities, tribunals or courts in Republic of India, as the case may be, which are empowered to decide disputes under the Act.

I also confirm that I am aware of all the consequences and implications of this undertaking.

Place:

Signature

Attachments

- 1. The Board Resolution or legal authorisation, as the case may be, as referred to in clause (m) of the undertaking
- 2. An indemnity bond to the effect of clause (i) and clause (j) of the undertaking attached in Part N of the undertaking.;
- 3. Copy of the public notice referred to in clause (k) of the undertaking, where Form No. 3 is not required to be furnished under sub-rule (6) of rule 11UF.
- 4. Attachments as required in different parts of the Annexure to this undertaking

Notes

- 1. This information is required to be furnished where the Permanent Account Number or Aadhaar Number of the signatory is available.
- 2. Company Identification Number and Taxpayer Identification Number are to be provided where Permanent Account Number or Aadhaar Number or Tax Deduction Account Number of the declarant are not available.
- **3.** The Board Resolution or legal authorisation, as referred to in clause (m) of the undertaking shall, among other things:
 - (a) record the signatory's power and authority to give the undertaking on behalf of the declarant; and
 - (b) record the declarant's power and authority to indemnify defend and hold harmless the Republic of India and the Indian affiliates in accordance with clause (i) of the undertaking)

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and belief. No part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _______ place _______ on this the _______ day ______ of _____month ______, year ______.

Place:

Date:

Signature

49

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•••	'

Annexure

Sr. No.	Assessment Year or Financial year	Income- tax Authority passing	Details order u consider	nder	Taxes or penalty determined	Interest	Total demand	Relief, provided in any appeal proceeding,	Demand recovered from the declarant	Pending demand or refund due as on date	Details of the attachments made by
		the order	Section and sub- section of the Income- tax Act, 1961	of order				if any			any Income-tax Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Part B- Particulars of the relevant order or orders covered by sub-clause (i) of clauses(b), (c) and (d) of the undertaking:

Sl. No.	Sl. No. in Part A	No appeal or application or	No proceeding has been	No proceeding initiated to enforce
	where the relevant	petition or proceeding before	,	or pursue attachments in
	order is mentioned	any Income-tax authority or	conciliation or mediation,	connection with any award, order
		Authority for Advance	and no notice has been	or judgement, any other relief that
		Rulings constituted under	given thereof under any	may have been ordered or issued or
		section 245-O of the Act or	law for the time being in	passed by any tribunal or court or
		the Board for Advance	force or under any	other judicial or administrative
		Rulings under section 245-	agreement entered into by	authority in relation to the said
		OB or Income-tax	India with any other	arbitration, conciliation or
		Settlement Commission	country or territory outside	mediation proceeding in favour of
		constituted under section	India, whether for	the declarant against the Republic
		245B or the Interim Board	protection of investment or	of India and Indian affiliates (refer
		for Settlement constituted	otherwise (refer clause	clause (d)(i) of the undertaking)
		under section 245AA or any	(c)(i) of the undertaking).	
		tribunal or court has been		
		filed(refer clause (b)(i) of		
		the undertaking).		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Applicable or Not applicable	Applicable or Not	Applicable or Not applicable
			applicable	

Part C: Particulars of the appeals or applications or petitions or proceeding under sub-clause (ii) and (iii) of
clause (b) of the undertaking:

Sr.	Sl. No. in Part A	Nature of appeals or	Income-tax authority or	Date of filing the	Date of disposing of or
No.	where the relevant	applications or petitions	2	appeals or	withdrawal such appeals or
	order is mentioned	or proceeding	Rulings constituted under	applications or	applications or petitions or
		1 0	section 245-O of the Act or	petitions or	proceeding (Please attach a
			the Board for Advance	proceeding	copy of order by the Income-
			Rulings under section 245-	1 0	tax authority or Authority for
			OB or Income-tax Settlement		Advance Rulings constituted
			Commission constituted		under section 245-O of the
			under section 245B or the		Act or the Board for
			Interim Board for Settlement		Advance Rulings under
			constituted under section		section 245-OB or Income-
			245AA or any tribunal or		tax Settlement Commission
			court before whom such		constituted under section
			appeals or applications or		245B or the Interim Board
			petitions or proceeding has		for Settlement constituted
					under section 245AA or any

			been filed		tribunal or court accepting the withdrawal or disposing of)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Part D – Particulars of the appeals or applications or proceeding under sub-clause (iv) of clause (b) of the undertaking:

Sr. No.	Sl. No. in Part A where the relevant order is mentioned	Nature of appeals or applications or petitions or proceeding	Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court before whom such appeals or applications or petitions or proceeding has been filed	Date of filing the appeals or applications or petitions or proceeding
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Part E – Particulars of the proceeding for arbitration,	conciliation or mediation, or notices under sub-clause
(ii) and (iii) of clause (c) of the undertaking:	

Sr. No.	Sl. No in Part A where the relevant order is mentioned	Nature of proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof with case number or Notice given	Particulars (including the name of the country) where such proceeding for arbitration, conciliation or mediation are pending or notices thereof have been issued	Date of initiating the proceeding for arbitration, conciliation or mediation/ issue of notice	Name of the agreement entered into by India under which the proceeding for arbitration, conciliation or mediation are pending	Status of the proceeding for arbitration, conciliation or mediation	Date of disposing of or withdrawal of such proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices (Please attach evidence of such disposing of or withdrawal, including order of the Tribunal or court or other judicial or quasi-judicial or
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	authority)) (8)

Part F – Particulars of the proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices under sub-clause (iv) of clause (c) of the undertaking:

Sr.	Sl. No in Part A	Nature of	Particulars	Date of initiating	Name of the	Status of the
No.	where the relevant	proceeding	(including the	the proceeding for	agreement	proceeding
	order is mentioned	for	name of the	arbitration,	entered into	for
		arbitration,	country)	conciliation or	by India	arbitration,
		conciliation	where such	mediation/ issue of	under which	conciliation
		or mediation,	proceeding	notice	the	or mediation
		or notices	for		proceeding	
		thereof with	arbitration,		for	
		case number	conciliation		arbitration,	
		or Notice	or mediation		conciliation	

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

			are pending of notices thereof have been issued		or mediation are pending	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Part G – Particulars of the award, order or judgement or any other relief under sub-clause (v) of clause (c) of the undertaking:

Sr. No.	Sl. No. in Part A where the relevant order is mentioned	Nature of such award, order or judgement or any other relief		, ,	Status of the award, order, judgement or any other relief
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Part H – Particulars of the proceeding to enforce any award, order or judgement or any other relief under sub-clause (ii) and (iii) of clause (d) of the undertaking:

Sr.	Sl. No. in Part A	Nature of	Particulars	Date of filing	Nature of such	Status of the	Date of disposing of
No.	where the relevant	proceeding to	(including the	proceeding to	award, order	proceeding to	or withdrawal of
	order is mentioned		name of the	enforce any	or judgement	enforce such	proceeding to enforce
		award, order or	country)	award, order	or any other	award, order or	such award, order or
		judgement or	where such	or judgement	relief	judgement or	judgement or any
		any other relief	proceeding to	or any other	(Attach copy	any other relief	other relief (Please
			enforce any	relief	(Attach copy thereof)		attach a copy of
			award, order		ulereoi)		evidence of such
			or judgement				disposing
			or any other				of/withdrawal,
			relief are				including order of the
			taking place				Court or other judicial
							authority))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Part I – Particulars of the proceeding to enforce any award, order or judgement or any other relief under sub-clause (iv) of clause (d) of the undertaking:

Sr.	Sl. No in Part A	Nature of	Particulars (including	Date of filing	Nature of such	Status of the
No.	where the relevant	proceeding to	the name of the	proceeding to enforce	award, order or	proceeding to
	order is mentioned	enforce such	country) where such	any award, order or	judgement or any	enforce such
		award, order or	proceeding to enforce	judgement or any other	other relief	award, order or
		judgement or any	any award, order or	relief	(Attach comy	judgement or any
		other relief	judgement or any other		(Attach copy thereof)	other relief
			relief are taking place		thereof)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Part J – Details of bank account in Republic of India to which the refund is to be remitted

Sr. No.	Bank Name and Address	Account Number and other required details for remittance
(1)	(2)	(3)

Part K- Details of all the all the companies or entities in the entire chain of holding of the declarant till the
ultimate holding company or entity of the declarant:

Sl. No.	Name of holding company	Percentage of the ownership by such holding company in the declarant as on the date of undertaking	If the ownership in the declarant is not held directly by such holding company, the chain of ownership with the names of all the companies in the chain of ownership
(1)	(2)	(3)	(4)

Part L- Details of all the interested parties other than the interested parties covered under Part K

Sl. No.	Name of such persons whose interest may be affected directly or indirectly by this undertaking	Nature of interest of such person	Amount of interest of such person (Rs), if available
(1)	(2)	(3)	(4)

PART M Undertaking by person(s) declared in Park K and Part L of the Undertaking

To,

Principal Commissioner/Commissioner

.....

Sir/Madam,

I(name in block letters) son/daughter of	
designationand nationalityand relate	d passport
number (hereinafter referred to as "signatory")	having
Permanent Account Number/Aadhaar Number (see Note 1)on	n behalf of
(name of the interested party) having Permanent Account	Number /
Aadhaar number / Tax Deduction Account Number (see Note 2)	
and being duly authorised and competent to represent the interested party in this regar	d pursuant
to Board Resolution and legal authorisation (see Note 3), as the case may be , hereby	declare as
follows:	

- (a) The particulars of specified orders that have been passed or made in respect of income accruing or arising through or from the transfer of an asset or a capital asset situate in India in consequence of the transfer of a share or interest in a company or entity registered or incorporated outside Republic of India made before the 28th day of May, 2012 in the case of declarant and the nature of interest of the interested party in such specified orders are provided in Part MA of the Annexure.
- (b) The interested party has (strike off options that are not applicable),
 - (i) not filed any appeal or application or petition or proceeding before any Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court against the relevant order or orders, and hereby undertakes that it shall not file any appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders. Particulars of such relevant order or orders are provided in Part MB of the Annexure;
 - (ii) filed one or more appeals or applications or petitions or proceeding before any Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim

Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court against the relevant order or orders and has irrevocably, on a with prejudice basis, withdrawn all such appeals or applications or petitions or proceeding or such appeals or applications or petitions or proceeding have been disposed at any time before the date of filing Form No. 1, and hereby undertake that it shall not file any appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders. Particulars of such appeals or applications or petitions or petitions or proceeding filed and irrevocably withdrawn with prejudice by the interested party, are provided in Part MC of the Annexure;

- (iii) filed one or more appeals or applications or petitions or proceeding before any Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court against the relevant order or orders and all the appeals or applications or petitions or proceeding filed by the interested party have been disposed of and no further appeal or application or petition or proceeding has been filed by the interested party and evidence thereof is furnished herewith and hereby undertake that it shall not file any appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders. Particulars of such appeals or applications or proceeding filed and disposed of, are provided in Part MC of the Annexure;
- (iv) filed appeals or applications or petitions or proceeding before any Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income-tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court against the relevant order or orders and one or more of such appeals or applications or petitions or proceeding are pending as on the date of this undertaking and hereby undertakes to irrevocably withdraw, terminate and discontinue any and all such appeals or applications or petitions or proceeding that are pending as on the date of signing this undertaking, on a with prejudice basis, in accordance with clause (e) below. The interested party further undertakes that it shall not file any such appeal, application, petition or proceeding in future against the relevant order or orders. Particulars of such pending appeals or applications or petitions or proceeding filed by the interested party and their status as on the date of this undertaking, are provided in Part D of the Annexure. Particulars of any appeals or applications or petitions or proceeding as described in this clause (b) which are not covered by the sub-clauses (i) and (ii) are also provided in Part MD of the Annexure;
- (c) The interested party has (strike off options that are not applicable),
 - (i) not initiated any proceeding for arbitration, conciliation or mediation, and no notice has been given thereof under any law for the time being in force or under any agreement entered into by Republic of India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise against the relevant order or orders, and hereby undertakes that it shall not initiate any such arbitration, conciliation or mediation in future. Particulars of such relevant order or orders are provided in Part MB of the Annexure;
 - (ii) initiated proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof has been given, under any law for the time being in force or under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise against the relevant order or orders and has irrevocably, on a with prejudice basis, withdrawn any such proceeding for arbitration, conciliation or mediation, and notices given thereof. The interested party hereby undertakes that it shall not reopen in future any such proceeding or initiate or file any such arbitration, conciliation or mediation in future arising out of

or in connection with the relevant order or orders. Particulars of such proceeding for arbitration, conciliation or mediation and notices given thereof, initiated and irrevocably withdrawn with prejudice by the interested party, are provided in Part ME of the Annexure;

- (iii) initiated proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof has been given, under any law for the time being in force or under any agreement entered into by Republic of India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise against the relevant order or orders and all the arbitration, conciliation or mediation filed by the interested party have been disposed of and no further proceeding has been initiated by the interested party and evidence thereof is furnished herewith. The interested party hereby undertakes that it shall not reopen in future any such proceeding or initiate or file any such arbitration, conciliation or mediation in future arising out of or in connection with the relevant order or orders. Particulars of such proceeding for arbitration, conciliation or mediation and notices given thereof, initiated and disposed of, are provided in Part ME of the Annexure;
- (iv) has initiated proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof has been given, under any law for the time being in force or under any agreement entered into by Republic of India with any other country or territory outside Republic of India, whether for protection of investment or otherwise against the relevant order or orders and one or more of such proceeding or notices are pending on the date of undertaking and hereby undertakes to irrevocably withdraw, terminate and discontinue any and all such proceeding or notices for arbitration, conciliation or mediation that are pending as on the date of signing this undertaking, on a with prejudice basis, in accordance with clause (e). Particulars of such pending proceeding and notices filed by the interested party are provided in Part F of the Annexure. The interested party hereby further undertakes that it shall not initiate any such arbitration, conciliation or mediation in future arising out of or in connection with the relevant order or orders. Particulars of any proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof, which are not covered by the sub-clause (i) and sub- clause (ii), are also provided in Part MF of the Annexure;
- (v) received or got any awards, orders, judgements or any other reliefs issued in favour of the interested party, arising out of or in any way relating to the imposition of tax, interest and penalty based on the relevant order or orders, under any agreement entered into by India with any other country or territory outside India, whether for protection of investment or otherwise and hereby undertakes to irrevocably waive any right to seek or pursue any claim or costs or declaratory relief in relation to or arising out of such awards, orders or judgements or any other relief that may have been ordered, issued or passed against India and any Indian affiliate, whether it is in proceeding initiated by the interested party or by India and any Indian affiliate. The interested party also undertakes to irrevocably waive any right to seek or pursue any claim for costs in respect of any proceeding initiated by the Republic to set aside such award, order or judgement issued in favour of the interested party. The interested party hereby undertakes that it shall not initiate or file any such arbitration, conciliation or mediation in future. Particulars of such awards, orders, judgement or any other relief are provided in Part MG of the Annexure;
- (d) The interested party has (strike off options that are not applicable),
 - (i) not initiated any proceeding to enforce or pursue attachments in connection with any awards, orders, judgements, or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the interested party as referred in clause (c) of this undertaking either against the Republic of India and any Indian affiliate, and hereby

undertakes that it shall not initiate any such proceeding in future. Particulars of such award, order or judgment are provided in Part MB of the Annexure;

- (ii) initiated proceeding to enforce or pursue attachments in connection with any awards, orders, judgements or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the interested party, as referred to in clause (c) of this undertaking against the Republic of India and any Indian affiliate. The interested party has irrevocably and with prejudice withdrawn or discontinued any such proceeding and hereby undertakes that it shall not reopen any such proceeding in future or file fresh proceeding to enforce or pursue attachments. Particulars of such proceeding, initiated and withdrawn or discontinued by the interested party, are provided in Part MH of the Annexure;
- (iii) initiated proceeding to enforce or pursue attachments in connection with any awards, orders, judgements or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the interested party, as referred to in clause (c) of this undertaking against the Republic of India and any Indian affiliate. All such proceeding filed by the interested party have been disposed of and no further proceeding has been filed by the interested party and evidence is herewith furnished and hereby undertakes that it shall not reopen any such proceeding in future or file or initiate fresh proceeding to enforce or pursue attachments. Particulars of such proceeding, initiated and disposed of, are provided in Part MH of the Annexure;
- (iv) initiated proceeding to enforce or pursue attachments in respect of any awards, orders, judgements, or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the interested party as referred to in clause (c) of this undertaking, either against the Republic of India and any Indian affiliate and one or more of such proceeding are pending on the date of undertaking and, interested party has obtained one or more orders from any court or other authority which remain outstanding against India and any Indian affiliate. The interested party hereby undertakes that it shall not file in future any such proceeding to enforce or pursue attachments regarding any awards, orders, judgements, or any other relief that may have been ordered, issued or passed by any tribunal or court or other judicial, quasi-judicial or administrative authority in relation to the said arbitration, conciliation or mediation proceeding in favour of the interested party as referenced in clause (c) of this undertaking or to enforce the orders from any court or other authority which remain outstanding against India and any Indian affiliate. The interested party further undertakes to fully cooperate with the Republic of India or any Indian affiliate which is subject to such outstanding order, in order to set-aside or otherwise nullify any such outstanding order, and irrevocably and with prejudice waives any rights or remedies arising from such outstanding order. Particulars of such proceeding, are provided in Part MI of the Annexure. Particulars of any such proceeding, to enforce or pursue attachments in connection with any awards, orders, judgements, or any other relief, which are not covered by the sub-clauses (i) and (ii), are also provided in Part MI of the Annexure. The interested party also undertakes to irrevocably withdraw, terminate and discontinue with prejudice any and all such proceeding to enforce or pursue attachments in accordance with clause (e) below;
- (e) The interested party hereby undertakes as follows: -
 - (i) to irrevocably and with prejudice withdraw, discontinue, terminate and take all necessary steps to irrevocably and with prejudice close the pending proceeding referred in sub-clause (iv) of clause (b), sub-clause (iv) of clause (c), sub-clause (v)

of clause (c) and sub-clause (iv) of clause (d) of this undertaking, as well as any other pending proceeding against Republic of India or Indian affiliates relating to the relevant order or orders and not referenced in clauses (b), (c) and (d) above, and not to pursue in any way and by any means in future the pending proceeding as referenced in clauses (b), (c), and (d), and any other pending proceeding relating to the relevant order or orders not referred in the above clauses and any other fresh proceeding relating to the relevant order or orders. In so acting, interested party shall act in accordance with this undertaking and in full cooperation with the Republic of India;

- to irrevocably terminate, release, discharge, and forever irrevocably waive any (ii) right, whether direct or indirect, and any claims, demands, liens, actions, suits, causes of action, obligations, controversies, debts, costs, attorneys' fees, court's fees, expenses, damages, judgments, orders, declaratory reliefs, and liabilities of whatever kind or nature at law, in equity, or otherwise, whether now known or unknown previously (or in future discovered), suspected or unsuspected, and whether or not concealed or hidden, which have existed or may have existed, or do exist or which hereafter can, shall or may exist, in relation to any award, order, judgment, or any other relief as referred in clauses (b), (c) and (d) of this undertaking, against the Republic of India and all Indian affiliates, ordered, issued or passed in connection with the relevant order or orders, whether it is in proceeding initiated by the interested party or by India and any Indian affiliate. For the avoidance of doubt, the interested party's irrevocable waiver includes irrevocable waiver of any right provided by any existing ex-parte, provisional, or other kind of court order permitting enforcement or attachment against the Republic of India and any Indian affiliate, in furtherance of any award, order judgment, or any other relief that may have been ordered or issued or passed by any arbitral tribunal as referred in clauses (b), (c) and (d). The interested party further undertakes to fully cooperate with the Republic of India or any Indian affiliate which is subject to any outstanding order referenced in clause (d), in order to set-aside or otherwise nullify any such outstanding order, and irrevocably and with prejudice waives any rights or remedies arising from such outstanding order. For further avoidance of doubt, the interested party also undertakes to irrevocably waive any right to seek or pursue any claim for costs in respect of any proceeding initiated by Republic of India and any Indian Affiliate to set aside such award, order or judgement ordered, issued or passed in favour of the interested party. Such irrevocable waiver includes, but is not limited to, any right under any relevant ex-parte order;
- (iii) to irrevocably waive any right to seek or pursue any claim for costs in respect of any proceeding initiated by the Republic of India to set aside such award, order or judgement, or any other relief issued in favour of the interested party.
- (f) The interested party specifically represents that all Parts of the Annexure as described in this undertaking are full and complete to the best of its knowledge.
- (g) The interested party hereby undertakes to irrevocably terminate, release, discharge, and forever irrevocably waive any right, whether direct or indirect, and any remedies, claims, demands, liens, actions, suits, causes of action, obligations, controversies, debts, costs, attorneys' fees, court's fees, expenses, damages, judgments, orders, compensation, and liabilities of whatever kind or nature at law, in equity, or otherwise, whether now known or unknown, suspected or unsuspected, and whether or not concealed or hidden, which have existed or may have existed, or do exist or which hereafter can, shall or may exist, based on pursuit of any remedy or any and all claims, demands, damages, judgments, awards, costs, expenses, compensation or liabilities of any kind (whether asserted or unasserted) in relation to any facts, events, or omissions occurring from the beginning of time to the date of this undertaking and thereafter in future in relation to taxation of said income or relevant order or orders, or any related award, judgment or court order, which may otherwise be available to the interested party under any law for the time being in force, in equity, under any statute or under any agreement entered into by India with any country or territory

outside India, whether for protection of investment or otherwise , whether it is in proceeding initiated by the interested party or by India and any Indian affiliate. For the avoidance of doubt, the interested party's above waiver includes an irrevocable waiver of any claim against India and any Indian affiliate to costs incurred or interest accrued in relation to the relevant order or orders, or any related ongoing or completed litigation, arbitration, conciliation or mediation. Moreover, for the avoidance of any doubt, the interested party hereby undertakes to forgo any reliance on any right under any award, judgment, or court order pertaining to the relevant order or orders or under the relevant order or orders.

- (h) The interested party further represents that as of the date of this undertaking, it has not transferred any of its claims under any award, judgment, or court order pertaining to the relevant order or orders or under the relevant order or orders, or granted any rights, to third parties, and further undertakes to not transfer any of its claims to third parties after entering this undertaking.
- (i) In the event that, notwithstanding the foregoing, any person asserts, brings, files or maintains any claim against the Republic of India or Indian affiliates (hereinafter collectively referred to as "releasees")at any time on or after the date of furnishing this undertaking, the interested party shall indemnify, defend and hold harmless such releasee from and against any and all costs, expenses (including attorneys' fees and court's fees), interest, damages, and liabilities of any nature arising out of or in any way relating to the assertion or, bringing, filing or maintaining of such claim. The interested party specifically represents that, to the best of its knowledge, after
 - (i) the execution of this undertaking;
 - (ii) the execution of any separate related undertaking by any other party in connection with the relevant order or orders; and
 - (iii) irrevocable withdrawal of all pending proceeding as outlined in this undertaking,

no other claim regarding the said relevant order or orders referenced above, or any related award, judgment, or court order, shall remain outstanding against the Republic of India or any Indian affiliate. To avoid any doubt, the interested party's indemnity of releasees shall include any claim brought by any third party alleging that it has obtained the interested party's claims under an award, judgement or court order or the relevant order or orders. An indemnity bond to this effect is attached in Part N of the undertaking.

- (j) For the avoidance of any doubt, the interested party fully assumes the risk through the indemnity in clause (i) of any omission or mistake with respect to securing releasees against any related claim by any person. If the interested party fails to obtain any release from such person, the interested party warrants that it will indemnify the Republic of India or any Indian affiliates from any defense costs, court costs, and damages. An indemnity bond to the effect of clause (i) and (j) is annexed to the undertaking.
- (k) The interested party further undertakes to refrain from facilitating, procuring, encouraging or otherwise assisting any party (including but not limited to any related party) from bringing any proceeding or claims of any kind referred to in the above clauses, or any proceeding or claim of any kind related to any relevant order or orders referred to above (whether in respect of tax, interest or penalty). The interested party shall notify by a public notice or press release, at any time before furnishing intimation in Form No. 3 where Form No.3 is required to be furnished under rule 11UF and before furnishing this undertaking in other cases, that by signing this undertaking any claims arising out of or relating to the relevant order or orders or any related award, judgment or court order, no longer subsist. Such public notice shall include, among other things, confirmation that,-
 - the interested party forever irrevocably forgoes any reliance on any right and provisions under any award, judgment, or court order pertaining to the relevant order or orders or under the relevant order or orders;

- (ii) the interested party has provided this undertaking, which includes a complete release of the Republic of India and any Indian Affiliate with respect to any award, judgment, or court order pertaining to the relevant order or orders or under the relevant order or orders, and with respect to any claim pertaining to the relevant order or orders;
- (iii) the undertaking also includes an indemnity against any claims brought against the Republic of India or any India affiliate contrary to the release; and
- (iv) the interested party confirms it will treat any such award, judgment, or court order as null and void and without legal effect to the same extent as if it had been set aside by a competent court and will not take any action or initiate any proceeding or bring any claim based on that.
- (1) The interested party confirms that the undertakings given herein are intended to be enforceable by the Republic of India, including so as to secure the irrevocable waiver, withdrawal or discontinuance (as appropriate) of all the proceeding and claims referred to in any of the clauses of this undertaking.
- (m) The interested party represents and warrants that:
 - (i) it has full legal power and authority to execute and deliver this undertaking (including but not limited to the issuance of the indemnity described in clauses (i) and (j) under applicable law;
 - (ii) the execution, delivery and performance of this undertaking (including but not limited to the issuance of the indemnity described in clause (i) and (j) has been duly authorised by all necessary corporate action, including but not limited to any board resolution or similar authorisation under applicable law (see Note 3);
 - (iii) this undertaking constitutes the legal, valid and binding obligation of the interested party, enforceable against the interested party in accordance with its terms;
 - (iv) such authorisations described in the above sub-clauses (i), (ii) and (iii)are effective under applicable law, and to this end, letters from local counsel in the relevant jurisdictions are attached to this undertaking which confirm the legality of such authorisations under applicable law; and
- (n) This undertaking is governed by relevant Indian law and any dispute with respect to this undertaking shall be subject to Indian laws and be decided in accordance with the procedures specified in the Act under the exclusive jurisdiction of the relevant Income-tax authorities, tribunals or courts in India, as the case may be, which are empowered to decide disputes under the Act.

I also confirm that, I am aware of all the consequences and implications of this undertaking.

Place:	
Date:	

Signature

.....

Attachments

- 1. The Board Resolution and legal authorisation, as referred to in clause (m) of Part M.
- 2. An indemnity bond to the effect of clause (i) and (j) of Part M in Part N of the undertaking in Form No. 1;
- 3. Copy of the public notice referred to in clause (k) of Part M, where Form No. 3 is not required to be furnished under sub-rule (6) of rule 11UF.

4. Attachments as required in different parts of the Annexure to Part M of this undertaking

Notes:

- 1. This information is required to be furnished where the Permanent Account Number or Aadhaar Number of the signatory is available.
- 2. Company Identification Number and Taxpayer Identification Number are to be provided where Permanent Account Number/Aadhaar Number or Tax Deduction Account Number of the interested party are not available.
- **3.** The Board Resolution or legal authorisation, as referred to in clause (m) of the undertaking shall, among other things:
 - (a) record the Signatory's power and authority to give the undertaking on behalf of the interested party; and
 - (b) record the interested party's power and authority to indemnify defend and hold harmless the Republic of India and the Indian affiliates in accordance with clause (i) of the undertaking)

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and belief. No part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _______ place______ on this the ___day _____ of ______nonth_____, year ______.
Place:
Date:

Signature

.....

Annexure

Part MA– Particulars of the relevant order or orders:

Sl.	Assessment	Income-tax	Details of the order under consideration		Nature of interest of
No.	Year or Financial year	Authority passing the order	Section and sub-section of the Income-tax Act, 1961	Date of order	the interested party
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Part MB- Particulars of the relevant order or orders covered by sub-clause (i) of clauses (b), (c) and (d) of the undertaking:

Sl. No.	Sl. No. in Part MA	No appeal or application	No proceeding has been	No proceeding initiated to
	where the relevant	or petition or proceeding	initiated for arbitration,	enforce or pursue attachments
	order is mentioned	before any Income-tax	conciliation or	in connection with any award,
		authority or Authority for	mediation, and no notice	order or judgement, any other
		Advance Rulings	has been given thereof	relief that may have been
		constituted under section	under any law for the	ordered or issued or passed by
		245-O of the Act or the	time being in force or	any tribunal or court or other
		Board for Advance	under any agreement	judicial or administrative
		Rulings under section	entered into by India	authority in relation to the said
		245-OB or Income-tax	with any other country	arbitration, conciliation or
		Settlement Commission	or territory outside	mediation proceeding in favour
		constituted under section	India, whether for	of the interested party against
		245B or the Interim	protection of investment	the Republic of India and

		Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court has been filed(refer clause (b)(i) of the undertaking).	or otherwise (refer clause (c)(i) of the undertaking).	Indian affiliates (refer clause (d)(i) of the undertaking)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Applicable or Not applicable	Applicable or Not applicable	Applicable or Not applicable

Part MC – Particulars of the appeals or applications or petitions or proceeding under sub-clause (ii) and
(iii) of clause (b) of the undertaking:

S1.	Sl. No. in Part	Nature of appeals	Income-tax authority or	Date of filing	Date of disposing of or
No.	MA where the	or applications or	Authority for Advance	the appeals or	withdrawal such appeals or
	relevant order is	petitions or	Rulings constituted under	applications or	applications or petitions or
	mentioned	proceeding	section 245-O of the Act or	petitions or	proceeding (Please attach a
			the Board for Advance	proceeding	copy of order by the Income-
			Rulings under section 245-		tax authority or Authority for
			OB or Income-tax		Advance Rulings constituted
			Settlement Commission		under section 245-O of the
			constituted under section		Act or the Board for
			245B or the Interim Board		Advance Rulings under
			for Settlement constituted		section 245-OB or Income-
			under section 245AA or any		tax Settlement Commission
			tribunal or court before		constituted under section
			whom such appeals or		245B or the Interim Board
			applications or petitions or		for Settlement constituted
			proceeding has been filed		under section 245AA or any
					tribunal or court accepting
					the withdrawal or disposing
					of)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Part MD – Particulars of the appeals or applications or petitions or proceeding under sub-clause (iv) of clause (b) of the undertaking:

Sl. No.	Sl. No. in Part MA where the relevant order is mentioned	Nature of appeals or applications or petitions or proceeding	Income-tax authority or Authority for Advance Rulings constituted under section 245-O of the Act or the Board for Advance Rulings under section 245-OB or Income- tax Settlement Commission constituted under section 245B or the Interim Board for Settlement constituted under section 245AA or any tribunal or court before whom such appeals or applications or petitions or proceeding has been filed	Date of filing the appeals or applications or petitions or proceeding
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Part ME – Particulars of the proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices under subclause (ii) and (iii) of clause (c) of the undertaking:

Sl. No.	Sl. No Part MA where the relevant order is mentioned	Nature of proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof	Particulars (Including the name of the country) where such proceeding for	Date of initiating the proceeding for arbitration, conciliation or mediation/ issue of	Name of the agreement entered into by India under which the proceeding for	Status of the proceeding for arbitration, conciliation or mediation	Date of disposing of or withdrawal of such proceeding for arbitration,
------------	--	--	--	--	---	---	---

		with case number or Notice given	arbitration, conciliation or mediation are pending or notices thereof have been issued	notice	arbitration, conciliation or mediation are pending		conciliation or mediation, or notices (Please attach evidence of such disposing of or withdrawal, including order of the Tribunal or court or other judicial or quasi-judicial or administrative authority))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Part MF – Particulars of the proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices under subclause (iv) of clause (c) of the undertaking:

Sl. No.	Sl. No. in Part MA where the relevant order is mentioned	proceeding for arbitration, conciliation or mediation, or notices thereof with case number or Notice given	conciliation or	Date of initiating the proceeding for arbitration, conciliation or mediation or issue of notice	Name of the agreement entered into by India under which the proceeding for arbitration, conciliation or mediation are pending	Status of the proceeding for arbitration, conciliation or mediation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Part MG – Particulars of the award, order or judgement or any other relief under sub-clause (v) of clause (c) of the undertaking:

Sl. No.	Sl. No. in Part MA where the relevant order is mentioned	Nature of such award, order or judgement or any other relief	Particulars (Including the name of the country) where proceeding related to such award, order, judgement or any other relief were held	order, judgement or any other relief along with reference number	Status of the award, order, judgement or any other relief
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Part MH – Particulars of the proceeding to enforce any award, order or judgement or any other relief under sub-clause (ii) and (iii) of clause (d) of the undertaking:

Sl. No.	Sl. No. in Part MA where the relevant order is mentioned	proceeding to enforce such award, order or judgement or any other relief	such	Date of filing proceeding to enforce any award, order or judgement or any other relief	Nature of such award, order or judgement or any other relief (Attach copy thereof)	Status of the proceeding to enforce such award, order or judgement or any other relief	judgement or any
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Sl. No.	Sl. No. in Part MA where the relevant order is mentioned	Nature of proceeding to enforce such award, order or judgement or any other relief	Particulars (Including the name of the country)where such proceeding to enforce any award, order or judgement or any other relief are taking place	any award, order or judgement or any other relief	Nature of such award, order or judgement or any other relief (Attach copy thereof)	Status of the proceeding to enforce such award, order or judgement or any other relief
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Part MI – Particulars of the proceeding under sub-clause (iv) of clause (d) of the undertaking:

Part N

INDEMNITY BOND

This Indemnity Bond ("Bond") is made on this _____ day of _____, 2021 by

(name in block letters) son/ daughter of designation and (hereinafter referred to as passport number nationality_ related and "Signatory") having Permanent Account Number/Aadhaar Number/ Tax Deduction Account Number (See (name of the declarant or interested party, as the case may Note 1) on behalf of be) having Permanent Account Number/ Aadhaar number/Tax Deduction Account (See Note 2) and being duly authorised and competent to represent the declarant Number or interested party, as the case may be, in this regard pursuant to Board Resolution or legal authorisation (See Note 3), of the FIRST PART.

And

The Republic of India and any Indian affiliate (hereinafter collectively referred to as "**releasees**") of the **OTHER PART**.

WHEREAS:

- A. The Income-Tax Rules, 1962 have been amended and the Income-Tax (31st Amendment) Rules, 2021 have come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- B. The declarant or interested party, as the case may be, has filed an undertaking under sub-rule (1) of rule 11UE of the Income -tax Rules, 1962, to which this indemnity bond is annexed. Any defined terms not defined herein shall have the same meaning as the definitions given under rule 11UE and the undertaking.
- Pursuant to the above, the declarant or interested party, as the case may be, has agreed to C. indemnify, defend and hold harmless the Republic of India and Indian affiliates from and against any and all costs, expenses (including attorney fees and court fees), interest, damages, and liabilities of any nature arising out of or in any way relating to the assertion or, bringing, filing or maintaining of any claim at any time after the date of furnishing the undertaking in Form No.1 by any person, related to any relevant order or orders, or in relation to any award, order, judgment, or any other relief, or to any dispute underlying the award, and the declarant or interested party, as the case may be, has agreed to furnish an indemnity bond to this effect, such that the declarant or interested party, as the case may be, fully assumes the risk of any omission or mistake with respect to identification and procurement of authorisations and undertakings from any related parties or interested parties as provided in the undertaking, and securing the Republic of India and Indian affiliates from any claim related to any relevant order or orders, or in relation to any award, order, judgment, or any other relief or to the dispute underlying the award against the Republic of India or Indian affiliates in connection with the relevant order or orders.
- D. Accordingly the declarant or interested party, as the case may be, is executing this Indemnity Bond in favor of the Republic of India on the terms appearing hereunder.

NOW THIS INDEMINTY BOND WITNESSETH AS FOLLOWS:

- 1. In the event that any person or entity asserts, brings, files or maintains any claim against any releasee at any time on or after the date of furnishing this undertaking, related to any relevant order or orders, or in relation to any award, order, judgment, or any other relief, or to any dispute underlying the award, against the Republic of India or Indian affiliates in connection with the relevant order or orders, the declarant or interested party, as the case may be, shall indemnify, defend and hold harmless such releasees from and against any and all costs, expenses (including attorney fees and court fees), interest, damages, and liabilities of any nature arising out of or in any way relating to the assertion or, bringing, filing or maintaining of such claim.
- 2. The declarant or interested party, as the case may be, specifically represents that, to the best of its knowledge, after -
 - (i) the execution of this undertaking;
 - (ii) the execution of any separate related undertaking by any other party in connection with the relevant order or orders; and
 - (iii) withdrawal of all pending proceeding as outlined in this undertaking,

that no other claim regarding the said relevant order or orders referenced above, or any related award, judgment, or court order, or any aspect of the dispute underlying the award shall remain outstanding against the Republic of India or other releasee.

Explanation I.-For the removal of any doubt, the declarant's or interested party's indemnity of releasees under this clause shall include any claim brought by any third party alleging that it has obtained declarant's or interested party's, as the case may be, claims under an award, judgement or court order or the relevant order or orders.

Explanation II.- the declarant or interested party, as the case may be, fully assumes the risk through this indemnity of any omission or mistake with respect to securing releasees against any related claim by any person. If the declarant or interested party, as the case may be, fails to obtain any release from such person, the declarant or interested party, as the case may be, indemnifies through this document the releasees from any defense costs, court costs, and damages.

3. This Indemnity Bond shall be governed by the relevant laws of India and the Delhi High Court shall have sole jurisdiction to entertain and try any dispute or difference arising out of or in connection with the terms of this Bond.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned herein has signed and set his hands on this _____ day of _____, 2021.

For and on behalf of the declarant or interested party, as the case may be,

Name and address of Witness

Signature of the Witness

1.

2.

Place;

Date:

Note

- 1. This information is required to be furnished where the Permanent Account Number or Aadhaar Number of the signatory is available.
- 2. Company Identification Number and Taxpayer Identification Number are to be provided where

Permanent Account Number or Aadhaar Number or Tax Deduction Account Number of the declarant or interested party, as the case may be, are not available.

- **3.** The Board Resolution or legal authorisation, as referred to in clause (m) of the undertaking shall, among other things:
 - (a) record the signatory's power and authority to give the undertaking on behalf of the declarant or interested party, as the case may be; and
 - (b) record the declarant or interested party's power and authority, as the case may be, to indemnify defend and hold harmless the Republic of India and the Indian affiliates in accordance with clause (i) of the undertaking)

FORM NO. 2

[See rule 11UF]

Form for Certificate Under sub – rule (2) of rule 11UF

<Name of the declarant>

Address of the declarant

Sir / Madam

- 2. Pursuant to the undertaking filed by the declarant in Form No. 1 under sub-rule (1) of rule 11UE, the provisions of fifth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 of the Act shall be applicable to the orders mentioned below, subject to the fulfilment of the conditions specified in said proviso read with relevant rules and fulfilment of the undertakings by the declarant in Form No.1:

SI. No.	Sl. No. of the Table in Part A of Form No. 1 where the relevant order is mentione d		Income-tax Authority passing the order	under con	f the order nsideration Date of order	Taxes or Penalty determined	Interest	Total demand	Relief, provided in any appeal proceedin g, if any	Demand recovered from the declarant	Pending demand or refund due as on date	Details of the attachmen ts made by any Income- tax Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

TABLE

3. Demand recovered , as per the column (11) of the Table above, shall be refunded to the declarant, subject to the conditions under sub-rule (2)of the rule 11UE and the provisions of the Act, without any interest as per the provisions of the sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 of the Act, attachments, if any, the details whereof are provided in column (13) of the Table, shall be revoked and appeals or applications or petitions or proceeding, if any, filed by any Income-tax Authority or any other person representing the Republic of India with respect to the specified orders, as per column (2) of the Table, shall be withdrawn or intimation shall be sent to the concerned person, on the issue of Form No. 4, as per the procedure provided in sub- rule (16) of rule 11UF. Further, no interest under section 244A of the Act will be payable to the declarant as per the provisions of sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 of the Act.

Certificate No....

Place

Date

.....

(Principal Commissioner/Commissioner of Income Tax)

FORM NO. 3

[See rule 11UF]

Intimation for Withdrawal under sub-rule (3) of rule 11UF of the Income- tax Rules, 1962

To,

The Principal Commissioner/Commissioner

.....

Sir/Madam,

Pursuant thereto, I confirm that the pending appeals or applications or petitions, arbitration, conciliation, mediation, claims or other proceeding, if any, as referred in Part D, Part F, Part G, Part I and Part M of the undertaking in Form No.1 dated..... have been irrevocably, on a with prejudice basis, withdrawn or discontinued and are not being pursued. The evidence of action taken in this regard are enclosed herewith.

Place	
Date	Signature/Verification

Attachments

2.

1. Attach the Board Resolution or legal authorisation, as the case may be, as referred to in clause (m) of the undertaking.

Attach the evidence of action taken as referred above.

VERIFICATION

Verified that the contents of this intimation are true to the best of my knowledge and belief. No part of the intimation is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at ______ place ______ on this the ______ day _____ of _____ month ______, year ______.

Place:

Signature

.....

Note

- 1. This information is required to be furnished where the Permanent Account Number or Aadhaar Number of the signatory is available.
- 2. Company Identification Number and Taxpayer Identification Number are to be provided where Permanent Account Number or Aadhaar Number or Tax Deduction Account Number of the interested party are not available.
- **3.** The Board Resolution or legal authorisation, as referred to in clause (m) of the undertaking and such Board resolution or legal authorisation shall, among other things:
 - (c) record the signatory's power and authority to give the undertaking on behalf of the interested party; and
 - (d) record the interested party's power and authority to indemnify defend and hold harmless the Republic of India and the Indian affiliates in accordance with clause (i) of the undertaking)

Form No. 4

[See rule 11UF]

Order by Principal Commissioner or Commissioner under sub-rule (7) of rule 11UF of the Income -tax Rules, 1962

declarant) (hereinafter referred to as declarant) had furnished undertaking under clause (a) of the rule 11UE , which was received on(Date);

The declarant has filed the intimation in Form No. 3 dated—----- as per sub-rule (3) of the rule 11UF or the case of the declarant is covered under sub-rule (6) of rule 11UF;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (7) of rule 11UF, it is hereby certified that the following specified orders shall be deemed to have never been passed and refund determined as per column (12) of the Table shall be issued to the declarant, and the attachments, if any, as per column (13) of the Table shall be revoked, to the extent they relate to the specified orders mentioned in the Table below:

Sl. No.	Sl No of the Table in Form No.2	Assessment Year/ or Financial year	Income- tax Authority passing the order	Details of order u consider Section and sub- section of the Income- tax Act, 1961	nder	Taxes or Penalty determined	Interest	Total demand*	Relief, provided in any appeal proceeding, if any	Demand recovered from the declarant	Refund determined in pursuance of this order	Attachments made by any Income-tax Authority to be revoked in pursuance of this order
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

TABLE

Further, no interest under section 244A of the Act will be payable to the declarant as per the provisions of sixth proviso to *Explanation* 5 to clause (i) of sub-section (1) of section 9 of the Act.

The assessing officer is directed to give effect to above and pass an order and issue the refund, if any, and revoke attachments, if any, and withdraw any appeals or applications or petitions or proceeding, filed by any Income-tax Authority or intimate the concerned person, where appeals or applications or petitions or proceeding has been filed by any other person representing the Republic of India , with respect to the

specified orders mentioned in column (2) of the Table, within a period of fifteen days from the date of the receipt of such order.

.....

Date.....

Place.....

(Principal Commissioner/Commissioner of Income Tax)

То

- (1) The declarant
- (2) Assessing Officer

(3) Concerned Appellate Forum .'.

[Notification No. 118/2021/F. No. 370142/47/2021-TPL]

NEHA SAHAY, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (ii) *vide* number S.O. 969 (E) dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R. 661(E), dated the 24th September, 2021.